तृतीय माला, खंड 46, अंक 21
Third Series, Vol. XLVI, No. 21

मंगलवार, 14 सितम्बर, 1965/23 भाद्र, 1887 (शक)
Tuesday, September 14, 1965/Bhadra 23, 1887 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 46 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XLVI contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 21—मंगलवार, 14 सितम्बर, 1965/23 भाद्र, 1887 (शक)

No. 21—*Tuesday, September* 14, 1965/*Bhadra* 23, 1887 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
599	कृषि वित्तदाता अभिकरण	Agricultural Financing Agencies	2117–2119
600	विमानों की खरीद	Purchase of Aircraft . .	2119–2121
601	चीनी का निर्यात	Export of Sugar . .	2121–2123
602	अपने आपको बनाये रखने योग्य परिवहन एकक	Viable Transport Units .	2123–2125
603	मछली पालन उद्योग	Fishing Industry . .	2125–2128
604	राज्यों को अनाज का सम्भरण	Supply of Foodgrains to States .	2128–2131
605	दिल्ली-भोपाल-इन्दौर-बम्बई सेवा	Delhi-Bhopal Indore-Bombay Service	2131–2132
606	उच्च न्यायालयों द्वारा निर्वाचिन याचिकाओं की सुनवाई	Hearing of Election Petitions by High Courts	2133–2134
607	कारवार बन्दरगाह	Karwar Port	2134
608	भारतीय जहाजों में पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न का आयात	Import of Foodgrains under P.L. 480 in Indian Ships . .	2134–2135
609	कच्चे पटसन का उत्पादन	Production of Raw Jute . .	2135–2136

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
610	भारतीय विमान निगम कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार काम	Work to Rule by I.A.C. Employees	2137
611	1962 के आम चुनावों पर प्रतिवेदन	Report on 1962 General Elections	2137
612	राष्ट्रीय खाद्य नीति	National Food Policy .	2137–2138
613	चीनी का निर्यात	Export of Sugar . .	2138
614	अमरीका जाने वाले माल के विदेशी भाड़े में वृद्धि	Increase in Freight Rates of U.S. Bound Cargo . . .	2138–2139
615	क्रीम रहित दूध पाउडर	Skimmed Milk Powder . .	2139

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

1—34 Lok Sabha/65

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
616	चीनी का कारखाना-द्वार मूल्य	Ex-factory Price of Sugar	2139
617	महाराष्ट्र राज्य को आयातित गेहूं का सम्भरण	Supply of Imported Wheat to Maharashtra State	2140
618	राजस्थान में दुर्भिक्ष	Famine in Rajasthan	2140
619	चीनी का उत्पादन	Production of Sugar	2141
620	खाद्य जहाजों पर विलम्ब शुल्क	Demurrage on Foodgrains Ships	2141–2142
621	दूध की मिठाइयों के वितरण पर प्रतिबन्ध	Ban on Distribution of Milk-made Sweets	2142
622	कृषि-उत्पाद के लिये सहायक मूल्य	Support Prices for Agricultural Produce	2143
623	इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के डकोटा विमानों का स्थानापन्न	Replacement of I.A.C. Dakotas	2143
624	गोंडा संसदीय चुनाव	Gonda Parliamentary Election	2143–2144
625	न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का सिद्धांत	Criteria for Fixing Minimum Prices	2144
626	चुनाव याचिकायें	Election Petitions	2144–2145
627	भाड़ा बिलों का विदेशी मुद्रा में भुगतान	Payment of Freight Bills in Foreign Exchange	2145
628	मंगलौर बन्दरगाह	Mangalore Port	2145–2146

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
2065	अल्लपी निर्जल गोदी, केरल	Alleppey Dry Dock, Kerala	2146
2067	कुरुमाली (केरल) में सड़क का पुल	Road Bridge at Kurumali (Kerala)	2146
2068	केरल के वकीलों के लिये भविष्य निधि योजना	Provident Fund Scheme for Advocates of Kerala	2146–2147
2069	स्पिति घाटी में आदिमजाति विकास खण्ड	Tribal Development Block in Spiti Valley	2147
2070	उड़ान क्लब	Flying Clubs	2147
2071	लक्कादीव द्वीपसमूह में बन्दरगाह	Ports in Laccadive	2147
2072	केरल हरिजन कल्याण विभाग	Kerala Harijan Welfare Department	2147–2148
2073	अमरीका से मवेशी	Cattle from U.S.A.	2148
2074	खादी ग्रामोद्योग भवन नई दिल्ली	Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi	2148
2075	अन्धे यात्रियों के लिये विमान का आधा किराया	Half Air Fare for Blind Passengers	2148–2149
2076	समाज कल्याण संगठनों के लिये प्रशिक्षित कर्मचारी	Trained Personnel for Social Welfare Organisations	2149

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2077	अपाहिज व्यक्तियों के लिये सुविधा तथा उनका इलाज	Service and Treatment to Handicapped persons . . .	2149
2078	केन्द्रीय भाण्डागार निगम	Central Warehousing Corporation	2149–2150
2079	दिल्ली में भूमिगत रेलवे	Under ground Railway in Delhi.	2150
2080	उत्तर प्रदेश में भाण्डागार	Ware-houses in U.P. . . .	2150–2151
2081	उत्तर प्रदेश में "अधिक अन्न उपजाओं" अभियान	Grow More Food Campaign in U.P.	2151
2082	खेतो में कृषि सम्बन्धी प्रदर्शन प्रणाली	Farm Demonstration Methods .	2151–2152
2083	मछली-पालन उद्योग का सर्वेक्षण	Survey of Fishing Industry	2152
2084	भारत का राष्ट्रीय पशु	India's National Animal . .	2152
2085	भारतीय विमान निगम की अतिरिक्त उड़ानें	Additional Flights of I.A.C. .	2153
2086	उपहार गृहों में खाद्य पदार्थों के मूल्यों का विनियमन करने के लिये समिति	Committee for Regulation of prices charged by Restaurants .	2153
2087	दिल्ली में लाल किले में ध्वनि तथा प्रकाश कार्यक्रम	Son etLumire at Red Fort, Delhi.	2154
2088	उर्वरकों का सम्भरण	Supply of Fertilizers . . .	2154
2089	दिल्ली में चावल की कमी	Shortage of Rice in Delhi .	2155
2090	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा ऊन का खरीद	Purchase of Wool by Central Social Welfare Board . .	2155
2091	भारत लंका स्थल यात्रा सुविधायें	India-Ceylon Surface Travel Facilities	2155–2156
2092	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का दो भागों में विभाजन	Bifurcation of Ministry of Food and Agriculture . . .	2156
2093	विशाखापत्तनम तथा कांडला बन्दरगाहें	Visakhapatnam and Kakinada Ports	2156
2094	कृषि-अनुसन्धान बोर्ड	Board of Agricultural Research .	2156–2157
2095	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग	Khadi and Village Industries Commission	2157
2096	आई० एन० ए० कालोनी, नई दिल्ली	I.N.A. Colony, New Delhi .	2157
2097	बिहार में आदिम जाति के लोगों का शैक्षणिक विकास	Educational Development of Tribals in Bihar . . .	2157–2158
2098	पर्यटन से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति	Foreign Exchange Earnings from Tourism	2158
2099	कपूर के बागान	Camphor Plantation . . .	2158
2100	खद्दर के मूल्य में वृद्धि	Rise in price of Khaddar . .	2158–2159
2101	वर्जिनिया तम्बाकू के मूल्य	Prices of Virginia Tobacco	2159

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2102	कलकत्ता तथा आसाम के बीच परिवहन बाधायें	Transport bottle-necks between Calcutta and Assam . .	2159
2103	दिल्ली के बहरे तथा गूंगे लोगों के लिये लेडी नोइस स्कूल	Lady Noyco School for Deaf and Dumb, Delhi . . .	2160
2104	राष्ट्रीय दुग्धशाला अनुसन्धान संस्था, करनाल, में श्रमिकों की मजूरी	Wages of Workmen in National Dairy Research Institute, Karnal	2160
2105	चीनी उद्योग सम्बन्धी उत्पादित दल	Productivity Team on Sugar Industry	2160–2161
2106	वनमहोत्सव	Vanamahotsava . . .	2161
2107	उपभोक्ता सहकारी समितियां	Consumer Cooperatives . .	2161–2162
2108	केन्द्रीय तथा प्राथमिक सहकारी समितियों का प्रबन्ध	Management of Central and Primary Co-operatives . .	2162
2109	हिन्दुस्तान शिपयार्ड के सहायक उद्योग	Ancillary Industries to Hindustan Shipyard	2162–2163
2110	सड़क तथा पुल निर्माण कार्य जिनके लिये विश्व बैंक ने धन दिया है	Road and Bridge Works financed by World Bank . . .	2163
2111	कृषि-उत्पादन	Agricultural Production . .	2163–2164
2112	उत्तर प्रदेश में कृषि सम्बन्धी अग्रिम योजनायें	Farming Pilot Schemes in U.P.	2164
2113	पिछड़े वर्ग	Backward Classes . . .	2164–2165
2114	सरकारी नियंत्रणाधीन चीनी के मिल	Sugar Factories under Government Control	2165
2115	हरिजन मतदाता	Harijan Voters . .	2165
2116	जोरहाट हवाई अड्डा	Jorhat Airport	2166
2117	दिल्ली ड्रग योजना के कर्मचारी	Employees of D.M.S. . .	2166
2118	आदिम जाति विकास खंड	Tribal Development Blocks .	2166–2167
2119	भूमि को कृषि योग्य बनाना	Reclamation of Land . .	2167
2120	चने की कमी	Shortage of Gram . .	2167
2121	नेफा तक हवाई यातायात	Air Traffic to NEFA. . .	2168
2122	नलकूप	Tube-wells	2168
2123	राजधानी में गायों और भैसों का पालन	Rearing of cows and Buffaloes in the Capital	2168
2124	शाहदरा (दिल्ली) के पास हवाई अड्डा	Aerodrome near Shahdara (Delhi)	2168
2125	ढोर फार्म	Cattle Farms . . .	2168–2169
2126	भिक्षावृत्ति	Begging	2169
2127	अनाज के व्यापरियों के विरुद्ध मुकदमें	Cases against Foodgrains Dealers.	2169

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2128	दिल्ली-नागपुर विमान सेवा	Delhi-Nagpur Air Service .	2169
2129	आसाम की धुलेश्वरी नदी में जहाजरानी	Navigation in Dhuleswari River, Assam	2169–2170
2130	नेपाल में पंजीबद्ध लारियों का गोरखपुर जिले में चलना	Lorries registered in Nepal Plying in Gorakhpur District . .	2170
2131	दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें	Road Accidents in Delhi . .	2170
2132	राष्ट्रसंघ का अपील न्यायालय	Commonwealth Court of Appeal	2170–2171
2133	राज्य सहकारी बैंको की अखिल भारतीय पारस्परिक व्यवस्था योजना	All-India State Co-operative Banks Mutual Arrangements Scheme .	2171
2134	महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियां	Colonies for S.C. & S.T. in Maharashtra	2171
2135	महाराष्ट्र में अम्बर-चरखा प्रशिक्षण क्रम	Ambar Charkha Courses in Maharashtra	2172
2136	भारत मे कसाई खाने	Slaughter Houses in India .	2172
2137	दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की नवीन मूल्य दरें	New Rates of D.M.S. Milk .	2172
	ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारें में—	Re : Calling Attention Notice—	
	जकार्ता में एयर इंडिया के कार्यालय पर हमला	Attack on Air India Office at Jakarta.	2172–2173
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	2173
	राज्य-सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha .	2174
	लोकप्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक--	Representation of the People (Second Amendment) Bill—	
	राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार	Consideration of Rajya Sabha Amendments. . . .	2174–2175
	राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमती प्रकट करने का प्रस्ताव	Motion to agree to Rajya Sabha Amendments	2175
	डा० लोहिया की रिहाई के बारें में लोक-सभा को सूचना मिलने में विलम्ब	Delay in Receipt of Communication to Lok Sabha Re : Release of Dr. Lohia . . .	2175

विषय	Subject	पृष्ठ
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1965-66—	Demands for Supplementary Grants (Railways) 1965-66—	
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी	Dr. L.M. Singhvi . . .	2176
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D.C. Sharma	2176
श्री अ० प्र० शर्मा	,, A. P. Sharma . .	2177
डा० मा० श्री अणे	Dr. M.S. Aney . .	2177
श्री श्री नारायण दास	Shri Shree Narayan Das .	2177
श्री अचल सिंह	Achal Singh	2177
श्री ओझा	,, Oza . . .	2178
श्री अ० ना० विद्यालंकार	,, A.N. Vidyalankar .	2178
श्री के० दे० मालवीय	,, K.D. Malaviya	2178
श्री राम सहाय पाण्डेय	,, R.S. Pandey . .	2178
श्री स० का० पाटिल	,, S.K. Patil . . .	2178
दिल्ली मोटर गाड़ियां करारोपण (संशोधन) विधेयक	Delhi Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill . . .	2179
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री राज बहादूर	Shri Raj Bahadur .	2179–2180
श्री यशपाल सिंह	,, Yashpal Singh	2180
श्री नवल प्रभाकरा	,, Naval Prabhakar .	2180
खण्ड 1 से 3—	Clauses 1 to 3—	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass .	2180
श्री राज बहादूर	Shri Raj Bhadur . . .	2181
सदस्य का निरुद्ध किया जाना— (श्री बदरुद्दुजा)	Detention of Member (Shri Badrudduja)	2181
दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक	Delhi Land Reforms (Amendment) Bill . .	2182
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री हाथी	Shri Hathi . . .	2182
श्री यशपाल सिंह	,, Yashpal Singh .	2183–2184
श्री नवल प्रभाकर	,, Naval Prabhakar .	2184
श्री बड़े	,, Bade . . .	2184
श्री काशीराम गुप्त	,, Kashi Ram Gupta . .	2185
श्री बाल्मिकी	,, Balmiki . .	.2185–2186
श्री श्रीनारायण दास	Shree Narayan Das .	2186–2187
खण्ड 2 से 27 और 1—	Clauses 2 to 27 and 1—	
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री हाथी	Shri Hathi	2187

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रेस तथा पुस्तक रजिस्ट्रिकरण (संशोधन) विधेयक—	Press and Registration of Books (Amendment) Bill—	2188
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
श्री० चे० रा० पट्टाभिरामन	Shri C.R. Pattabhi Raman .	2188
श्री तुलशीदास जाधव	,, Tulsidas Jadhav	2188
श्री दे० शि० पाटिल	,, D. S. Patil .	2189
श्री रघुनाथ सिंह	,, Raghunath Singh .	2189
श्री बाल्मिकी	,, Balmiki	2190
श्री बड़े	,, Bade . .	2190
श्री यशपाल सिंह	,, Yashpal Singh . .	2190
श्री हुकम चन्द कछवाय	,, Hukam Chand Kachhavaiya	2191
श्री श्याम लाल सर्राफ	,, Sham Lal Saraf . .	2191
श्री सिंहासन सिंह	,, Sinhasan Singh .	2191
खण्ड 1 से 4	Clauses 1 to 4 . .	
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन	Shri C.R. Pattabhi Raman .	2192
भारत में भव्य होटलों के बारे में आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-Hour Discussion Re : Luxury Hotels in India—	2192
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha .	2192–2193
श्री राज बहादुर	Shri Raj Bahadur . . .	2194–2195
सैनिक कार्यवाही के बारे में वक्तव्य	Statement Re : Defence Operations	2195
श्री अ० म० थामस	Shri A.M. Thomas	2195

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 14 सितम्बर, 1965/23 भाद्र, 1887 (शक)
Tuesday, September 14, 1965/Bhadra 23, 1887 (Saka)

लोक-सभा दस बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Ten of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कृषि वित्तदाता अभिकरण

*599. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह विचार कि किसानों को आवश्कताओं को पूरा करने के लिये सहकारी ऋण संस्थाओं के साथ अन्य कृषि वित्तदाता अभिकरणों को प्रतिस्पर्धा करने दिया जाये, कोई ठीक और निश्चित रूप ले चुका है;

(ख) यदि हां, तो ठीक-ठीक प्रस्ताव क्या है; और

(ग) ऐसे संगठनों या संस्थाओं को स्थापित करने में कितना समय लगेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी नहीं, अभी नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं होता ।

श्री श्रीनारायण दास : खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किये गये एक पर्चे में यह बताया गया है :

"कृषि ऋण के मौजूदा ढांचे का पुनर्विलोकन करने और किसानों के लिये ऋण की एक समुचित प्रणाली तैयार करने के लिये अध्ययन मांगे गये हैं ।"

क्या मैं जान सकता हूं कि इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

श्री शाहनवाज़ खां : भेजे गये अनेक प्रस्तावों की कृषि उत्पादन बोर्ड द्वारा जांच की गयी और अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है । इस मामले को राज्य सरकारों के पास, उनके विचार जानने के लिये भेज दिया गया है और जैसे ही उनके विचारों का पता चल जायेगा, हम कोई निर्णय कर लेंगे ।

श्री श्रीनारायण दास : क्या यह सच है कि सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा श्री मिर्धा के सभापतित्व में नियुक्त की गयी समिति ने सुझाव दिया है कि कृषि ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक कृषि वित्त निगम स्थापित किया जाए और यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : समूचे मामले पर विचार किया जा रहा है क्योंकि यह देखा गया है कि विशेषत: चौथी योजना में केवल सहकारी ऋण से कृषि के विकास की आवश्यकतायें

पूरी नहीं हो सकतीं। अतः प्रश्न यह उठता है कि इसके लिये और क्या संस्थायें बनायी जायें। इस बारे में कुछ अध्ययन किये गये हैं और कागजात राज्य सरकारों को भेजे गये हैं क्यों कि इस मामले से उनका ही प्रमुख सम्बन्ध है। जैसे ही उनके विचारों का पता लग जाएगा, हम इस बारे में कोई निर्णय कर लेंगे।

श्री द्वा० ना० तिवारी : यह तो सभी मानते हैं कि खाद्य की कमी है और अधिक उत्पादन के लिये किसानों को वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि इस मामले को अन्तिम रूप देने में इतना विलम्ब क्यों हुआ है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस कमी को पूरा करने के लिये वैकल्पिक अभिकरण स्थापित करने के बारे में भिन्न भिन्न विचार हैं। अतः हमें राज्य सरकारों के विचारों पर गौर करना है। कुछ विचार बनाए जा चुके हैं लेकिन इस मामले में राज्य सरकारों से परामर्श करना आवश्यक है।

श्री दी० चं० शर्मा : किसानों को अभी तक साहूकारों के पंजे से क्यों मुक्त नहीं किया गया है और उसको अपनी फसल के लिये अपने जेवरात क्यों गिरवी रखने पड़ते हैं और किसानों को ऋण देने के लिये संस्थायें स्थापित करने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं मानता हूं कि अब भी किसान ऋण लेने के लिये साहूकारों के पास जाते हैं। हमें यह आशा थी कि सहकारी संस्थाएं पनपेंगी और वह सभी कृषकों का भला करेंगी। कुछ ही राज्यों में ऐसा हुआ है लेकिन अधिकांश राज्यों में सहकारी संस्थायें आशा के अनुसार नहीं पनपी हैं। इसी लिये वैकल्पिक अभिकरणों की आवश्यकता हुई है। अब हमें आशा है कि ये अन्य संस्थाएं किसानों की सेवा करेंगी।

Shri Vishram Prasad : The Hon. Minister has just said that in spite of all these farmers have to go to private money lenders for credit. The reason is that co-operatives give loan to farmers at the rate of interest of a 9 per cent. and for taking loan from the revenue, the farmer has to approach Patwari, Kanungo, Tehsildar etc. & spends much. I want to know that when you want to increase agricultural production, are terms being made easy so as to enable farmers to get loan on crops, bullocks or property early?

Shri Shahnawaz Khan : The Government is aware of the difficulties of farmers. We are considering to remove the difficulties and hope to remove them.

Shri Vishram Prasad : 18 years have passed while considering.

Mr. Speaker : It cannot be stopped. It will go on.

Shri Bibhuti Mishra : Three Five Year Plans are over but still the farmers have to take loans from money lenders. The money lender might charge high rate of interest but the farmers get loan immediately while Government agencies, cooperatives etc. take much time sanctioning credit for him. Do the Government contemplate to improve the system so that farmers could get money immediately.

Shri Shahnawaz Khan : Certainly the Government wants to change the procedure. The Government is considering that arrangements should be made so that corporation could remove the difficulties of finances of farmers. They could give loans to farmers in exchange of foodgrains.

श्री वारियर : अनुसूचित बैंकों द्वारा भारत के रिजर्व बैंक के विदेश पर ऋण सुविधाएं कम करने को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार वित्त मंत्रालय में इस बात पर विचार कर रही है कि राज्य सरकारों को प्रस्तावित अन्य योजनाओं को अन्तिम रूप देने तक किसानों को आसानी से ऋण दिया जाए ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमने इस बात को अन्तिम रूप देना कि यह काम किस संस्था को सौंपा जाए। एक प्रमुख योजना के रूप में दो राज्यों के चार जिलों में हमने भारत के खाद्य निगम द्वारा फसल पर ऋण देना शुरू किया है। इसके अतिरिक्त कुछ संगठनों ने यह सुझाव दिये हैं कि सहकारी संगठनों की त्रुटि को दूर करने के लिए एक कृषि ऋण निगम बनाया जाए। इन सब पर हमें शीघ्र निर्णय करना पड़ेगा।

Purchase of aircraft

***600. Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number and type of aircraft proposed to be purchased for the Indian Airlines Corporation and the Air-India during 1965-66 and 1966-67;

(b) whether Government have considered any proposal to manufacture aircraft to meet the requirements of civil aviation in the country; and

(c) if so, the action being taken in the matter?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) The Indian Airlines Corporation have placed orders for two additional Caravelles for delivery in November and December, 1965. They have also placed orders for one Fokker Friendship aircraft for delivery in April, 1966 and a proposal for the purchase of two more Fokker Friendships for delivery in June, 1966 is under consideration. Two 707-320B jet aircraft fitted with Pratt & Whitney Turbo Fan Engines are proposed to be purchased by Air-India for delivery during 1966-67.

(b) and (c). The only type of aircraft at present manufactured in India which would be suitable for Civil Aviation is H. S. 748.

Shri M. L. Dwivedi : I want to know the extent of shortage of aircrafts in the civil aviation and whether due to that shortage passengers have to face difficulties?

Shri Raj Bahadur : This is correct. We want to meet the shortage quickly. If we want to observe punctuality, we shall require 'Fazil' aircrafts.

Shri M. L. Dwivedi : There is a news item in Today's newspaper that a number of foreigners are ensuared as they are not getting opportunity to go. I want to know as to how far it is correct.

Shri Raj Bahadur : So far as I know, no such news has appeared here. Probably Hon. Member is applying the case of Karachi on India.

Mr. Speaker : Such wrong statements should not be made.

Shri M. L. Dwivedi : This has appeared in press.

Shri Raj Bahadur : It is not so.

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि हाल में ही कारेवल के ईंजन में खराबी का पता चला और हमें इसकी मरम्मत करानी पड़ी? यहां पर कारेवल की मरम्मत कराने और इनका पूरा लाभ उठाने के लिये क्या व्यवस्था की गयी है?

श्री राज बहादुर : ईंधन में कुछ बाहरी तत्व मिल जाने से 'फ्यूल पम्प' में कुछ खराबी का पता चला। तब से फ्यूल पम्प की मरम्मत की जा चुकी है और उसको बदला जा चुका है। फ्यूल टैंक धो दिये गये हैं और साफ कर दिये गये हैं; स्टोरेज फ्यूल टैंक भी ठीक तरह से साफ कर दिये गये हैं और धो दिये गये हैं। इस बात के लिये पर्याप्त व्यवस्था की गयी है कि इन विमानों के लिये प्राप्त किसी भी संभरण की इस्तेमाल करने से पहले समुचित जांच कर ली जाये।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : For the facility of passengers the Hon. Minister has assured that the number of aircrafts will be increased. Besides this are Government taking into account reducing the fare?

Shri Raj Bahadur : Such possibility is not there.

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : मंत्री महोदय ने बताया है कि 'फोकर फ्रेन्डशिप' की खरीद के लिये आदेश दिये गये हैं। क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सभी डकोटा के स्थान पर 'फोकर फ्रेन्डशिप' अथवा 'स्काई-मास्टर' विमान चलाये जायेंगे ?

श्री राज बहादुर : डकोटा के स्थान पर 'एवरो-748' चलाने का विचार है। 'फोकर फरेन्डशिप' से अन्य काम लिया जायेगा।

श्री दाजी : क्या यह सच है कि कारवेल में ईंधन डालने का ठेका 'एस्सो' कम्पनी के साथ था, इसमें ईंधन निर्धारित स्तर का नहीं था और उसमें सल्फ़र की मात्रा अधिक थी ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस बारे में कोई कदम उठाये गये हैं कि जो पक्ष मिलावटी स्पिरिट दें उनसे संभरण न कराया जाए और उसकी ठीक प्रकार से जांच करायी जाये ताकि 'कारवेल' विमान दुबारा खराब न हो सकें।

श्री राज बहादुर : जैसा मैंने अभी बताया इसमें कुछ मिला हुआ पाया गया। इस बारे में सरकारी प्रतिवेदन अभी सभा में रखा जाना है लेकिन हमने इस बारे में कदम उठाये हैं कि अब से ईंधन की, इस्तेमाल करने से पूर्व, जांच कर ली जाये।

श्री शिकरे : गैर-सरकारी संचालकों को अनुमति देने के सरकार के मौजूदा निर्णय से इस बारे में कहां तक प्रभाव पड़ेगा ?

श्री राज बहादुर : गैर-सरकारी संचालकों को उन मार्गों पर विमान चलाने की अनुमति दी जाती है जिन मार्गों पर इण्डियन एयरलाइन्स विमान नहीं चलाते। इन मार्गों पर विमान चलाये जाने का इण्डियन एयरलाइन्स ने विरोध नहीं किया है।

श्री शिकरे : क्या कोई अभ्यांश निश्चित किया गया है ?

Shri Tulsidas Jadhav : May I know the number of aircrafts being manufactured in this country every year?

Shri Raj Bahadur : We shall manufacture aircrafts of Avro-748 series in our country; for Air Force there will be separate aircrafts. According to the order placed by us, we shall get 5 aircrafts during 1966, 6 in 1967 and 4 in 1968. Thus we shall be getting 15 aircrafts in 3 years. The capacity should be more than that.

श्री भानु प्रकाश सिंह : क्या सरकार को पता है कि समूचे देश में भोपाल ही एक ऐसी राज्य की राजधानी है जहां हवाई-सम्पर्क नहीं है।

श्री प्र० चं० बरुआ : नहीं, शिलांग भी है।

श्री भानु प्रकाश सिंह : मैं गलती मानता हूं। विमानों की कमी के कारण ऐसा है या अन्य किसी कारण ? क्या सरकार इसको भी भारत के वायु-मानचित्र में शामिल करेगी ?

श्री राज बहादूर : हम दोनों राजधानियों में वायु-सम्पर्क स्थापित करना चाहते हैं लेकिन एक मामले में कठिनाई पहाड़ है और दूसरे में धन।

श्री बासप्पा : क्या कारवेल विमान चलाने से विमान यातायात में वृद्धि हुई है; यदि हां, तो क्या कोई मूल्यांकन किया गया है और इसको किस प्रकार पूरा किया जाएगा ?

श्री राजबहादूर : विदेशी पर्यटकों के लगातार आने और देश में खुशहाली और अधिक कारोबार, व्यापार और वाणिज्य के कारण अधिक यातायात की आशा है।

Shri Yashpal Singh : As the situation is prevailing today, any country would hardly give us planes, now it is difficult to procure planes. Are we trying to meet this shortage within our country and by when we shall be self sufficient in this respect?

Shri Raj Bahadur : Countries which give us aircrafts are, commercial countries. They give us aircrafts on commercial basis. They will not refuse to give.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने कानपुर में निर्मित एवरो–748 विमान भी खरीदने थे ; यदि हां, तो कितने विमान खरीदे जा चुके हैं और कितने और खरीदे जायेंगे ?

श्री राज बहादूर : मैंने अभी तो आंकड़े बताए हैं : कार्यक्रम यह है : 1966–5; 1967–6; 1968–4; कुल 15।

प्रश्न संख्या 619 के बारे में

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, Sir, question No. 619 may also be taken up with question No. 601.

Mr. Speaker : That cannot be linked.

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): प्रश्न संख्या 619 भिन्न प्रश्न है।

Export of sugar

+

***601. Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :
Shri N. P. Yadav :
Shri Naval Prabhakar :
Shri Hem Raj:
Shri Yashpal Singh :
Shri Tridib Kumar Chaudhuri:

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to export 5 lakh tons of sugar every year during the next four years commencing from 1965;

(b) if so, the annual target of production fixed by Government;

(c) the quantity of sugar to be kept reserved for internal consumption, building of buffer stock and export; and

(d) whether it is also a fact that the export earnings would be utilised for setting up of new sugar mills and for the development of sugar industry?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) इस सम्बन्ध में अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजनावधि को समाप्ति पर अस्थायी तौर पर 45 लाख मीट्रिक टन।

(ग) विभिन्न उद्देश्यों के लिये निश्चित मात्राएं पहले सुरक्षित नहीं रखी जा सकती हैं।

(घ) नये कारखाने स्थापित करने और चीनी उद्योग का विकास करने के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा सीधे ही सुलभ की जा रही है और यह चीनी के निर्यात से होने वाली कमाई से सम्बध्द नहीं है।

Shri Bibhuti Mishra : I want to know why the Government exports sugar; at what rate and to which countries. The sugar is exported and from where the loss is met?

श्री दा० रा० चव्हाण : जिन देशों को चीनी भेजी जाती है, उनके नाम हैं : अमरीका, ब्रिटेन, कनाड़ा और मलयेशिया और कुछ अन्य स्थान। यहां पर हमें औसतन 955 रूपये प्रति टन देने पड़ते हैं और समुद्र पार देशों में औसतन 407 रुपये मिलते हैं। अत: हानि को सरकार वहन करती है।

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that first Government exports sugar from sea coast areas & when there is shortage of sugar there, then sugar is exported from northern areas? Does Government think it proper to export sugar from northern area, which is better in taste?

श्री दा० रा० चव्हाण : बात यह है कि चीनी निर्यात के लिये टेन्डरों द्वारा प्राप्त की जाती है जहां कहीं भी यह सस्ती मिलती है, खरीदी जाती है। विशेषत: महाराष्ट्र के कुछ कारखानों में, जहां से यह अधिकतर खरीदी जाती है, कारखाना मूल्य लगभग 116 रुपये है। कुछ अन्य उत्तरी राज्यों में भी सस्ते दरों पर चीनी खरीदी जाती है।

श्री क० ना० तिवारी : क्या यह सच है कि गुंडू राव समिति ने बताया है कि यदि आवश्यक सिंचाई, खाद और संचार व्यवस्था उपलब्ध की जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ने के उत्पादन में वृद्धि हो सकती है और विशेषत: उत्तरी क्षेत्र में चीनी उद्योग को आर्थिक कठिनाई हो रही है और उत्तरी क्षेत्र में चीनी के उत्पादन की संभावना अधिक है और यदि हां, तो सरकार ने कठिनाईयों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाए हैं अथवा उठा रही है ताकि देश निर्धारित अभ्यांश निर्यात कर सके और देश के अन्दरूनी मांग भी पूरी कर सके ?

श्री दा० रा० चव्हाण : उस समिति के प्रतिवेदन की जांच हो रही है। गन्ने के प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि और अच्छी किस्म के बारे में सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। गन्ने के गहन विकास के लिये कई गन्ना विकास योजनाएं हैं। ये योजनाएं उत्तर प्रदेश में भी चल रही हैं।

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that two firms in Bombay have refused to give their quota for export. If so, what is the extent of loss sufferred by Govt.?

श्री दा० रा० चव्हाण : मुझे किसी फर्म के बारे में पता नहीं है ; चीनी कारखानों से ली जाती है।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : अपने देश में चीनी की भारी कमी को देखते हुए और इस बात को देखते हुए कि निर्यात से बहुत थोड़ी आय हो रही है, क्या सरकार सारी योजना पर पुनर्विचार करेगी। क्या वह समझती है कि इस निर्यात को बन्द किया जाए ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : यह प्राथमिकता का प्रश्न है कि क्या विदेशी मुद्रा की गंभीर स्थिति को देखते हुए हमें कुछ विदेशी मुद्रा अर्जित करनी चाहिए या नहीं। निर्यात करना जरूरी है। केवल हमारा देश ही नहीं बल्कि हर देश निर्यात बढ़ाने के लिये निर्यात को राज-सहायता देता है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : क्या चीनी के निर्यात के लिये जहाजरानी की कोई व्यवस्था है और क्या चीनी के निर्यात के लिये किसी भारतीय जहाज का इस्तेमाल किया जा रहा है या केवल विदेशी जहाजों का ? क्या हम चीनी के निर्यात का भाड़ा विदेशी मुद्रा में देते हैं और यदि हां, तो भाड़ा के लिये कितनी विदेशी मुद्रा दी जाती है और चीनी के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है ?

अध्यक्ष महोदय : इतने प्रश्न एक साथ नहीं।

श्री दा० रा० चव्हाण : यह प्रश्न परिवहन मंत्रालय से पूछा जा सकता है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं; यदि माननीय सदस्य एक पृथक प्रश्न की सूचना दें तो मैं उत्तर दे दूंगा।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : This fact cannot be denied that because of export of sugar to other countries, there is shortage of sugar for internal consumption. Do the Government propose to encourage cane producers to manufacture *gur* and *shakkar* to meet this shortage.

श्री दा० रा० चव्हाण : वास्तव में इस वर्ष, उत्पादन 32 लाख टन होने की संभावना है। अधिक उत्पादन के कारण हमने अधिक चीनी बिक्री के लिये दी है। मासिक कोटे में वृद्धि हुई है। अब 60,000 टन चीनी दी जा रही है।

Shri Ram Sewak Yadav: I want to know whether the Ministry have studied the ups and downs of production of sugar, if so what measures are being taken to remove the obstacles?

श्री दा० रा० चव्हाण : भारतीय चीनी उद्योग के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये गुंडू राव समिति नियुक्त की गई थी। जैसा मैंने अभी बताया, प्रतिवेदन की जांच हो रही है।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : इस अनुभव के आधार पर कि लाइसेंस क्षमता काफी पूरी होने से रहती है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार अधिक मात्रा के लिये लाइसेंस देगी ताकि चौथी योजना के अन्त तक 450 लाख टन का उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके ?

श्री दा० रा० चव्हाण : चौथी पंचवर्षीय योजना में यही प्रस्ताव किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

अपने आपको बनाये रखने योग्य परिवहन एकक

*602. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मितव्ययिता और कार्य-कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से गैर सरकारी परिवहन संचालिकों को ऐसे एककों में, जो अपने आपको बनाये रख सकें, संगठित करने की योजना तैयार करने के लिये एक अध्ययन दल की नियुक्ति की गई है ;

(ख) क्या यह अध्ययन दल मरम्मत, टूट-फूट सहायता, गोदाम निर्माण, टर्मिनल और विश्राम गृह की व्यवस्था करने के लिये प्रत्येक राज्य में संगठन बनाने की संभावना पर विचार करेगा ; और

(ग) ऐसे परिवहन एकक बनाने के अनुरोध को कितने मोटर-गाड़ी मालिकों ने स्वीकार किया है ?

परवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) चूंकि जीवन क्षम यूनिटों से उद्योग में अच्छा संगठन होगा अत: मोटर गाड़ी मालिकों से अच्छा सहयोग मिलने की संभावना है। फिर भी इस का अंदाजा अध्ययन दल की रिपोर्ट मिलने के बाद लगेगा।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चौथी योजना में सड़कों का निर्माण और मोटर गाड़ियों का निर्माण दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, क्या मैं जान सकती हूं कि इस पहलू के संवर्द्धन के लिये सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं ?

श्री राज बहादुर : कुछ कदम उठाए जा चुके हैं। मैं उनके बारे में बता सकता हूं लेकिन इसमें समय लगेगा। लेकिन जो अध्ययन दल नियुक्त किया गया है, वह और कदम उठाये जाने की सिफारिश करेगा।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मोटर गाड़ी अधिनियम के लागू करने के लिए समेकित कार्यवाही और समता आवश्यक है, इस मामले में राज्यों की सहानुभूति और सहयोग प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री राज बहादुर : ये सभी कदम उठाए जाएंगे। अन्त में उनको राज्य सरकारें क्रियान्वित करेंगी। अध्ययन दल सिफारिशें करेगा और हम उन पर विचार करेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे और फिर उठाये जाने वाले कदमों के बारे में राज्य सरकारों से सिफारिश करेंगे।

श्री प्र० चं० बरुआ : सड़क परिवहन परिव्यय में चौथी योजना में की गयी कटौती को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सड़क परिवहन के विकास के लिये उपबंधों की आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा और यदि हां, तो किस हद तक और अन्तिम रूप से इसके लिये कितना धन रखा गया है ?

श्री राज बहादुर : ऐसा लगता है कि सरकारी क्षेत्र के आवंटन में अधिक कटौती की गई है।

श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या जीवन क्षम यूनिट बनाए जाने के समय यह देखा जाएगा कि कोई एकाधिकारी प्रवृत्ति न पनप सके ?

श्री राज बहादुर : इसको निश्चित ही ध्यान में रखा जाएगा। 153,302 संचालकों में से 136,000 संचालकों के पास एक एक मोटरगाड़ी है। यह 89 प्रतिशत है। बाकी में से 14,000 के पास दो से पांच तक गाड़ियां हैं। ये 9 प्रतिशत हैं। केवल 2 प्रतिशत ऐसे हैं जिनके पास 5 से अधिक गाड़ियां हैं। अत: समूचे देश में एक प्रकार की व्यवस्था और संगठन बनाने के लिये यह आवश्यक है कि जीवन क्षम एककों को प्रोत्साहन दिया जाये।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : यह बड़ी अच्छी बात है लेकिन क्या इससे यात्री यातायात और माल परिवहन के राष्ट्रीय करण का मुख्य विचार समाप्त नहीं हो जाएगा ?

श्री राज बहादुर : जहां तक माल परिवहन का सम्बन्ध है, हम जानते हैं कि, अब तक किये गये आवंटन और चौथी योजना की प्रस्तावनाओं को देखते हुए, आवंटन बहुत सीमित है। यह स्पष्ट है कि हम गैर-सरकारी विनियोजकों में भय पैदा नहीं करना चाहते, यदि कोई भय पैदा हो गया तो इस उद्योग

में छोटे छोटे विनियोजक आगे नहीं आयेंगे । यात्री परिवहन के 33 प्रतिशत का तो राष्ट्रीयकरण है ही; चौथी पंचवर्षीय योजना में रखे गये प्रस्तावों के अनुसार यह बढ़ कर 40 प्रतिशत हो जाएगा ।

श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या इस मामले पर पहली बार विचार किया जा रहा है अथवा इस पर पहले भी विचार किया गया था और यदि इस पर पहले भी विचार किया गया था तो सिफारिशों को कहां तक क्रियान्वित किया गया ?

श्री राज बहादुर : इस पर लगातार विचार किया जाता रहा है । हमने कई कदम उठाए हैं जैसे परिवहन सहकारी समितियों को प्राथमिकता देना ; अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग ने भी यह व्यवस्था की है कि जीवन क्षम एककों को अन्तर्राज्यीय लम्बे मार्गों पर चलने की अनुमति दी जाएगी आदि ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान इस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान सरकार ने आसाम जाने वाले 15 स्टीमर और 31 नौकाएं रोक ली हैं और इससे आसाम की अर्थ-व्यवस्था में गड़बड़ी होने की सम्भावना है ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने सड़क परिवहन के लिये कोई विशेष व्यवस्था की है ?

श्री राज बहादुर : राज्य परिवहन निगम है ।

अध्यक्ष महोदय : उनको समुद्री परिवहन के बारे में डर है ; वह सड़क परिवहन की व्यवस्था चाहते हैं ।

श्री राज बहादुर : हमने व्यवस्था की है और हम उसे बढ़ा रहे हैं ।

मछली पालन उद्योग

*603. **श्री वारियर** :
मुहम्मद इलियास :
श्री वासप्पा :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन पंचवर्षीय योजनाओं में मछलीपालन उद्योग ने अधिक प्रगति नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में उद्योग का विकास करने के लिये क्या ठोस योजनायें तैयार की गई हैं; और

(घ) चौथी योजना में इस उद्योग पर कुल कितनी राशि खर्च करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : नहीं । प्रथम योजनावधि में मछली का कुल अतिरिक्त उत्पादन 8.39 लाख टन, दूसरी योजनावधि में 13.00 लाख टन उत्पादन और तीसरी योजनावधि में 15.00 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन होने का अनुमान है ।

(ग) समुद्रीय और अन्तरस्थलीय मात्स्यकी विकास के लिये विभिन्न योजनाएं विचाराधीन हैं । समुद्रीय मात्स्यकी विकास के अन्तर्गत मुख्य योजनाएं ये हैं :— मछली पकड़ने की बन्दरगाहों का विकास, मत्स्य नौकाओं का यन्त्रीकरण व विस्तार, सड़क तथा रेल पर प्रशीतित परिवहन का उपबन्ध और विधायन की क्षमता का विस्तार व उन्नति करना । अन्तर स्थलीय व ज्वारनद संगम मात्स्यकी

के विकास के लिये ये उपबन्ध किये जा रहे हैं :—मत्स्यपालन के लिये बेकार भूमि का सुधार, देश की विभिन्न नदियों के जलाशयों में मात्स्यकी विकास, बांध पद्धति, समन्वेषी मात्स्यकी तथा मत्स्य संबर्द्धन प्रविधियां।

(घ) अनन्तिम विनिधान 114 करोड़ रुपये है।

श्री वारियर : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पिछली योजनाओं में रखे गये विनिधान को पूरी तरह प्रयोग में नहीं लाया गया था क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय मन्त्रालय मछलीपालन उद्योग के विस्तार के लिये स्वयं कोई केन्द्रीय योजना हाथ में ले रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : जी हां, श्रीमान, चौथी योजना में एक बड़ी संख्या केन्द्रीय परियोजनाओं की हैं।

श्री वारियर : क्या मैं जान सकता हूं कि केरल सरकार ने इस समस्या का अध्ययन किया है और उसने इस के बारे में कोई योजना या परियोजनायें केन्द्र सरकार को पेश की है ?

अध्यक्ष महोदय : केरल मात्स्यकी के बारे में कल मन्त्री महोदय ने काफी कुछ कहा था, लगभग 25 मिनट वह इस विषय पर बोले थे।

श्री वारियर : परन्तु मन्त्री महोदय ने इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया।

श्री हेम बरुआ : वारियर साहब को तो युद्ध स्थल पर जाना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : केन्द्रीय मात्स्यकी निगम के स्थापित करने में, जिसका सरकार ने वचन दिया था, विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या मन्त्री महोदय इस बात से अवगत हैं कि इस से पहले कि यह निगम बनती सरकार ने पाकिस्तान से मछली के आयात के लाइसेंसों को न देकर कलकत्ता में मछली को विधिकृत दुष्प्राप्यता की स्थिति पैदा कर दी है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वर्तमान परिस्थितियों में पाकिस्तान से मछली के आयात का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं इस बात से सहमत हूं कि निगम की स्थापना में कुछ विलम्ब हो गया है। यह आरम्भिक विलम्ब है और हम इस काम को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मंत्रि-परिषद की मंजूरी इस के लिये दी जा चुकी है और मुझे आशा है कि यह निगम बहुत शीघ्र स्थापित हो जायेगा।

श्री बासप्पा : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार के पास करवार और मतकत में मछली पकड़ने की बन्दरगाहें बनाने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो यह बन्दरगाहें इस प्रयोजन के लिये किस प्रकार उपयोगी होंगी।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं विशेष स्टेशनों के बारे में सूचना नहीं दे सकता परन्तु इस के लिये हमारे पास एक बड़ा प्रोग्राम हैं।

Shri Ram Sewak Yadav : May I know whether any comprehensive scheme has been prepared for deep sea fishing, if so, the main features thereof?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम गहरे समुद्र से मछली पकड़ने की एक योजना बना रहे हैं जिसका केन्द्र कोचीन में होगा एक और योजना पूर्वी तट पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं चौथी योजना में गहरे समुद्र से मछली पकड़ने का हमारा एक बड़ा कार्यक्रम हाथ में लेने का विचार है।

श्री दे० जी० नायक : नर्मदा और तापती नदियों में अन्तरस्थलीय मात्स्यकी विकास के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : चौथी योजना में हमारे कार्यक्रम का यह भी एक अंग है।

Shri Sheo Narain : May I know whether Government has made any programme for the development of fishing in Uttar Pradesh?

Mr. Speaker : Shir D. C. Sharma.

श्री दी० चं० शर्मा : एक समय था जब पंजाब में मछली का बाहुलय था जो कि न केवल ऊंचे वर्ग के लोगों के लिये परन्तु जनसाधारण के लिये भी काफी थी। अब जब मैं पंजाब में गया जिस में केवल दो नदियां हैं तो देखा कि मछली एक दुर्लभ पदार्थ है जोकि बहुत ऊंचे मूल्य पर बिकती हैं। क्या यह सच है कि पंजाब मछली के उत्पादन में पीछे रह गया है क्योंकि खाद्य और कृषि मन्त्रालय ने मछली के अधिक उत्पादन की ओर पंजाब में ध्यान नही दिया है। यदि हां, तो क्या खाद्य और कृषि मन्त्रालय पंजाब की कमी को पूरा करने के लिये कोई विशेष कदम उठायेंगा ?

अध्यक्ष महोदय : हम समुद्र से नदियों पर आ गये हैं और अब नदियों से तालाबों पर और फिर तालाबों से कुंए पर जायेंगे।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां तक अन्तरस्थानीय मात्स्यकी का सम्बन्ध है इस का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। चौथी योजना में पंजाब में इस के विकास पर मैं अधिक जोर दूंगा और मैं पंजाब सरकार को यह बताना चाहता हूं कि पंजाब के लोग मछली में बहुत रूचि रखते हैं।

Shri Yashpal Singh : On the one hand our Government says that India is a Secular and non-religious state but on the other hand when we see our religious books it is written in the Guru Granth Sahib that:

"Bhang, Machhli, Sunapan, ji ji Prani khain. Teerath New aru varat kiya Sahai-rastal jain"

when fish eating is against our religion then why Government is spending crore of rupees on it?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे धार्मिक बातों की पूरी जानकारी नहीं है। परन्तु मैं यह नहीं जानता कि कौन सा धर्म मांस खाने के या मछली खाने के विरूद्ध है। मेरा विचार है कि प्रत्येक धर्म मछली खाने की आज्ञा देता है।

Shri Yashpal Singh : We should leave either secularism or fish eating.

एक माननीय सदस्य : श्रीमान्, धर्म खतरे में है।

अध्यक्ष महोदय : हमें इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिये।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार पूर्वी पाकिस्तान, जहां कि मछली दूसरे खाद्य पदार्थों के साथ प्रमुख आहार है, से आये शरणार्थियों की व्यवसायक सेवाओं का उपयोग करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमारे यहां लोगों में इस कार्य में काफी दक्षता प्राप्त है और हमें पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें उन को कुछ रोजगार देना है और उनकी सेवाओं का यहां उपयोग हो सकता है तो हम अवश्य ऐसा करेंगे।

श्री श्यामलाला सर्राफ : महोदय, एक मछली खाने के लिये होती है और दूसरी क्रीड़ा के लिये खाने वाली मछली के उत्पादन को बढ़ाने वाली योजनाओं के साथ क्रीड़ा के लिये मछली को बढ़ाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है।

अध्यक्ष महोदय : ताज़े पानी में पाई जाने वाली मछली ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम इस को कर रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : क्योंकि कलकत्ता बाजार में मछली की कमी है इस लिये, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि दिल्ली से कलकत्ता को मछली भेजी जाती है और इसी कारण से दिल्ली में मछली की बड़ी कमी हो गई और इस से मछली खाने वालों के लिये कठिनाई उत्पन्न हो गई है!

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सचाई यह है कि कलकत्ता को मछली उत्तर प्रदेश से जाती है परन्तु कुछ हद तक उड़ीसा, मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश और मद्रास से भी कलकत्ता को मछली भेजी जाती है। क्योंकि कलकत्ता के लोग केवल ताज़े पानी की मछली ही पसंद करते हैं इस लिये हमें इस के लिये विशेष प्रबन्ध करने हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री यशपाल सिंह और हेम बरुआ आपस में निश्चय कर लें कि कौन सा मांग अपनाना है।

श्रीमती रेणुका राय : क्या यह सच नहीं है कि कलकत्ता में अब जितना मछली का उपभोग होता है वह पहले से बहुत कम है और कि कलकत्ता और पश्चिमी बंगाल में मछली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां, मैं ने अभी बताया है कि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुये पूर्वी पाकिस्तान से मछली का आयात पूर्णता बन्द कर दिया है और इस लिये कलकत्ता में मछली की कमी है। कलकत्ता को पर्याप्त मात्रा में मछली मिले इस के लिये हम अपने अन्तरस्थलीय मात्स्यकी साधनों के विकास की कोशिश कर रहे हैं।

राज्यों को अनाज का सम्भरण

*604. **श्री प्र० चं० बरूआ** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री बडे :
श्री बृजराज सिंह :
श्री बागडी :
श्री हरिश्चन्द्र माथूर :
श्री हेडा :
श्री बासप्पा :
श्री जसवंत मेहता
श्री मा० ल० जाधव :
श्री जेधे :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री पें० वेंकटासुब्बया
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :
श्री दे० शि० पाटिल :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री कांबले :
श्री शिवाजी राव शं० देशमुख :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष प्रत्येक राज्य में खाद्य की आवश्यकता पूरी करने के लिये विभिन्न राज्यों ने केन्द्र से कितने अनाज की मांग की है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : जहां तक चावल का सम्बन्ध है, प्रत्येक राज्य को की जाने वाली सप्लाई वार्षिक आधार पर निर्धारित की जाती है और तदनुसार, वर्ष भर इसी हिसाब से सप्लाई की जाती है। जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है, राज्यों की मांग में प्रति मास भिन्नता होती है और कुछ मामलों में एक महीने विशेष में, मांग में भिन्नता रही है। जहां तक मोटे अनाजों का सम्बन्ध है, मांग नियतकालिक रही है और तदर्थ आधार पर की जाती है। अतः सभी राज्यों द्वारा मांगे गये विभिन्न खाद्यान्नों की सूची देना सम्भव नहीं है। राज्य सरकारों के परामर्श से विभिन्न राज्यों

की खाद्यान्नों की आवश्यकताओं की जांच की जाती है और विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं तथा भारत सरकार के पास खाद्यान्नों की कुल उपलब्धि को ध्यान में रख कर सप्लाई की जाती है। जनवरी से अगस्त, 1965 तक की अवधि में विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय भण्डारों से वास्तव में की गयी खाद्यान्नों की सप्लाई बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-4843/65**]

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि यह सच है कि देश में खाद्यान्नों के अधिक उत्पादन के बावजूद हम इन का पहले से अधिक आयात कर रहे हैं यदि हां तो क्या यह इस लिये है कि कृषकों अतिरिक्त उत्पादन का 40 प्रतिशत अपने पास रोक रखा है।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : क्योंकि जन संख्या में वृद्धि हो रही है इस लिये मांग भी बढ़ रही है। गेंहू और चावल की मांग इस लिये बढ़ रही है क्योंकि लोगों में, विशेषकर शहरी इलाकों में, इन चीजों को क्रय करने की शक्ति बढ़ी है।

श्री प्र० चं० बरुआ : सरकार ने इस बात के लिये क्या कदम उठाये हैं कि केन्द्र से अनाज की उदार प्रदाय के बाद राज्य सरकारें अपने राज्यों में अनाज की प्राप्ति की रफतार धीमी न कर दें ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम देश में अनाज के कुल उत्पादन का और विशेष राज्यों में उस की कमी का हिसाब लगाते हैं और इस आधार पर आयातित गेंहू का बंटन करते हैं। इसी समय हम राज्य सरकारों को जोर देते हैं कि जहां तक सम्भव हो अपने राज्यों से ही इस की प्राप्ति करें।

श्री शं० ना० चतुर्वेदी : क्या विभिन्न राज्यों को अनाज के बंटन का कोई निर्धारित सूत्र है ? नहीं तो कुछ राज्यों में असंतोष हो जायेगा कि उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं होता है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने बंटन के आंकड़े विवरण में दे दिये हैं। माननीय सदस्य प्रत्येक राज्य की कमी से अवगत हैं। सदस्य शिकायत कर रहे हैं कि महाराष्ट्र को पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं दिया गया है। इस विवरण से जाहिर होगा कि महाराष्ट्र 1,040,000 टन अनाज लेकर सब से अधिक लाभ में है। इस विवरण में दूसरा नम्बर केरल का है जिस के सदस्य अभी कल ही अनुपूरक अनुदानों की चर्चा के दौरान शिकायत कर रहे थे कि उनके राज्य को पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं दिया गया है। केरल को 839,000 टन अनाज दिया गया है। इस के बाद पश्चिमी बंगाल का नम्बर आता है। मैं चाहता हूं कि सदस्य इस विवरण को पढ़ लें और यदि उनको यह प्रतीत हो कि वितरण असमान ढंग से किया गया है तो मैं इस पर ध्यान दूंगा।

Shri Bade : There is scarcity of wheat in Madhya Pradesh and the prices have increased very much. May I know whether it is due to the fixation of prices by the Madhya Pradesh Government?

Has the Central Govt. given any instructions it to the Madhya Pradesh Government or the prices have been fixed by the Madhya Pradesh Government themselv :s?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जो कदम आवश्यक हैं वे केन्द्र सरकार की सहमति से उठाये जा रहे हैं। मुख्य कठिनाई इस वर्ष वर्षा न होने से उत्पन्न हुई है क्योंकि फसल अच्छी होने की सम्भावना नहीं है। और कृषकों ने अपने भण्डारों को रोक रखा है। इस से कुछ हद तक कठिनाई उत्पन्न हो गई है।

डा० मा० श्री अणे : मुख्य प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है कि क्या मूल्य मध्य प्रदेश सरकार ने नियत किये थे ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरा विचार है कि मैं ने इस का उत्तर दे दिया है। मुख्य प्रश्न अधिकतम मूल्य नियत करने के बारे में था और कि क्या यह राज्य सरकार के परामर्श से नियत किये गये थे ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को मूल्य नियत करने के लिये कहा था या उसने अपने आप नियत किये थे।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम ने अधिकतम मूल्य नियत करने की बात राज्य सरकारों पर छोड़ दी थी कि वे मूल्य नियत करें या नहीं। परन्तु जो सरकारें अधिकतम मूल्य नियत करना चाहती थी उन में निश्चयन केन्द्र सरकार ने किया है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : जैसा कि विवरण में बताया गया है मध्य प्रदेश को गेहूं के प्रदाय के अलावा क्या मैं जान सकता हूं कि मध्यप्रदेश सरकार ने अतिरिक्त अनाज की मांग की है यदि हां तो इस अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किये हैं।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मध्य प्रदेश सरकार ने अभ्यावेदन दिया है कि अभाव की स्थिति के कारण कुछ और अनाज की आवश्यकता होगी। इस लिये हम उन को और आयातित गेहूं दे रहे है यद्यपि वह एक फालतू अनाज पैदा करने वाला राज्य है।

श्री बासप्पा : क्या मैं जान सकता हूं कि राज्यों को अनाज का बंटन करते समय इस बात को ध्यान में रखा गया है कि पिछले दो वर्षों में वर्षा न होने फसल अच्छी नहीं हो रही है। यदि हां तो मैसूर को केवल 176,000 टन क्यों दिया गया है? मैसूर राज्य की मांग कितने अनाज के लिये थी?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैसूर में अनाज की बहुत थोड़ी कमी है। यह कोटा उनसे परामर्श करके ही नियत किया गया है।

Shri Onkarlal Berwa : May I know to what extent the extra demand made by the Chief Minister of Rajasthan has been met or they have been allotted the original quota.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : राजस्थान के बारे में अलग प्रश्न है।

श्रीमती रामदुलारी सिंहा : क्या मैं जान सकती हूं कि यह सच है कि सारे बिहार में अधिक बाढ़ और प्रवृष्टि के कारण वहां के मुख्य मंत्री ने संघ मंत्रालय से तुरन्त आवश्यकताओं के पूरा करने के लिये एक लाख टन अनाज की मांग की है। यदि हां तो क्या इस मांग का सारा अनाज उन को भेज दिया गया है या अभी उस का कुछ भाग भेजा गया है यदि अभी कुछ भाग ही भेजा गया है तो शेष अनाज कब भेजा जायेगा?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं बिहार राज्य की मांग को अंशतः ही पूरा कर सकता हूं यह अंशतः केवल बिहार सरकार की मांग के सम्बन्ध से नहीं बल्कि विभिन्न राज्य सरकारों की मांग से हैं। यह मुख्यता इस कारण से है कि केन्द्र की प्राप्यता सीमित है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि वर्तमान स्थिति में अनाज का प्रदाय ठीक न होने के कारण राज्यों के बीच मूल्यों का पहले ही बहुत उतार-चढ़ाव हो रहा है? क्या मैं मन्त्री महोदय से यह आश्वासन ले सकती हूं कि वह राज्यों को प्रदाय ठीक ढंग से बनाये रखगे?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान कोई आश्वासन नहीं।

श्री दाजी : पाकिस्तानी, आक्रमण के फलस्वरूप हुई आपातकालीन स्थिति में माननीय मन्त्री ने घोषणा की है कि वह नगर जिन की जनसंख्या एक लाख से ऊपर राशन कार्ड तैयार रखें। क्या सरकार ने उन सारे नगरों, जिन के पास राशन कार्ड तैयार हैं, खाद्यान्नों के संभरण का प्रबन्ध कर लिया है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां संभरण के आधार पर ही राशन के प्रबन्ध किये जायेंगे।

Shri Madhu Limaye : The Hon. Minister has just now stated that demand for wheat and rice has increased due to the fact that purchasing power of the people has increased much. But whether the Hon. Minister is not aware of the fact that Jawar & Bajra are not available at the Government Ration Shops and their price is even higher even that Re. 1 per kilo. That is why people purchase more wheat and rice and not that their purchasing power has increased.

Mr. Speaker : Very Good.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker.

Mr. Speaker : You said the Hon. Minister knows this thing.

Shri Madhu Limaye : I asked a question.

Mr. Speaker : Whatever you said Hon. Minister is aware of that.

श्री अ० प्र० शर्मा : विवरण से पता चलता है कि जनवरी 1965 से अगस्त 1965 तक बिहार को 492.4 हजार टन दिये गये। राज्य सरकार की मांग क्या थी और उसमें से कितनी पूरी की गई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह प्रति माह विभिन्न होती है। मैंने सभी राज्यों की मांगों और उन को सम्भारण की स्थिति का अनुमान लगाया है। हमने 56 लाख टन दिये है परन्तु 90 लाख टन की मांग थी।

दिल्ली-भोपाल-इन्दौर-बम्बई सेवा

*605. **श्री विद्या चरण शुक्ल :** **श्री वाडीवा :**
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी : **श्री चाण्डक :**
श्री अ० सिं० सहगल : **श्रीमती मिनीमाता :**

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली–भोपाल–इन्दोर–बम्बई के बीच आने जाने वाली विमान सेवा बन्द करने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या असैनिक उड्डयन विकास निधि में से घाटा पूरा करने की गारन्टी के आधार पर इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को सहायता नहीं दी जा सकती ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) यह सेवा 1-4-63 से बन्द कर दी गयी क्योंकि कारपोरेशन को इससे लगातार भारी हानि होती रही।

(ख) इस सेवा के लिए नागर विमानन विकास निधि से आर्थिक सहायता नहीं ली जा सकती है। फिर भी, इन्दौर के रनवे को सुधारने के कार्यों के पूरे होने पर आई० ए० सी० अपनी बम्बई–इन्दौर–सेवा को भोपाल तक बढ़ा सकती है, इस प्रकार आई० ए० सी० इन्दौर–भोपाल क्षेत्र के लिए नागर विमानन विकास निधि से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के विमान सेवा कम से कम तीन बार आरम्भ की गई है और फिर बन्द कर दी गई है ; यदि हां तो ऐसा करने के कारण क्या हैं ?

श्री राजबहादूर : इस का कारण हानि है। हमने कई बार कोशिश की है परन्तु असफल हुए हैं। हमें हानि इस प्रकार हुई हैं : 1959-60 में (चार महीनों में) 2.15 लाख रुपये ; 1960-61 में 7.63 लाख रुपये ; 1961-62 में 6.93 लाख रुपये ; 1962-63 में 7.42 लाख रुपये।

हमने 1 अक्तूबर 1964 से कलकत्ता–जमशेदपुर–रांची–पटना–रूड़केला–रायपुर–भोपाल–रितती सेवा चालू की परन्तु 28 नवम्बर, 1964 को इसे बन्द करना पड़ा। इस में कुल 25 उड़ानों मे व्यय 3.56 लाख रुपये हुआ और आय केवल 73,000 रुपये रही। अर्थात् 2.83 लाख रुपये की हानि हुई।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या कोई ओर सेवा ऐसी नहीं है जो घाटे पर हो परन्तु उसे बन्द न किया गया हो? क्या सरकार इन्दौर सेवा के अतिरिक्त आगामी वर्षों में मध्य प्रदेश में कोई और सेवा चालू करेगी।

श्री राजबहादूर : हम मध्यप्रदेश की राजधानी को अन्य नगरों से विमान सेवा से जोड़ने के लिये उत्सुक हैं। परन्तु खर्चे तो पूरे करने होते है।

श्री दाजी : क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि हानि का कारण विमानों के आने जाने का समय ठीक नहीं था और यात्रियों का पूरा दिन व्यर्थ में जाता था। और लोग रेलगाड़ी द्वारा जल्दी पहुंच जाते थे। क्या सरकार ने प्रातः काल एक सेवा चालू करने के बारे में सोचा है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर विचार करना चाहिये।

श्री भानु प्रकाश सिंह : क्या सरकार या आई० ए० सी० की सेवाओं को समूचे रूप से लाभ तथा हानि की दृष्टि से नहीं चलाती या वे सेवायें पृथक रूप से देखी जाती है? क्या सरकार कुछ ऐसी पृथक सेवाओं चालू नहीं रख सकती जो हानि में हों?

श्री राजबहादूर : हम सेवाओं के महत्व को ध्यान मे रखते हैं चाहे उनमे कुछ हानि भी क्यों न हो। भोपाल के बारे में बात यह है कि वहां से बम्बई और दिल्ली के लिये सीधी रेल सेवायें उपलब्ध है जिन में यात्रा सुखद रहती है।

Shri Tulsi Das Jadhav : Sholapur is on Delhi-Hyderabad air route. Will it be made a stopping point for planes?

Shri D. S. Patil : You take the question losses everywhere. Is it due to this that Delhi-Nagpur service has been discontinued?

Shri Raj Bahadur : Delhi-Nagpur is not concerned in this question.

श्री जोकीम आल्वा : क्या यह गैर-सरकारी चालकों को देने के लिये तो नहीं?

श्री राज बहादूर : जी नहीं, ऐसा इरादा नहीं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मंत्री महोदय ने कहा है कि भोपाल रेल सेवा द्वारा अन्य नगरों से जुड़ा हुआ है अतः विमान सेवा इतनी आवश्यक नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन नगरों की ओर भी ध्यान दिया गया जहां पर रेल सुविधायें ठीक प्रकार उपलब्ध नहीं है?

श्री राज बहादूर : हमें जोधपुर का भी ध्यान है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : विमान सेवा एक सार्वजनिक उपयोगियता सेवा है। जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है कि इस सेवा के कारण 3 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी है। खजुराहो जैसे पर्यटन केन्द्रों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार विमान सेवा का लाइसेंस गैर-सरकारी लोगों को देने पर सोच रही है?

श्री राज बहादूर : खजुराहो के लिये एक विशेष पर्यटक विमान सेवा है।

उच्च न्यायालयों द्वारा निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई

*606. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है कि भविष्य में उच्च न्यायालय निर्वाचन याचिकाओं की मूल मामलों के रूप में सुनवाई करें; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले पर कोई विनिश्चय करना तभी सम्भाव्य होगा जब कि निर्वाचन आयोग प्रस्थापना के ब्यौरे तैयार कर लेगा। प्रस्थापना इस समय आयोग के विचाराधीन है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : ऐसी निर्वाचन याचिकाओं की संख्या क्या है जो इस समय उच्च न्यायालयों तथा निर्वाचन न्यायाधिकरणों के पास लम्बित हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : 52 ऐसी याचिकायें अभी लम्बित हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार ने अनुमान लगाया है कि जब उच्च न्यायालय सीधे निर्वाचन याचिकायें सुनेंगे तो कितने और न्यायाधीशों की आवश्यकता होगी ?

श्री जगन्नाथ राव : उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा निर्वाचन याचिकाओं के सुनने का प्रश्न अभी विचाराधीन है। न्यायाधीशों की संख्या का प्रश्न उसके बाद आयेगा।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि 1962 के निर्वाचन के समय भी 1957 के निर्वाचन के बारे में एक निर्वाचन याचिका लम्बित थी–मैं श्री प्रताप सिंह कैरों के निर्वाचन के विरुद्ध याचिका का उल्लेख कर रहा हूं–यदि हां, तो उस याचिका पर असामान्य विलम्ब के क्या कारण थे ?

अध्यक्ष महोदय : सरदार प्रताप सिंह कैरो की मृत्यु हो चुकी है। हमें उसके बारे में नहीं पूछना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने तो केवल ऐसी याचिकाओं पर विलम्ब की बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यहां प्रश्न यह है कि क्या उच्च-न्यायालय निर्वाचन याचिकाओं के मूल मामलों को सुने या नहीं।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं नहीं जानता आपने इस प्रश्न पर यह रवैया क्यों अपनाया है। मैंने तो केवल एक उदाहरण दिया है। पांच वर्ष का विलम्ब असाधारण है। इसके क्या कारण है ? चुनाव याचिकायें 5 वर्ष से अधिक समय से लम्बित है। इतने विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन): इसका इसी सभी सात बार उत्तर दिया गया है। विलम्ब का कारण यह था कि उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई को एक न्यायधीश से दूसरे न्यायधीश पर स्थानान्तरित कर दिया था।

अध्यक्ष महोदय : इस का एक से अधिक बार उत्तर दिया जा चुका है।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या माननीय मंत्री इस बात को स्पष्ट करेंगे कि क्या उच्च न्यायालय के निवृत्ति प्राप्त न्यायाधीशों को निर्वाचन न्यायाधिकरण पर लिया जायेगा या वर्तमान उच्च न्यायालय ही मूल मामलों की सुनवाई करेंगे।

श्री जगन्नाथ राव : प्रस्ताव तो यह है कि क्या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश ही को ही निर्वाचन न्यायाधिकरण बनाया जाये।

कारवार बन्दर गाह

*607. **श्री कपूर सिंह :**
श्री सोलंकी :
श्री गूलशन :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कारवार का बारहमासी बन्दरगाह के रूप में विकास किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो विकास-कार्य पूर्ण हो जाने पर इस बन्दरगाह में किस किस्म के जहाज आ सकेंगे; और

(ग) यह कार्य कब पूरा हो जायेगा तथा इस पर कितना व्यय होगा ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर):(क) से (ग) : इस वक्त कारवार मौसमी पत्तन है और मौजूदा सुविधाओं को सुधारने के लिए तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के केन्द्रीय क्षेत्र में राज्य सरकार को 21.32 लाख रुपया ऋण अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है। राज्य सरकार ने कारवार को बारहमासी पत्तन के रूप में विकसित करने के लिए एक योजना तैयार की है जिस की अनुमानित लागत दो करोड़ रुपया है। इस योजना की जांच की जा रही है।

श्री कपूर सिंह : पूर्ण रुप से विकसित कारवार बन्दरगाह का हमारे विदेशी व्यापार के लिये क्या महत्व होगा ?

श्री राज बहादूर : इस समय इस की क्षमता 150,000 टन माल और 32,000 यात्रियों की है। जब इसके विकास का पहला चरण पूरा हो जायेगा तो इस में पांच लाख टन की वार्षिक वृद्धि होने की आशा है। उस समय यह बारहमासी बन्दरगाह होगी।

श्री जोकीम आल्वा : क्या मंत्रालय ने नौपरिवहन बोर्ड के अध्यक्ष श्री रघुनाथ सिंह के इस महत्वपूर्ण सुझाव पर विचार किया है कि इस बन्दरगाह को पोतनिर्माण का यार्ड बनाया जाये और इस बारे में कारवार के स्थान पर मंगलौर की प्राथमिकता क्यों दी जा रही है ?

श्री राज बहादूर : राष्ट्रीय नौपरिवहन बोर्ड के अध्यक्ष श्री रघुनाथ सिंह ने बहुत से सुझाव दिये है।

Shri Gulshan : After the completion of this scheme what items will be imported and exported from this port?

Shri Raj Bahadur : The main export item would be iron ore, but for this a line will be required and a big port would be needed.

भारतीय जहाजों में पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न का आयात

*608. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत अमरीका से खाद्यान्न का आयात करने के लिये भारतीय जहाजों को प्रयोग में लाने की बातचीत किस अवस्था में है ;

(ख) क्या यह सच है कि खाद्यान्न का भाड़ा कम होने के कारण भारतीय जहाज-रानी कम्पनियां खाद्यान्न के मुकाबले अन्य माल ढोना अधिक पसन्द करती है; और

(ग) अमरीका से गेहूं के आयात को जापान और यूरोप को लोहअयस्क के निर्यात के साथ जोड़ने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ग) : सारा मामला अभी सरकार के विचाराधीन है और संबन्धित मंत्रालयों से परामर्श लेने के बाद शीघ्र निर्णय किये जाने की संभावना है ।

(ख) जी हां ।

श्री स० चं० सामन्त : पिछले दो सालों में भारतीय जहाजों ने कितने खाद्यान्न ढोये और उनके द्वारा अमरीका से खाद्यान्न ढोने की क्या आशा है ?

श्री राज बहादूर : जहां तक पड़ोसी देशों जैसे बर्मा, थाइलैंड आदि से खाद्यान्न ढोने का प्रश्न है, अधिकांश माल भारतीय जहाजों द्वारा ही ढोया गया परन्तु अमरीका से खाद्यान्न लाने में इन्हें प्रयोग में नहीं लाया गया क्योंकि इनके लिये वापसी पर ढोने के लिये सामान नहीं होता ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या गैर सरकारी कम्पनियों को कोई वित्तीय सहायता की पेशकश की गई है जो आवश्यकता के समय कम भाड़े पर भी माल ढोने के लिये तैयार है ?

श्री राज बहादूर : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । इस में कोई सन्देह नही कि सरकार ऐसी योजनाओं पर विचार करेगी ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : How much foodgrains were brought at various ports and the quantity became useless as a result of industrial disputes? What steps have been taken by Government to ensure that that does not recur?

Shri Raj Bahadur : Foodgrains becoming useless does not concern here. If there has been it is insignificant. I have no knowledge of the same.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब तक हम स्वयं भारतीय जहाज़ो द्वारा खाद्यान्नों ढोने के योग्य नहीं होते, हमें कितनी विदेशी मुद्रा अदा करनी होगी और अमरीकी नौपरिवहन कम्पनियो को कितनी राशि डालरों मे देनी होगी ?

श्री राज बहादूर : वह आयात किये जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा पर निर्भर करता है । मेरे विचार में 10 लाख टन खाद्यान्नों के परिवहन पर 6 करोड़ रुपये व्यय होते है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : यदि जापान से खाद्यान्नों के आयात और उस देश को कच्चे लोहे का निर्यात जोड़ दिये गये तो इस सम्बन्ध में वित्तीय शर्तें क्या होगी ?

श्री राज बहादूर : इस बारे में शर्तें तय हो रही हैं। इसी पर अभी निर्णय होना है।

कच्चे पटसन का उत्पादन

***609. श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
डा० रानेन सेन :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखा के कारण देश के पूर्वी भाग में कच्चे पटसन के उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) सूखे के कारण भी कच्चे पटसन के उत्पादन पर कुछ प्रभाव पड़ा है ।

(ख) पश्चिम बंगाल, बिहार में कोसी नहर के क्षेत्रों तथा उड़ीसा में हीराकुड़ परियोजना के क्षेत्र में गहरे नलकूपों के क्षेत्रों में सिंचित परिस्थितियो के अन्तर्गत पटसन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : पश्चिमी बंगाल में तृतीय योजना काल मे कितने नलकूप लगाये जा चुके हैं ?

श्री शाहनवाज़ खान : यह कार्य राज्य सरकार का काम है । इसलिये यह जानकारी राज्य सरकार से मंगाई जा सकती है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : सिंचाई की छोटी सिंचाई योजनायें दोषपूर्ण हैं । इस लिये सूखे के समय पटसन के अतिरिक्त अन्य फसलों को भी हानि होती है । सरकार छोटी सिंचाई योजनाओं के समय में ही पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शाहनवाज़ खां : सरकार इन सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है । राज्य सरकारों को इस बारे में कार्य की पूर्ति के लिये जितने धन की आवश्यकता हो व्यय करने को कहा गया है ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि पाकिस्तान मे हमारे देश से 50 से 70 प्रतिशत तक उत्पादन अधिक है, यदि हां, तो सरकार उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शाहनवाज़ खां : अच्छी सिंचाई सुविधायें, अच्छे बीज और अधिक खाद उपलब्ध कर के हम उत्पादन बढ़ाने के लिये हर प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं ।

Shri K. N. Tiwary : Is it due to unremunerative prices that the production of raw has gone down?

If so, what steps are being taken to ensure good prices for the farmers.

Shri Shahnawaz Khan : There is a Jute Committee, which fixes the price. The prices are not less.

श्रीमती रेणुका राय : क्या सरकार को मालूम है कि पश्चिमी बंगाल सरकार को खाद्यान्नों के क्षेत्रों (ज़ोनज़) की नीति के कारण पटसन के स्थान पर अधिक भूमि चावल के उत्पादन के लिये प्रयोग मे लानी पड़ती है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध कुछ करेगी ताकि पटसन से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती रहे ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम पटसन के अधिक उत्पादन को बहुत प्रोत्साहन दे रहे है क्योंकि इसे हमे विदेशी मुद्रा के कमाने के लिये चाहते है । इसी कारण हम पश्चिमी बंगाल को बाहर से पर्याप्त मात्रा में गेहुं और चावल भेजते है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय विमान निगम कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार काम की मांग

*610. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री काजरोलकर :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विमान निगम कर्मचारी संघ ने यह धमकी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे 'नियमानुसार तथा व्यवसायानुसार कार्य करो' आन्दोलन आरम्भ करेंगे;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) से (ग): इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की स्टाफ यूनियनो में से एक ने कुछ अनिर्णित मांगों और मामलों के सिलसिले में 15 अगस्त, 1965 से "नियम के मुताबिक काम" और "व्यवसाय के मुताबिक काम" करने का तरीका अपनाने की धम्की दी थी। यनियन के साथ एक बैठक में, प्रबन्धकों द्वारा की जा रही कार्यवाही बतलायी गयी। इसलिए यूनियन ने "नियम के अनुसार काम" करने की धमकी वापस लेली।

Report on 1962 General Eelections

*611. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) Whether the Election Commission has submitted its report regarding the last General Elections;

(b) If so, the salient features thereof; and

(c) The amendment proposed to be made by Government in the Representation of the people Act, 1950 on that basis?

The Minister of Law (Shri A. K. Sen) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

राष्ट्रीय खाद्य नीति

*612. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हाल ही में नियुक्त की गई उच्चस्तरीय समिति द्वारा राष्ट्रीय खाद्य नीति की रूपरेखा तयार किये जाने के बदले अथवा बाद में संसद में विरोधी दलों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाने का है, जैसा कि सितम्बर, 1964 में सरकार ने वायदा किया था और जिसे दिसम्बर, 1964 में दोहराया था;

(ख) यदि हां, तो यह सम्मेलन सम्भवत: कब बुलाया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) : अप्रैल, 1965 में खाद्य स्थिति की समीक्षा संसद में पेश की गयी थी। पुनः चालू सत्र में संसद में खाद्य स्थिति की समीक्षा पेश की गयी है। सदस्यों को सदन में अविश्वास प्रस्ताव में खाद्य नीति पर वादविवाद करने का अवसर मिला था। मेरे सहयोगी योजना मन्त्री ने लोक सभा में 17 अगस्त, 1965 को दिये अपने वक्तव्य में अध्यक्ष से प्रार्थना की थी कि चौथी पंचवर्षीय योजना के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिये पांच संसदीय समितियां गठित की जाएं। इन प्रस्ताविक समितियों में एक समिति कृषि और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के लिये थी। इन समितियों में विरोधी सदस्यों का प्रतिनिधित्व रहेगा और इस समिति में खाद्य तथा कृषि नीति के प्रत्येक पहलू पर चर्चा करने की पूरी पूरी गुंजाइश होगी।

तथापि, मौजूदा संकट की स्थिति में आपात खाद्य योजना पर चर्चा करने के लिये सरकार का बहुत जल्द ही संसद में सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाने का विचार है।

Export of Sugar

*613. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) The quantity of sugar likely to be produced this year;

(b) The reasons for the continuance of control on sugar in spite of the production being in excess of consumption;

(c) Whether the export of sugar has increased; and

(d) If so, the extent and the sale proceeds thereof?

The Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam) : (a) About 32 lakh tonnes.

(b) Although the production of sugar has gone up, there is need to build a buffer stock of sugar to stabilise the position. Building up of buffer stock is not possible without continuance of regulations on distribution of sugar. Since Sen Commission's terms of reference cover pricing, licensing and distribution policy, it is likely that it will express its views on the question of controls also. These views will be given careful consideration by Government while taking a decision in this matter.

(c) and (d). Commitments have been made so far for export of 2·62 lakh tonnes of sugar in 1965 as against 2·34 lakh tonnes exported in 1964. Further sales are under consideration. Total sale proceeds on export of 2·62 lakh tonnes are estimated at Rs. 10·7 crores.

अमरीका जाने वाले माल के विदेशी भाड़े में वृद्धि

*614. **श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी जहाज मालिकों ने अमरीकी बन्दरगाहों को जाने वाले माल पर भाड़े की दर अक्तूबर से, 7.5 प्रतिशत बढ़ाने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसका हमारे निर्यात वृद्धि कार्यक्रम पर प्रभाव पडेगा?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) प्रत्यक्षतः प्रश्न कर्ता का आशय पोत-वणिक से नहीं किन्तु पोत-मालिकों से है जो भारत से अमेरिका के व्यापार में सहायता करते हैं। यह तथ्य है कि इन पोत मालिकों ने अभी हाल ही में अमेरिका के पतनों को जाने वाले माल पर भाड़े की दरों में, 11 अक्टूबर

1965 से कलकत्ता और भारत के पूर्व तट से पोतलदान में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि और पश्चिम तट से पोतलदान में 10 प्रतिशत की वृद्धि की है।

(ख) हमारे निर्यात प्रवर्तन कार्यक्रम में यह वृद्धि किस सीमा तक प्रभाव डालेगी यह देखा जाना है। परिवहन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि इस मामले पर शीघ्र ही अमरीकी सम्मेलन में विचार विमर्ष करेगा।

क्रीम रहित दूध पाउडर

*615. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन परिस्थितियों का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई है जिनमें दिल्ली दुग्ध योजना का 11.86 मीट्रिक टन क्रीम रहित दूध पाउडर आदमियों तथा पशुओं के प्रयोग योग्य नहीं रहा और परिणामतः नष्ट करना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या दूध पाउडर खराब होने देने के लिये किसी को दोषी ठहराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : जी हां। यह दुग्ध चूर्ण जिसमें जले अपखण्डन तथा ठोस बट्टियां थीं दुग्ध चूर्ण के उत्पादन की क्रियाविधि के समय प्राप्त हुआ और उसके बारे में असामान्यता कुछ नहीं है। इस चूर्ण के उत्पादन में किसी की भूल नहीं है।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं होते।

चीनी का कारखाना-द्वार मूल्य

*616. **श्री द० व० राजू** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 अगस्त, 1965 के भारत के गजट में सरकार द्वारा घोषित चीनी का उच्चतम कारखाना-द्वार मूल्य सम्बन्धित प्रदेश में चीनी की उत्पादन लागत पर आधारित है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक प्रदेश में चीनी की उत्पादन लागत क्या है; और

(ग) प्रत्येक प्रदेश के लिये मूल्य निर्धारित करने में उद्योग को प्रति मन चीनी पर कितना मुनाफा दिया गया है।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां। अधिसूचित भाव उत्पादन की अनुमानित लागत पर आधारित होते हैं।

(ख) अनुमानित परिकलित लागतें लगभग 6 अगस्त, 1965 को अधिसूचित भावों जैसी ही हैं। अधिसूचना की एक प्रति सभा के पटल पर रखी जाती है।

(ग) टरिफ आयोग लागत सूची पत्रकों में लाभ गुंजाइशों के लिये अलग से व्यवस्था नहीं होती है। इन सूची-पत्रकों में लगी हुई पूंजी पर 12 प्रतिशत की आय की व्यवस्था होती है और यही अधिसूचित भावों में शामिल की जाति है।

Supply of Imported Wheat to Maharashtra State

*617. **Shri D. S. Patil :**
Shri Shivaji Rao S. Deshmukh :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Government of Maharashtra have requested the Central Government to increase the supply of imported wheat to that State immediately to enable them to meet the food crises which has arisen this year due to the failure of winter rains;

(b) if so, the quantity of wheat asked for; and

(c) the quantity of wheat actually supplied so far and expected to be supplied to that State ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam) : (a) and (b). No food crises was created by failure of winter rains in Maharashtra this year. Winter rains in Maharashtra this year were below normal only in one of the four rain-fall regions. Total production of foodgrains in Maharashtra this year was also substantially higher than that of last year. Maharashtra asked for the supply of 1 lakh tonnes of imported wheat per month.

(c) During the period January to August 682·5 thousand tonnes of imported wheat has been supplied to Maharashtra. Future supplies will depend upon availability and total requirements of all the States, including Maharashtra.

राजस्थान में दुर्भिक्ष

*618. **श्री शिव चरण माथुर :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान राज्य में बहुत से जिलों में खरीफ की फसल, समाचारानुसार खराब होने के कारण गंभीर दुर्भिक्ष की स्थिति पैदा हो गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से पर्याप्त सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) राज्य सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। फिर भी राज्य में कुछ क्षेत्रों को कमी वाले क्षेत्र घोषित किया गया है।

(ख) से (घ) : राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने प्रार्थना की थी कि राज्य के 5000 टोन्ज़ के कोटा के अतिरिक्त अगस्त, 1965 के लिए 10,000 टोन्ज़ गेहूं की अलाटमैन्ट की जाये और यदि ऐसा न हो सके तो सितम्बर 1965 में 15,000 टोन्ज़ गेहूं की अलाटमैन्ट हो। सितम्बर, 1965 के लिए 10,000 टोन्ज़ गेहूं का कोटा राजस्थान राज्य को केन्द्रीय स्टाक से अलाट कर दिया गया है। लगभग 1,000 टोन्ज़ आयातित गेहूं प्रति मास राज्य के रोलर फ्लोर मिलों को सप्लाई किया जाता है, यह अलाटमैन्ट इस सप्लाई के अतिरिक्त है।

1963-64 तथा 1964-65(अगस्त, 1965 तक) के दौरान कमी होने पर सहायता के लिये जो खर्च हुआ उसके लिए 12 अप्रैल, 1965 को राजस्थान सरकार को 90 लाख रुपये का एक ऋण भी स्वीकृत किया गया था। यह ऋण 374.09 लाख रुपये की कुल आर्थिक सहायता जो 1963 से उपरोक्त कार्य के हेतु खर्च करने के लिये है का एक भाग है।

Production of Sugar

*619. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :
Shri Surendra Pal Singh :
Shri S. C. Samanta :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri Subodh Hansda :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) the figures of sugar production till the 31st July, 1965, State-wise, in comparison to those of last year;

(b) whether it is a fact that the total crushing capacity of the various mills is not sufficient for crushing the sugar-cane likely to be produced;

(c) whether it is also a fact that a large quantity of sugar-cane is likely to be left uncrushed in Bihar; and

(d) if so, the scheme being formulated by Government so that the whole quantity of sugar-cane is crushed during 1965 ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam) : (a) A statement giving the required information is placed on the table of the Sabha. **[Placed in the Library.** *See* **No. LT-4845/65.]**

(b) No Sir.

(c) No Sir. All available cane has already been crushed in the current season.

(d) Does not arise.

खाद्य जहाजों पर विलम्ब शुल्क

*620. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री प्र० र० चक्रवर्ती :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को इस वर्ष विदेशों से अनाज लाने वाले जहाजों को भारतीय बन्दरगाहों में रोके रखने के लिये विलम्ब शुल्क के रूप में काफी बड़ी रकम देनी पड़ी;

(ख) यदि हां, तो 1965 में अब तक विलम्ब शुल्क के रूप में कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ग) इस हानि को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) तेजी से अनाज उतारने की क्या योजनायें हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : भारत की सभी बन्दरगाहों पर जनवरी, 1965 से 31 जुलाई, 1965 तक की अवधि में जो खाद्यान्नों के जहाज आये थे उन पर विलम्ब शुल्क के रूप में लगभग 13.46 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। इन पर, इसी अवधि में लगभग 24 लाख रुपये शीघ्रता पुरस्कार के रूप में प्राप्त होने का अनुदान है। अतः उपर्युक्त अवधि में निबल शीघ्रता पुरस्कार लगभग 10 लाख रुपये हुआ था।

(ग) निम्नलिखित कदम उठाये गये थे जिससे कम से कम विलम्ब शुल्क देना पड़े :—

1. बन्दरगाह पर जहाजों की भीड़ भाड न हो और कम से कम विलम्ब शुल्क देना पड़े, इसके लिये जहाज एक बन्दरगाह से दूसरी बन्दरगाह को मोड़ दिये गये थे ।

2. जहाज़ों से जल्दी जल्दी अनाज उतारने और जहाज पर शीघ्रता से फर लगाने के लिये अनाज उतारने की बहुत सी वायवीय मशीनें खरीदी गयी हैं और बम्बई और काण्डला बन्दरगाहों पर स्थापित की गयी हैं ।

3. प्रमुख बन्दरगाहों पर अनाज की निकासी में सुधार करने के लिये बम्बई, मद्रास और बिजगा की बन्दरगाहों पर ठेकेदारों द्वारा निकासी की प्रणाली बन्द कर दी गयी है और यह कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

4. सरकार की ओर से टैंकरों से अनाज उतारने के लिये मद्रास की बन्दरगाह पर अनाज उतारने की वायवीय पद्धति शुरू की गयी है ।

5. कलकत्ता पर मैरीन लैग लगायी गयी है । आशा है कि यह निकट भविष्य में काम शुरू कर देगी ।

(घ) विभिन्न विकल्पों जैसे कि साइलो लगाने, बहुत तेजी से माल उतारने वाले उपकरण आदि पर विचार हो रहा है ।

दूध की मिठाइयों के वितरण पर प्रतिबन्ध

*621. **श्री कपूर सिंह :**
श्री सोलंकी :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सामाजिक समारोहों में दुध से बनी मिठाइयों के वितरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है;

(ख) इस आदेश से दिल्ली दुग्ध योजना को अधिक मात्रा में दुध प्राप्त करने में कितनी सहायता मिली है; और

(ग) क्या इसका कोई अनुमान लगाया गया है कि साधारण रूप में तैयार होने वाली मिठाइयों और सामाजिक समारोहों के लिये तैयार होने वाली मिठाइयों में कितना कितना दुध प्रयोग होता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) : दिल्ली प्रशासन ने आदेश जारी किया है जिस के द्वारा खोया या खोये, चने, रबड़ी और खुरचन से बनी हुई मिठाईयों को सामाजिक समारोहों में वितरण करना वर्जित किया गया है ।

(ख) पिछले कुछ महीनों में दुध को प्राप्त करने की स्थिति में सुधार हुआ है । इस प्रतिबन्ध का इस सुधार पर कितना प्रभाव पड़ा है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) सामाजिक समारोहों में वितरण के लिये मिठाई बनाने के लिये कितना दुध प्रयोग होता है इस बारे में कोई निश्चय-जनक अनुमान नहीं लगाया जा सकता । किन्तु फिर भी यह अनुमान है कि शहर में मिठाइयां बनाने के लिये 2000 मन दुध की प्रतिदिन खपत है ।

कृषि-उत्पाद के लिये सहायक मूल्य

*622. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :**
श्री दे० शि० पाटिल :
श्री तुलशीदास जाधव :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि-जन्य उत्पाद के सहायक मूल्य निर्धारित करने का क्या आधार है;

(ख) इस सम्बन्ध में किन बातों पर विचार किया था; और

(ग) मूल्य ढांचा कसे तैयार किया गया।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) :

विवरण

विश्वसनीय तथा विस्तृत दित्ते की अनुपलब्धि के कारण कृषि मूल्य आयोग अभी तक न्यूनतम मूल्यों के उपयुक्त स्तर निर्धारित करने के लिये किसी वैज्ञानिक आधार का विकास नहीं कर सका है। परन्तु जहां तक 1965-66 के मौसम के खरीफ धान्यों का सम्बन्ध है आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अनुभाग 1 के पैरा 4–15 में सिफारिश की है कि मामूली समायोजन के साथ वही मूल्य जारी रहने चाहियें जिनकी घोषणा 1964-65 के मौसम के लिये की गई थी। 30 अगस्त, 1965 को रिपोर्ट संसद सदस्यों में परिचारित की गई थी।

इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के डकोटा विमानों का स्थानापन्न

*623. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रा० बरुआ :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने विद्यमान डकोटों विमानों को बन्द करके उनके स्थान पर किसी अन्य किस्म के विमानों को चलाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) और (ख) : डकोटाओं को बदलने की आवश्यकता को इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन ने कई वर्ष पहले स्वीकार कर लिया था। जैसे ही वे क्षेत्रीय मार्गों के लिये अवरो-748 सीरीज ii या अन्य उपयुक्त विमानों को प्राप्त कर सकेंगे वैसे ही कारपोरेशन का विद्यमान डकोटा विमानों का बेडा बदल दिया जायेगा।

गोंडा संसदीय चुनाव

*624. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या विधि मंत्री 17 अगस्त 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 41 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोंडा संसदीय चुनाव की जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य उप-पत्तियां और निष्कर्ष क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार जांच का काम पूरा होने के लिये कोई अन्तिम तिथि निर्धारित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) : जी नहीं। इस प्रकार की जांच में जांच का काम पूरा होने के लिये कोई अन्तिम तारीख निर्धारित करना संभव नहीं है।

न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का सिद्धांत

*625. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने ज्वार, बाजरा तथा मक्का जैसे खरीफ फसल के अनाजों के 1965-66 की फसल के लिए न्यूनतम सहायक मूल्य निर्धारित करने का उचित सिद्धांत बना लिया है;

(ख) यदि हां, तो वह क्या है; और

(ग) क्या इन अनाजों के न्यूनतम भाव निर्धारित कर दिये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) : विश्वसनीय तथा विस्तृत दत्तें की अनुपस्थिति में कृषि मूल्य आयोग अभी तक उचित न्यूनतम मूल्यों के लिये वैज्ञानिक आधार तैयार नहीं कर सका है। परन्तु आयोग ने सिफारिश की है कि 1965-66 के खरीफ धान्यों के लिये संशोधन के पश्चात् वे न्यूनतम मूल्य जारी रहने चाहियें जोकि 1964-65 के मौसम के लिये घोषित किये गये थे। सरकार ने आयोग की सिफारिशों के आधार पर जून 1965 में ज्वार, बाजरा तथा मकई के लिये जो न्यूनतम मूल्य घोषित किये थे, निम्न प्रकार हैं:—

मोटे धान्य	किस्म	1965-66 के लिए न्यूनतम मूल्य (रुपए प्रति क्विन्टल)	
ज्वार	येल्लो	38.00	(लाल किस्म के लिये उचित छूट तथा सफेद किस्म के लिए प्रीमियम की व्यवस्था सहित)
बाजरा	एफ० ए० क्यू०	40.00	
मक्का	एफ० ए० क्यू०	36.00	

कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट की प्रतियां पहले ही संसद सदस्यों को भेज दी गई हैं।

चुनाव याचिकायें

*626. **श्री विभूति मिश्र** :
श्री न० प्र० यादव :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री हम राज :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962 में विधान सभाओं तथा लोक-सभा के लिये हुए आम चुनाव के पश्चात् कितनी चुनाव याचिकाएं दायर हुई हैं;

(ख) कितनी चुनाव याचिकाएं निपटाई जा चुकी हैं;

(ग) अब तक कितनी चुनाव याचिकाएं नहीं निपटाई गयी हैं; और

(घ) क्या सरकार का वर्तमान अधिनियम में ऐसा कोई संशोधन करने का सुझाव देने का विचार है जिससे कि चुनाव याचिकाएं कम से कम समय में निपटाई जा सकें ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) पिछले साधारण निर्वाचन के पश्चात् विधान सभाओं से सम्बद्ध 326 और लोक सभा से सम्बद्ध 48 चुनाव याचिकाएं 31 अगस्त, 1965 तक दायर की की गई ।

(ख) 356 चुनाव याचिकाएं निपटाई जा चुकी हैं ।

(ग) 18 चुनाव याचिकाएं अभी तक लम्बित हैं ।

(घ) यह विषय विचाराधीन है ।

भाड़ा बिलों का विदेशी मुद्रा में भुगतान

*627. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा में भुगताया जाने वाला भाड़ा बिल प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है ?

(ख) यदि हां, तो 1962 से 1965 में अब तक की अवधि में अब तक भाड़ा बिल के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा का भुगतान किया गया है; और

(ग) देश की अर्जित विदेशी मुद्रा के इस व्यय को रोकने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर): (क) जी हां ।

(ख) आयातित माल पर विदेशी नौवहन/वायु कम्पनियों को 1962 और 1963 में क्रमश: 69.7 और 78.7 करोड़ रुपया भाड़ा दिया गया। आयातित माल के विषय में 1964 और 1965 की सूचना उपलब्ध नहीं है। चूंकि निर्यात पर भाड़ा आवश्यक तौर पर दो अनिवासियों के बीच का सौदा होता है अत: यह भुगतान की मद नहीं समझी जा सकती है ।

(ग) जहां तक नौवहन का संबंध है, भारतीय टन भार को अधिकतम संभव सीमा तक बढ़ाने के उपाय किये गये हैं और किये जा रहे हैं। जहां तक वायु मार्ग से माल ले जाने का संबंध है, जहां तक संभव होता है माल भारतीय वायुयानों में ले जाया जाता है ।

मंगलौर बन्दरगाह

*628. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर बन्दरगाह बनाने के लिये अब स्थान बदल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कहां बदला गया है और स्थान परिवर्तत करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस परियोजना के लिये मूलत: अर्जित की जाने वाली भूमि का अनुमान बदल दिया गया और यदि हां, तो किस के द्वारा और उसके क्या कारण हैं;

(घ) प्राप्त हुए उन अभ्यावेदनों का सारांश क्या है जिनमें और भूमि अर्जित करने का विरोध किया गया है एवं वैकल्पिक सुझाव दिये गये हैं; और

(ङ) इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर : (क) से (ङ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4896/65।]**

अल्लप्पी निर्जल गोदी, केरल

2065. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अल्लप्पी निर्जल गोदी के लिये अपेक्षित उपकरणों तथा पुर्जों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा मांगी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां पर मिट्टी हटाने वाली आठ मशीनें (ड्रेजर) पड़ी हुई हैं जिनकी मरम्मत करवाने की जरूरत है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना भेजने के लिये निवेदन किया गया है और प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

कुरुमाली (केरल) में सड़क का पुल

2067. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में कुरुमाली में राष्ट्रीय राजपथ पर सड़क का पुल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो काम कब आरम्भ किया जायेगा; और

(ग) इस कार्य पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी हां।

(ख) कुरुमाली पर एक सड़क पुल निर्माण की योजनाओं और अनुमानों की जांच की जा रही है और उन्हें शीघ्र ही मंजूर कर दिया जायेगा। उसके बाद टेंडर आमंत्रित करके इस निर्माण कार्य का ठेका दे दिया जायेगा।

(ग) लगभग 15 लाख रुपया जिस में पहुंचमार्गों की लागत भी शामिल है।

केरल के वकीलों के लिये भविष्य निधि योजना

2068. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **विधी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल वकील परिषद ने केरल राज्य के वकीलों के लिये भविष्य निधि योजना लागू किये जाने के सम्बंध में एक योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) केरल राज्य में ऐडवोकेटों के लिए भविष्य निधि बनाने की एक योजना राज्य वकील परिषद द्वारा केरल राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई थी।

(ख) राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि योजना का बनाया जाना इस समय आस्थगित रखा जाए ।

Tribal Development Block in Spiti Valley

2069. Shri Hem Raj : Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to set up a Tribal Development Block in the Spiti Valley; and

(b) if so, when it is likely to be started and the expenditure to be incurred thereon ?

The Deputy Minister in the Department of Social Security (Smt. Chandrasekhar) : (a) Yes, Sir.

(b) The Tribal Development Block at Spiti was started in April, 1965 and an amount of Rs. 2 lakhs is likely to be spent on it during 1965-66 from the funds available in the Backward Classes Sector.

उड़ान क्लब

2070. श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1964-65 में विभिन्न राज्यों के उड्डयन क्लबों के माध्यम से भारतीय वायु सेना में भरती के लिये पर्याप्त रिजर्व कायम करने में, अब तक राज्यवार, कितनी सफलता मिली है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : भारतीय वायुसेना में भरती के लिये प्रशिक्षित व्यक्तियों को उपलब्ध करने की एक योजना 1963 में दस फ्लाइंग क्लबों में लागू की गयी थी । 1963-64 के वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत इन क्लबों में से प्रत्येक में फ्लाइंग प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की संख्या और उपर्युक्त वर्ष इसी योजना के अन्तर्गत फ्लाइंग प्रशिक्षण समाप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्या विवरण में दी गयी है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी-4847/65।]**

लक्कादीव द्वीपसमह में बन्दरगाह

2071. श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र लक्कादीव द्वीपसमूह में कुछ बन्दरगाह बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो वे कहां कहां बनाये जायेंगे ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) : जी हां । यह प्रस्ताव विचाराधीन है ।

केरल हरिजन कल्याण विभाग

2072. श्री म० प० स्वामी : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जून, 1965 के केरल सरकार के राजपत्र में प्रकाशित 21 मई, 1965 के सरकारी आदेश (जी० ओ०) आर० टी० संख्या 851/65 रैव० में केरल की बागान बस्तियों के स्कूलों के विद्यार्थियों को दी गई रियायतों का उल्लेख किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो केरल हरिजन कल्याण विभाग ने वे रियायतें देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना केरल सरकार द्वारा एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अमेरीका से मवेशी

2073. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरिका ने भारत को बड़ी संख्या में मवेशी भेंट किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन में से कुछ मवेशी विशेष रूप से पंजाब को पालमपुर संकरण केन्द्र में संकरण कार्य हेतु दिये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) तथा (ख) : दिसम्बर 1961 और अक्टूबर 1962 में 135 जर्सी मवेशी उपहार रूप में प्राप्त हुए थे जिन में 68 बछडे तथा 67 बछियां हैं । यह संयुक्त राष्ट्र अमरिका की होफर प्रोजैक्ट इनकारपोरेशन के खैराती संगठन ने दान दिये हैं । परोढ़ होने के पश्चात् इन में से बहुत से बछड़े संकरण के लिये स्थानीय मवेशियों को सुधारने के लिये राज्य सरकारों को बांट दिये गये हैं । सब बछियां तथा कुछ बछड़े केन्द्रीय जर्सी फार्म में वर्धन के लिये रखे गये हैं । पंजाब को 6 सांड दिये गये हैं जिन में से 4 कांगड़ा ज़िला में पालमपुर में स्थापित सांड डिपो में रखे गये हैं ।

Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi

2074. Shri Bagri : Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the Manager of Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi has been promoted while there are charges of corruption against him; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao) : (a) and (b). In 1964 certain allegations against the Manager, Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi were enquired into by the Khadi & Village Industries Commission. Though the Enquiry Officers, by and large, exonerated the Manager, Government referred the case to the Central Vigilance Commission for advice in view of the serious nature of some of the allegations. Pending the advice of the Central Vigilance Commission, the Manager, Shri Ram Nath Tandon was transferred and posted as Director, Sales Development by the Khadi Commission. Though this latter appointment carries a higher pay that than of Manager and can, therefore, be considered to be a promotion, Government could not object to the appointment pending the advice of the Central Vigilance Commission, as Shri Ram Nath Tandon was well qualified therefor.

अन्धे यात्रियों के लिये विमान का आधा किराया

2075. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने अन्धे यात्रियों से विमान का आधा किराया लेने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य श्रेणियों के अपाहिज व्यक्तियों को भी यही सुविधा दिये जाने की संभावना है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी, हां। कारपोरेशन ने केवल अन्तर्देशीय विमान सेवाओं पर सभी अन्धे यात्रियों को दे जाने के लिये उनसे 18-5-65 से एकतरफा यात्रा के लिये 50 प्रतिशत रियायती किराया और आने जाने की यात्रा के लिये केवल एक तरफ का किराया लेने का निश्चय किया है। लेकिन उनके साथ जाने वाले अनुरक्षक उन पर लागू पूरे किराये देंगे।

(ख) जी, नहीं।

समाज कल्याण संगठनों के लिये प्रशिक्षित कर्मचारी

2076. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश में समाज कल्याण संगठनों की बढ़ती हुई कार्यवाही के लिये प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकताओं के बारे में कोई नमूना सर्वेक्षण किया गया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : जी नहीं। परन्तु चौथी योजना के लिये बने समाज कल्याण संबधी कार्यकारी दल के प्रशिक्षण, गवेषणा तथा प्रशासन के उपदल और चौथी योजना के लिये बने समाज कल्याण की पदाली के जनशक्ति, प्रशिक्षण तथा गवेषणा संबधी अध्ययन दल ने चौथी पंच-वर्षीय योजना में शामिल कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिये रखे जाने वाले प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या का अनुमान लगाया है।

अपाहिज व्यक्तियों के लिये सुविधा तथा उनका इलाज

2077. श्रीमती सावित्री निगम :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके विभाग ने अथवा अन्य किसी संस्था ने कोई ऐसी प्रामाणिक वर्ष-पुस्तक, पुस्तिका अथवा निर्देशिका प्रकाशित नहीं की है जिससे सामाजिक संस्थाओं को परस्पर तालमेल तथा सहयोग करने और अपाहिज व्यक्तियों को सुविधा देने तथा उनके इलाज की व्यवस्था करने में सहायता मिले; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : ऐसा कोई संग्रह तो नहीं निकाला गया परन्तु भारत सरकार ने इस विषय पर कुछ पुस्तिकायें प्रकाशित की हैं और वह पहले ही एक अधिक व्यापक प्रकाशन निकालने का विचार रखती है।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम

2078. श्री सुबोध हंसदा : **डा० पू० ना० खां :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1963-64 से केन्द्रीय भाण्डागार निगम का सामान्य कारोबार घटता जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या इस निगम को पहले ही लगभग एक लाख रुपये का घाटा हो चुका है, और

(घ) चूंकि सरकार ने इस वर्ष धान का व्यापार अपने हाथ में ले लिया है, क्या इस स्थिति में सुधार होने की कोई संभावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां, केवल नवम्बर, 1964 तक। दिसम्बर, 1964 से आगे व्यापार में धीरे धीरे प्रति मास थोड़ी थोड़ी वृद्धि हो रही है।

(ख) व्यापार में गिरावट आने के मुख्य कारण भावों में वृद्धि के रूख साथ ही खाद्यान्नों की भारी कमी जिसके परिणाम स्वरूप संचयन और अधिप्राप्ति के लिये कम अनाज प्राप्त होना और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध खाद्यान्नों का विभागीय संचयन और जनवरी 1963 के आगे भारत के रिजर्व बैंक द्वारा धान, चावल और अन्य खाद्यान्नों को भण्डागारों की रसीदों पर ऋण नियन्त्रण लागू किये जा रहे हैं।

(ग) 1963-64 में निगम को लगभग 6 लाख रुपये और 1964-65 में 13 लाख रुपयों की हानि हुई है।

(घ) जी हां।

दिल्ली में भूमिगत रेलवे

2079. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **परिवहन** मंत्री 23 फरवरी, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 233 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में भूमिगत रेलवे की सम्भाव्यता का विचार किया है ;

(ख) क्या दिल्ली की यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं का व्यापक अध्ययन पूरा किया जा चुका है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) तक : दिल्ली के यातायात की आवश्यकताओं का अभी विस्तृत अध्ययन होना है। अध्ययन के परिणाम के ज्ञात होने पर भूमिगत रेलवे की शक्यता पर विचार किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश में भाण्डागार

2080. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में कितने भाण्डागार हैं और वे किन स्थानों में हैं;

(ख) उनकी क्षमता क्या है; और

(ग) 1965-66 में उत्तर प्रदेश में कितने भाण्डागार खोले जाने का प्रस्ताव है और वे किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय भण्डार-निगम के भाण्डागार 5 केन्द्रों पर है और राज्य भाण्डागार-निगम के भाण्डागार 47 केन्द्रों पर हैं जिनमें उप-भाण्डागार भी शामिल हैं। भाण्डागारों की स्थिति और क्षमता बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) दो नये स्थानों पर अर्थात गौंडा और बुलन्दशहर में भाण्डागार खोलने का मामला केन्द्रीय भाण्डागार निगम के विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश राज्य भाण्डागार निगम द्वारा दो भाण्डागार खोलने का भी विचार है किन्तु इन भाण्डागारों के स्थानों के बारे में अभी तक कोई निश्चय नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश में "अधिक अन्न उपजाओ" अभियान

2081. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में उत्तर प्रदेश राज्य को अधिक अन्न उपजाओं अभियान के लिये वास्तव में कितना अनुदान दिया गया; और

(ख) 1965-66 में इस कार्य के लिये उस राज्य को कितनी राशि देने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) राज्य सरकारों को केन्द्रीय आर्थिक सहायता देने की संशोधित प्रणाली 1958-59 से शुरू की गई थी। केन्द्रीय सहायता अब राज्य सरकारों को योजनावार नहीं दी जाती बल्कि विकास के व्यापक शीर्षकों के अन्तर्गत दी जाती है जिसमें ये शामिल हैं :—(1) कृषि उत्पादन जिसमें लघु सिंचाई तथा भूमि विकास सम्मिलित हैं, (2) पशु-पालन, मत्स्यकी तथा डेरी आदि। अतः "अधिक अन्न उपजाओं" योजनायें स्वतंत्र रूप से इस प्रकार की केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं कर सकती। इन योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को विकास शीर्षक "कृषि उत्पादन जिसमें लघु सिंचाई तथा भूमि विकास सम्मिलित है" के अन्तर्गत सहायता दी जाती है। 1964–65 में उपरोक्त विकास शीर्षक जिसमें अधिक अन्न उपजाओं योजनाएं शामिल हैं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 237.93 लाख रुपये का इस अनुदान दिया गया था। फिर भी यह सहायता अनुमानित खर्च और 1964-65 के लिये राज्य सरकार द्वारा बताये गये वास्तविक खर्च पर आधारित है।

(ख) विकास शीर्षक "कृषि उत्पादन जिसमें लघु सिंचाई तथा भूमि विकास शामिल है" के अन्तर्गत 1965-66 में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए 2575.05 लाख रुपये का एक अस्थायी खर्च प्रस्तावित है। उपरोक्त खर्च के मुकाबले उत्तर प्रदेश को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता पर विचार हो रहा है। केन्द्रीय सहायता की मात्रा का अन्तिम रूप से निर्णय होने के बाद उपरोक्त खर्च का ऋण तथा अनुदान के रूप में विश्लेषण किया जायगा।

Farm Demonstration Methods

2082. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the report of the Evaluation Committee of the Government of Rajasthan in which it has been stated that the farm demonstration methods could not influence the farmers; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaj Khan) : (a) The report in question does not state that farm demonstration methods could not influence the farmers. It does point out many defects and inadequacies of the demonstration programme. The findings of the report are not at variance with the observations made in most states and with the findings of the National Institute for study and research in Community Development.

(b) In order to correct the present defects it has been suggested that the area of operation of the Agricultural Extension Officer at the block level should be reduced, the present area being too large to be handled effectively. The strengthening of staffing pattern by providing more Agricultural Extension Officers

per block is expected to greatly improve the quality and effectiveness of the demonstrations as would be apparent from the progress made in the Intensive Agriculture or "Package" districts in which the staffing pattern is of the recommended intensity. Also a considerable amount of training, as is being provided to the "Package" district staff, is necessary for improving the quality of the demonstrations and their impact on the farmers. Efforts are being made also to suitably strengthen the staffing pattern in areas selected under Intensive Agricultural Areas Programme.

Survey of Fishing Industry

2083. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have requested the United Nations for providing aid from its special fund for pre-investment survey of fishing industry;

(b) if so, the result thereof;

(c) the possibilities of increase in fishing industry as a result of this aid; and

(d) the number of Centres to be opened with the help of this aid ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b). No. United Nations Special Fund assistance has been sought for conducting a pre-investment survey in some minor ports for the development of fishing harbours. The project is likely to be considered in the January 1966 Session of the Governing Council of the Special Fund.

(c) With the construction of fishing harbours, it will be possible to expand the fleet of mechanised fishing boats and to provide necessary berthing and other facilities on shore for them. This will help increase production.

(d) Pre-investment survey is proposed to cover 32 places out of which a final selection of sites will be made.

भारत का राष्ट्रीय पशु

2084. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश वन्य पशु बोर्ड ने सिफारिश की है कि शेर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) जून, 1965 में धिकाला (कारबैट नेशनल पार्क), उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य प्राणी मण्डल का जो छटा अधिवेशन हुआ था उसमें भारत के राष्ट्रीय पशु सम्बन्धी प्रश्न पर विचार किया और सिफारिश की कि इस सम्बन्ध में पहले राज्य सरकारों के विचार मालूम किये जायें। इस बारे में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और सम्भव है बोड अपने आगामी अधिवेशन में इस मामले पर विचार करे। कोई निर्णय करने से पहले मण्डल की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

भारतीय विमान निगम की अतिरिक्त उड़ानें

2085. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बासप्पा :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमान निगम बम्बई को तथा बम्बई से अतिरिक्त हवाई उड़ानें आरम्भ करने के बारे में विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है;

(ग) क्या कलकत्ता तथा अन्य प्रमुख स्थानों के बीच की उडानों में भी वद्धि करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : जी, हां। इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन ने दो और कारवेल विमानों की खरीद का आदेश दे दिया है। इनमें से एक विमान नवम्बर में और दूसरा दिसम्बर, 1965 में मिल जायेगा। इन विमानों का चलाना शुरू करने से कारपोरेशन बम्बई/दिल्ली के बीच चार कारवेल सेवाएं चलायेगा।

(ग) और (घ) : जी, हां। 1965-66 के लिये जाड़ों के शिड्यूल के मसौदे में निम्नलिखित अतिरिक्त या परिवर्तित विमान सेवाओं की व्यवथा की गयी है :—

(i) नागपुर से होकर कलकता/बम्बई वाइकाउण्ट सेवा।

(ii) एफ-27 विमान के बजाय वाइकाउण्ट विमान से चलायी जाने वाली कलकत्ता/तेजपुर/जोरहाट सेवा।

(iii) वर्तमान डकोटा सेवा आईसी-261/262 कलकता/भुवनेश्वर/विजगापटनम का मद्रास तक बढ़ाया जाना और उसका एफ-27 विमान से चलाया जाना। अगर भुवनेश्वर हवाई अड्डा एफ-27 चालनों के योग्य नहीं पाया गया तो यह सेवा कलकता/विजगापटनम मद्रास मार्ग पर चलेगी और वर्तमान डकोटा सेवा कलकता/भुवनेश्वर/विजगापटनम डकोटा से चलायी जायेगी।

(iv) कलकत्ता/अगरताला मार्ग पर डकोटा सेवा आईसी-255/256 एफ-27 विमान द्वारा चलाई जायेगी।

उपाहारगृहों में खाद्य पदार्थों के मूल्यों का विनियमन करने के लिये समिति

2086. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपाहारगृहों में खाद्य पदार्थों के मूल्यों का विनियमन करने के लिये सरकार द्वारा स्थापित की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) से (ग) : जी, नहीं। रिपोर्ट के बहुत शीघ्र मिलने की संभावना है।

दिल्ली में लाल किले में ध्वनि तथा प्रकाश कार्यक्रम

2087. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में लाल किले में ध्वनि तथा प्रकाश कार्यक्रम प्रति दिन दिखाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो दर्शकों की औसत संख्या कितनी होती है; और

(ग) क्या विदेशी दर्शकों को कोई सुविधा दी जाती है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी, हां। यह दृश्यावली 25-3-65 से 15-7-65 तक प्रत्येक दिन दिखायी गयी थी। मान्सून के कारण यह अब बन्द है और आशा है कि यह फिर अक्टूबर में शुरू कि जायेगी।

(ख) हिंदी के कार्यक्रम में दर्शकों से कक्ष पूरा भरा रहा अर्थात् 15 अप्रैल 1965 से 15 जुलाई 1965 तक प्रत्येक दिन लगभग 575 व्यक्तियों ने इसे देखा। अंग्रेजी कार्यक्रम में प्रत्येक दिन लगभग 150 व्यक्तियों की उपस्थिति रही।

(ग) विदेशी पर्यटकों के लिये अंग्रेजी कार्यक्रम प्रत्येक दिन होता है। पर्यटक नयी दिल्ली में भारत सरकार के पर्यटक कार्यालय, जनपथ, सब मान्यता प्राप्ति यात्रा एजेन्सियों और प्रमुख होटलों से टिकट ले सकते हैं।

उर्वरकों का सम्भरण

2088. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 तथा 1965-66 में अब तक पंजाब सरकारने कितनी मात्रा में अमोनिया सल्फेट द्विगुण लवण, यूरिया तथा केलशियम अमोनिया नाइट्रेट की मांग की थी;

(ख) केन्द्रीय उर्वरक भण्डार के स्टाक से कितनी मांग पूरी की गई है; और

(ग) मांग और पूर्ति में अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :—

(समस्त आंकडे मीटरी टनों में)

अवधि	उर्वरक का नाम	मांगी गई मात्रा	केन्द्रीय उर्वरक भण्डार से दी गई मात्रा	कमी के कारण
1964-65	सल्फेट आफ अमोनिया	31,000	22,000	इन उर्वरकों की की सीमित कुल उपलब्धि के कारण मांग को पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया जा सका।
	कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट	3,05,000	2,16,112	
1965-66 अप्रैल-सितम्बर 1965	सल्फेट आफ अमोनिया	68,500	46,200	
	यूरिया	250	135	
	कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट	2,35,000	1,25,000	

नोट : 1964-65 में ए० एस० एन० (डबल साल्ट) तथा यूरिया की कोई मांग न थी। 1965-66 की अवधि में अब तक ए० एस० एन० (डबल साल्ट) की कोई मांग नहीं है।

Shortage of Rice in Delhi

2089. Shri Bagri : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there was an acute shortage of rice in Delhi during June-July this year;

(b) whether rice dealers are selling rice in Delhi at rates higher than those fixed by Government; and

(c) the measures being taken by Government to check this ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) In the second half of July some shortage of rice was experienced in Delhi.

(b) Complaints were received by Delhi Administration of some surreptitious sale of rice by retailers at prices higher than that fixed by the Delhi Administration.

(c) Strict vigilance was exercised by the Delhi Administration to detect such practices and in the specific cases which came to their notice, action has been taken against the dealers involved. Steps have also been taken to increase the availability of rice in Delhi markets. Arrangements have been made to import immediately 1700 tonnes rice from U. P. and Punjab and its distribution through co-operatives.

Purchase of Wool by Central Social Welfare Board

2090. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) whether it is fact that a large number of packets of wool were purchased by the Central Social Welfare Board for providing rugs to the soldiers during the period from November, 1962 to April, 1964;

(b) whether it is also a fact that the said Board has furnished accounts only in respect of 25 per cent of the amount spent on the purchase of wool for rugs; and

(c) If so, how the remaining 75 per cent of the amount has been accounted for ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao) : (a) No. The wool was purchased by the Board from the mills only for providing knitted woollen garments to the Jawans and sold to individuals/organisations at *ex-mill* rates for making the woollen garments.

(b) & (c). The entire amount spent and 92% of the wool sold by the Board has already been accounted for in the form of woollen garments.

भारत लंका स्थल यात्रा सुविधायें

2091. श्री सेम्मियान : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत तथा लंका के बीच स्थल यात्रा सम्बधी सुविधाओं के पुन: जारी किये जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) : भारत का नौवहन निगम तूतीकोरीन और कोलम्बो के बीच एक यात्री व माल की मिलीजुली सेवा पहले से ही चला रहा है।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का दो भागों में विभाजन

2092. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उनके मन्त्रालय को दो शाखाओं में (एक खाद्य के लिए तथा दूसरी कृषि के लिये) विभाजन करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार ने यह निर्णय किन कारणों से किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : हाल ही में खाद्य और कृषि मन्त्रालय के विभाजन विषयक किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है। वस्तुतः खाद्य विभाग और कृषि विभाग अलग-अलग रूप से मन्त्रीमण्डलीय स्तर के एक ही मन्त्री के देखरेख में पहले से ही कार्य कर रहे हैं।

विशाखापत्तनम तथा कांडला बन्दरगाह

2093. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के बन्दरगाह विशेषज्ञों ने, जिन्होंने विशाखापत्तनम बन्दरगाह का परीक्षण किया है, जापान को अपेक्षित मात्रा में लोह-अयस्क का निर्यात करने के लिये इस बन्दरगाह की क्षमता के बारे में अपनी प्रतिक्रिया बता दी है;

(ख) क्या निर्यात सम्बन्धी वायदे को तुरन्त विस्तार करने की आवश्यकता है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये काकीनाडा पत्तन के विकास के लिये कितने अनुमानित पूंजीगत परिव्यय की आवश्यकता है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) मूलतः विशाखापत्तनम् पत्तन के संस्थापन पर 60 लाख टन वार्षिक क्षमता का इरादा था परंतु बाद में उसे बढ़ाकर 80 लाख टन वार्षिक करने का निर्णय किया गया। प्रभावी क्षमता दैनिक वास्तविक काम के घंटों, दिनों, जहाजों के आने की नियमितता, जहाज के माप, इत्यादि पर निर्भर करती है। विशाखापत्तनम पत्तन से होने वाले लोह धातुक के निर्यात में दिलचस्पी रखने वाले कुछ जापानियों ने संयंत्र की अधिकतम क्षमता के बारे में संदेह व्यक्त किया। उनका विचार है कि संयंत्र में सुधार की आवश्यकता हो सकती है। इस पहलू पर सलाह देने के लिये एक सलाहकार फर्म काम कर रही है।

(ख) और (ग) : लोह धातुक के निर्यात के लिये काकीनाद पत्तन को बड़े पत्तन के रूप में विकसित किये जाने वाले पत्तनों में अभी तक शामिल नहीं किया गया है।

कृषि-अनुसन्धान बोर्ड

2094. **श्री बागड़ी** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि-अनुसन्धान परिषद के कृषि-अनुसन्धान बोर्ड की एक बैठक हाल ही में नई दिल्ली में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा की गई तथा क्या निर्णय किये गये ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) जून, 1965 में हुई अपनी बैठक में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के कृषि अनुसन्धान मण्डल ने कृषि और उससे सम्बन्धित विषयों पर पहले ही चल रही कुछ योजनाओं को विस्तृत करने की सिफारिश के अतिरिक्त कुछ नई योजनाओं की सिफारिश की । इनको अब सितम्बर, 1965 में परिषद की स्टैन्डिग फाइनैन्स कमेटी तथा गवर्निंग बाडी में स्वीकृति के लिये रखा जायेगा । 24 अगस्त, 1965 को उत्तर दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 497 के उत्तर में ऐसी योजनाओं की सूची पहले ही सभा के पटल पर रख दी गई है ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग

2095. **श्री म० ना० स्वामी :**
श्री लक्ष्मी दास :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के प्रधान ने प्रधान मंत्री को यह सुझाव दिया है कि वह इस बात पर विचार करें कि क्या भविष्य में इस आयोग को चलाना वांछनीय है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

आई० एन० ए० कालोनी, नई दिल्ली

2096. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जुलाई, 1965 के "पेट्रोयट" में "ए स्लम कालोनी बाई गवर्नमेंटस ग्रेस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट नई दिल्ली की आई० एन० ए० कालोनी में सफाई सम्बन्धी दशा से सम्बन्धित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो कालोनी की दशा का जैसा वर्णन उसमें किया गया है वह कहां तक सही है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) : जी, हां, लेकिन आई० एन० ए० कालोनी की सम्बद्ध समाचार में वर्णित नागरिक हालतों को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया है । जब कभी आवश्यकता होता है उनमें सुधार किये जाते हैं ।

बिहार में आदिम जाति के लोगों का शैक्षणिक विकास

2097. **श्री ह० च० सोय** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार की आदिम जातियों में शिक्षा की प्रगति तथा विकास के मामले में बहुत बड़ी असमानता है, अर्थात् कुछ लोग काफी शिक्षित हैं और कुछ बहुत अधिक पिछडे हुए है; और

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में आदिम जातियों के लोगों में शिक्षा का सन्तूलित तथा समान रूप से प्रसार करने के लिये क्या उपाय किये जायेंगे ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना बिहार सरकार द्वारा एकत्र की जा रही है और वहां प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

पर्यटन से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति

2098. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में पर्यटन से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति का सही अनुमान लगाने के लिये देश कुछ बड़े बड़े नगरों में नमूने का सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कहां, कब तथा किस प्रकार किया गया है; और

(ग) इससे क्या परिणाम निकले हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी हां । भारत में पर्यटन के बृहत्तर आर्थिक अध्ययन के अंग के रूप में, पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन के प्राक्कलन के लिय अन्य बातों के अलावा एक आधार की व्यवस्था करने के लिये एक सर्वेक्षण किया गया है ।

(ख) और (ग) : परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रस्थान के पत्तनों, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, और दिल्ली पर व्यय का नमुना सर्वेक्षण किया जा रहा है । इसे जुलाई 1965 के अन्तिम सप्ताह में प्रारंभ किया गया था और यह पूरे एक वर्ष तक माह में एक सप्ताह तक किया जायेगा । परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों के पर्यवेक्षण म विशेष रूप से भरती किये कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त स्थानों से भारत छोड़ने वाले पर्यटकों के चुने हुये नमूने से भेंट की जा रही है । विशेषरूपसे बनाई गई प्रश्नावली के आधार पर विदेशियों से जरूरी सूचना प्राप्त की जा रही है । सर्वेक्षण के पूरे हो जाने पर परिणामों का पता चलेगा ।

कपूर के बागान

2099. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात राज्य के दक्षिण भाग में कपूर के बागान लगाने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

खद्दर के मूल्य में वृद्धि

2100. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों में खद्दर के मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) खद्दर के मूल्यों में उसकी विभिन्न किस्मों के अनुसार 10 और 25 प्रतिशत के बीच वृद्धि हुई है ।

(ख) निम्नलिखित वृद्धियों के कारण—

(1) सूत का मूल्य;

(2) व्यवस्था, परिवहन आदि पर व्यय; और

(3) जुलाहों की मजूरी ।

वर्जिनिया तम्बाकू के मूल्य

2101. श्री कोल्ला वैंकैया :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 तथा 1965 के मौसमों में गंटूर जिले की उत्पादकों तथा व्यापारियों की मण्डियों में विभिन्न-श्रेणी के धुआं-रहित वर्जिनिया तम्बाकू के मूल्य क्या थे ;

(ख) क्या व्यापार में किसी भारतीय अथवा विदेशी फर्म या फर्मों के एकाधिकार से मूल्य कम हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या पग उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) 1964 तथा 1965 के विपणन मौसम के दौरान धूंआ-रहित वर्जिनिया तम्बाकू के प्रत्येक कूचा श्रेणी के लिए इंडियन लीफ तम्बाकू डेवलपमैन्ट कम्पनी लिमिटेड, ब्रिटिश इन्डिया तम्बाकू कारपोरेशन तथा नेशनल तम्बाकू कम्पनी ने जो औसत मूल्य अदा किये वे उन तीन विवरणों में दिये गये हैं जो सभापटल पर रख दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये । देखियें संख्या एल० टी०-4849/65 ।]**

(ख) जी नहीं । इस वर्ष किसानों द्वारा जो औसत मूल्य प्राप्त किया गया वह साधारणतया उस मूल्य से अधिक था जो गत वर्ष प्राप्त किया गया था । ऐसी रिपोर्ट है कि खरीदारों में कड़ी प्रतियोगिता रही ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कलकत्ता तथा आसाम के बीच परिवहन बाधायें

2102. श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता माल परिवहन संस्था की इन शिकायतों की ओर दिलाया गया है कि राष्ट्रीय राजपथ 34 पर जो कलकत्ता तथा आसाम को मिलाने वाली मुख्य सड़क है, गंगा नदी पर बनियाग्राम तथा खूजरिया घाट के बीच के नौघाटों पर लारियों तथा मौटर ट्रकों को पार उतारने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है;

(ख) इन घाटों पर नौकाओं द्वारा ट्रकों तथा परिवहन लारियों को नदी पार उतारने की क्या व्यवस्था की गई है और क्या इस प्रयोजन के लिये सभी बड़ी नौकाओं को काम में लाया जा रहा है, और

(ग) क्या नौका सेवा राज्य के हाथ में है अथवा ठेकेदार के हाथ में है तो उसकी शर्तें क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : अपेक्षित सूचना पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त की जा रही है और उपलब्ध होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

दिल्ली के बहरे तथा गूंगे लोगों के लिये लेडी नोइस स्कूल

2103. **श्री तन सिंह :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहरों तथा गुंगे लोगों के लिये लेडी नोइस स्कूल को अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय किया है;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन ने इस निर्णय का विरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) से (ग) : मामला विचाराधीन है।

राष्ट्रीय दुग्धशाला अनुसंधान संस्था, करनाल, में श्रमिकों की मजूरी

2104. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय दुग्धशाला अनुसन्धान संस्था, करनाल के लगभग 400 श्रमिकों पर सरकार के 17 जून, 1965 के आदेश का, जिसके अनुसार नैमित्तिक श्रमिकों की मजूरी 103 रुपए प्रतिमास से घटा कर 60 रुपए प्रति मास कर दी गई है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) नैमित्तिक श्रमिकों की स्थिति के बारे में मंत्रालय ने पुन: विचार किया है और 21 अगस्त, 1965 को पूर्वस्थिति बनाये रखने के बारे में आदेश जारी किये गये हैं।

चीनी उद्योग सम्बन्धी उत्पादित दल

2105. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1961-62 में अमरीका, फिलीपीन, हवाई और प्यूरिटोरिको भेजे गये चीनी उद्योग सम्बन्धी उत्पादन दल के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों की जांच करने के लिए प्रोफेसर गाडगिल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो इसकी विशेषकर लाभप्रद एककों के आकार के बारे में क्या उपपत्तियां हैं ;

(ग) क्या चीनी विकास परिषद् ने प्रोफेसर गाडगिल समिति की सिफारिशों तथा उपपत्तियों की जांच तथा पुष्टि कर दी है; और

(घ) क्या सरकार ने चीनी के कारखानों के लिए किसी लाभप्रद इकाई के आकार के बारे में कोई निर्णय कर लिया है और यदि हां, तो वह क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) चीनी उद्योग विकास परिषद् ने इस उद्देश्य के लिये एक समिति नियुक्त की थी।

(ख) समिति की उपपत्तियां संलग्न विवरण में दी गयी हैं। एक लाभप्रद एकक के सम्बन्ध में समिति की उपपत्ति इस प्रकार है :—

> "भारत में ऐसे क्षेत्र हैं जहां कारखानों की मौजूदा स्थिति खराब है। इन क्षेत्रों के कारखानों की पुनर्वासन की नीति ऐसी होनी चाहिये जिससे गन्ने की उपज का गहन विकास, छोटे एककों का कम से कम मौजूदा लाभप्रद आकार तक विस्तार और जहां व्यवहार्य हो वहां चलने योग्य ऊंची क्षमता के कारखाने स्थापित किये जाएं।"

(ग) चीनी उद्योग विकास परिषद् ने प्रो० गाडगिल समिति की सिफारिशों पर 6-4-1963 को हुई अपनी 5 वीं बैठक में विचार किया था। परिषद ने समिति द्वारा व्यक्त विचारों की सामान्यतः पुष्टि की।

(घ) चीनी जांच आयोग द्वारा चीनी उद्योग को लाइसेंस देने की नीति के बारे में जांच की जा रही है। उद्योग के हित की दृष्टि से इस समय नये चीनी कारखानों को आरम्भ में प्रतिदिन 1250 मीट्रिक टन गन्ना पेरने की क्षमता के आधार पर लाइसेंस दिया जाता है।

वनमहोत्सव

2106. **श्री सोलंकी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली तीन वर्षों में दिल्ली में पौधे लगाने के लिए वनमहोत्सव पर कितना खर्च हुआ ;

(ख) इन वर्षों में कितने पौधे लगाये गये;

(ग) इनमें से अभी तक कितने पौधे हरे हैं; और

(घ) पौधों के सूखने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) दिल्ली नगरनिगम/नई दिल्ली नगर पालिका/दिल्ली प्रशासन/केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण/दिल्ली चिड़ियाघर/दिल्ली छावनी/दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार 5,26,048.94 रुपए खर्च हुए हैं।

(ख) 81,943

(ग) 60,717

(घ) सूखने के कारण निम्न प्रकार थे :—

(1) प्राकृतिक क्षति

(2) पानी की कमी

(3) आवारा पशुओं द्वारा क्षति

(4) बच्चों तथा शरारती व्यक्तियों द्वारा क्षति

(5) क्षारीय मिट्टी

(6) दीमक

(7) अपर्याप्त सुरक्षा

(8) प्रतिकूल ऋतु।

उपभोक्ता सहकारी समितियां

2107. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित उपभोक्ता सहकारी समितियों सम्बन्धी योजनाओं का संगठनात्मक रूप भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या संगठन को एकिक तथा संघीय व्यवस्था की सफलताओं का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) सहकारी समितियां स्वायत्त संस्थाएं होने के कारण अपने अनुकूल संगठनात्मक ढांचा अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं ।

(ग) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन सहकारी उपभोक्ता समितियों के कार्यों का मूल्यांकन योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किया जा रहा है ।

(घ) रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

केन्द्रीय तथा प्राथमिक सहकारी समितियों का प्रबन्ध

2108. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) केन्द्रीय तथा प्राथमिक सहकारी भण्डारों की अंशत: अथवा पूर्णतया नाम-निर्देशित समितियां किन राज्यों में तथा किस तारीख से काम कर रही हैं;

(ख) क्या नामनिर्देशित समितियों के स्थान पर निर्वाचित समितियां स्थापित करने के लिये कोई पग उठाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क)से (ग) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड के सहायक उद्योग

2109. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे पुर्जों का निर्माण करने के लिये, जिनका आजकल आयात किया जा रहा है, देश में हिन्दुस्तान शिपयार्ड के कोई सहायक उद्योग स्थापित किये गये है, और

(ख) यदि हां, तो यह सहायक उद्योग कहां-कहां स्थापित किये गये हैं तथा उनकी क्षमता क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) बहुत से देशी मद जो पहले आयात किये जाते थे, अब देश में बनाये जा रहे हैं ।

(ख) ये मद ये हैं :—

मद	उत्पादन का स्थान
1. कारगो और टार्पिंग वेंन्चे . . .	बंबई 1966 तक उत्पादित किये जाने की आशा ।
2. बिजली के स्विचगियर फिटिंग और केबल .	बंबई और कलकत्ता ।
3. लिंक चेन केबल . . .	बंबई में, लगभग 1966 से ।
4. हैच बवर और लाइफ बोट डेविट . .	बंबई में 1966 से ।
5. अल्यूमीनियम लाइफ बोट . . .	बंबई ।

मद	उत्पादन का स्थान
6. स्टील कास्टिंग और छोटी फोरजिंग	बंबई और कलकत्ता ।
7. इन्फ्लैटेबिल लाइफ क्राफ्ट . .	पूना में, लगभग 1966 से ।
8. तेल और सेन्ट्रीफ्यूगल सेपरेटर और प्यूरीफायर .	बंबई में, लगभग 1966 से ।
9. सेन्ट्रीफ्यूगल पंप . .	फरीदाबाद और कलकत्ता में लगभग 1966 से ।
10. सब तरह के तार के रस्से . . .	बंबई व कलकत्ता ।
11. वेल्डिंग इलेक्ट्रोड . . .	कलकत्ता व बंबई ।
12. प्रेशरगाज, औरजार, पैकिंग, जोआइन्टिंग, वाल्वफिटिंग इत्यादि . . .	बंबई व कलकत्ता ।
13. पोर्ट होल दरवाज़े और खिड़कियां . .	बंबई ।
14. पवन उपस्कर और रेफ्रिजिरेटिंग मद . .	कलकत्ता ।

इन मदों की उत्पादन क्षमता आवश्यकताओं पर निर्भर करती है ।

सड़क तथा पुल निर्माण कार्य जिनके लिये विश्व बैंक ने धन दिया है

2110. **श्री सुन्दर लाल :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने उन सड़क तथा पुल निर्माण कार्यों के निर्धारित समय के अन्दर पूरे न किये जाने के बारे में शिकायत की है जो उसके द्वारा दी गई सहायता से बनाये जा रहे है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा जाता है । देखिए संख्या एल० टी० 4851/65 ।]**

कृषि-उत्पादन

2111. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शैक्षणिक तथा कार्य परियोजनाओं के द्वारा खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिये युवकों की आदर्श शक्ति तथा उत्साह का उपयोग करने के लिये 16 अक्टूबर, 1965 को "यंग वर्ल्ड मोबिलाइज़ेशन अपील" युवक प्रेरणा की अपील करने का विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस कार्य के लिये राष्ट्रीय सैनिक छात्र दल की सेवाओं का लाभ उठाने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख) : संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन के महा निदेशक ने युवा संसार को जो अपील की है उस में युवकों को कहा गया है कि वे 21 सप्ताहों में 21 घंटों का समय भूख से मुक्ति अभियान के कार्य के लिये दें । अंक 21 का यहां प्रतीक यह है कि 16-10-65 का दिन यह अपील शुरू करने के लिये निश्चित है—को संयुक्त राष्ट्र तथा खाद्य तथा कृषि संगठन अपने स्थापना की 21वीं वर्ष में प्रविष्ट होंगे । यह 21 सप्ताह का समय केवल शुरूआत है जो कि केवल सारे संसार में कार्य करने के लिये प्रार्थना-मात्र है किन्तु खाद्य तथा कृषि संगठन को आशा है कि युवकों के भूख मुक्ति अभियान में काफी समय कार्य करना होगा ।

इस के दो उद्देश्य हैं:—पहला उद्देश्य है कि युवक व्यक्तियों को भूख की समस्याओं, उसकी गुथियों, शीघ्रता तथा सम्बन्धित विषयों जैसा कि कम पोष्टाहारिकता, खाद्य प्रणाली इत्यादि के बारे में उनको ज्ञान देना तथा उसमें वृद्धि करना है। दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि इसके द्वारा कुछ छोटे स्तर पर सामुदाय के खाद्य उत्पादन में वृद्धि है। यह अंशदान स्वेच्छिक क्लबों तथा समितियों के सामूहिक कार्यक्रम का रूप ले सकती हैं। इन दोनों उद्देश्यों को इकट्ठे ही लेना चाहिये ताकि एक दूसरे से पृथक्, विशेषकर शैक्षणिक संस्थानों में जहां कि स्वाभाविक रूप से इसे शिक्षण कार्यक्रम ही समझना चाहिये। अतः जो भी क्लब बनाये जायें वे कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा क्लबों होंगे।

भूख मुक्ति अभियान समिति की भारत राष्ट्रीय समिति ने इस संसार युवक अपील में सम्मिलित होने का फैसला किया है और यंग वर्ल्ड एकशन की केन्द्रीय समिति तथा यंग वर्ल्ड एकशन खाद्य समिति की स्थापना की है जिस में इनके साथ-साथ कई महत्वपूर्ण युवा संगठनों के प्रतिनिधि भी लिये जायेंगे। समिति ने राज्य अभियान समितियों को ऐसी ही समितियां राज्य स्तर पर बनाने के लिये प्रार्थना की है। राष्ट्रीय समिति ने एक गाईड छपाई है जिस में इस कार्यक्रम की बृहत् रूप रेखा तथा इस में भाग लेने वाले संगठनों को क्या कार्यक्रम करना है दिये गये हैं। गाईड की प्रतियां संसद की लायब्रेरी में उपलब्ध हैं।

(ग) देश के बहुत से युवा संगठन तथा राष्ट्रीय सेना-छात्र इस यंग वर्ल्ड कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। कुछ राष्ट्रीय सेना-छात्र केन्द्रों ने पहले ही कुछ कार्यों के माध्यम से शिक्षा परियोजना शुरू कर दिये हैं।

उत्तर प्रदेश में कृषि सम्बन्धी अग्रिम योजनायें

2112. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965-66 में उत्तर प्रदेश में संयुक्त कृषि सम्बन्धी अग्रिम योजनायें आयोजित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितनी राशि नियत की गई है;

(ग) इस समय उत्तर प्रदेश में चल रही ऐसी अग्रिम योजनाओं की संख्या क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं के लिये तीसरी योजना अवधि में अब तक कितनी राशि मंजूर की गई है?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) 13.149 लाख रुपए।

(ग) 45 अग्रिम परियोजनाएं।

(घ) 52.09 लाख रुपए।

पिछड़े वर्ग

2113. **डा० श्रीनिवासन :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े वर्गों की राज्यवार कुल कितनी श्रेणियां है;

(ख) क्या पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्तियां, मकान बनाने के ऋण तथा शिक्षा संबंधी सुविधाएं देने के मामले में वही रियायत तथा सुविधा दिये जाने का प्रस्ताव है, जो कि हरिजनों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को दी जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के अतिरिक्त भारत सरकार पिछड़े वर्गों की निम्नलिखित श्रेणियों को मान्यता देती है :

(i) अननूसूचित, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश आदिम जातियां; और

(ii) आर्थिक मापदण्ड के आधार पर परिभाषित पिछड़े वर्ग ।

"अन्य पिछड़े वर्गों" की परिभाषा के आर्थिक मापदण्ड का पालन अधिकतर राज्य सरकारें भी कर रही हैं। वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दिखाई गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 4852/65** ।]

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को मिली सुविधायें "अन्य पिछड़े वर्गों" को देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इन वर्गों को शैक्षिक सुविधायें दी जा रही हैं और अननुसूचित, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश आदिम जातियों के लिये विशेष योजनाएं भी हाथ में ली गई हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों का जीवन-स्तर ऊंचा करने के लिये अधिक ज़ोरदार कार्यक्रमों की आवश्यकता है क्योंकि आर्थिक पिछड़ेपन के साथ साथ वे अस्पृश्यता की परम्परा अथवा शताब्दियों पुरानी पृथकता से उत्पन्न कई विकारों से पीड़ित हैं ।

सरकारी नियंत्रणाधीन चीनी के मिल

2114. श्री काशी नाथ पाण्डे : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत रक्षा नियम, 1962 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये गये चीनी के कारखानों के मामले में जिन महीनों में कारखाने नहीं चलते, उनमें मशीनों की मरम्मत तथा पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनों लेने के लिये समुचित राशि नियत नहीं की जाती; और

(ख) यदि हां, तो उन कारखानों को बैंकिंग सुविधायें न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं । सरकार के नियंत्रण के अधीन लिये गये सभी चीनी कारखानों में गन्ना न पेरने के सीज़न में आवश्यक मरम्मत की गयी और की जा रही है और इस कार्य के लिये निधि की कोई कमी नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हरिजन मतदाता

2115. श्री ब्रजेश्वर प्रसाद : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(एक) गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा

(दो) औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितने हरिजन मतदाता हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : जी नहीं । गया और औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के मतदाताओं की संख्या सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है और न उसका संग्रह ही किया जा सकता है क्योंकि निर्वाचक नामावलि में किसी व्यक्ति की जाति नहीं दी जाती ।

जोरहाट हवाई अड्डा

2116. **श्री रा० बरुआ :** क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा क रेंगे कि :

(क) रौरियाह हवाई अड्डे (जोरहाट) में एक असैनिक बस्ती बसाने के सम्बन्ध में क्या पग उठाये जा रहे हैं;

(ख) क्या स्थान चुनने के सम्बन्ध में वायु सेना और इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के अधिकारियों के बीच चलाने वाला मतभेद दूर हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) से (ग) : रौरियाह (जोरहाट) हवाई अड्डे पर एक सिविल एनक्लेव बनाने का निर्णय किया गया है। वायुसेना अधिकारियों ने एक स्थान का सुझाव दिया था लेकिन निचला क्षेत्र होने के कारण उसे उपयुक्त नहीं पाया गया। अब किसी दूसरे उपयुक्त स्थान को चुनने के सम्बन्ध में उनके साथ कार्यवाही चल रही है।

Employees of D. M. S.

2117. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwar Tantia :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of the Delhi Milk Scheme had announced to stage a demonstration at the residences of Ministers of Home Affairs and Food and Agriculture on the 4th September, 1965, to stress their demands;

(b) if so, the nature of their demands; and

(c) the decision taken by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) They had made an announcement to this effect but decided later not to stage a demonstration.

(b) The demands related to the working/service conditions of the staff in the D. M. S.

(c) A majority of the demands of the workmen have already been met and the remaining demands are under the active consideration of the Government.

आदिम जाति विकास खंड

2118. **श्री ह० च० सोय :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री 1 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 753 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह धारणा किस आधार पर बनाई गई है कि आदिम जाति विकास खंडों के व्यय में कमी होने का कारण यह नहीं है कि आदिम जाति विकास खंडों में काम करने वाले प्रशिक्षित आदिवासी अधिकारियों की कमी है अपितु इसका कारण यह है कि जिन आदिवासियों के हित के लिये विकास खंड बनाये गये हैं वे अपना अपेक्षित अंशदान न तो देने की स्थिति में हैं और न ही देने के लिये इच्छुक हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) भविष्य में इस रकम का अधिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिये बिहार सरकार ने किन विशिष्ट आधारों पर विशेष अभियान आरम्भ किया है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : राज्य सरकार एक अध्ययन के आधार पर इस निश्चय पर पहुंची है कि जनजाति विकास खंडों पर होने वाले व्यय में कमी का कारण वास्तविक कारण लाभ उठाने वाले जनजाति के व्यक्तियों का पर्याप्त मात्रा में इन लोगों का अंशदान इकठ्ठा कर सकने में असमर्थता था न कि आदिवासी विकास खंडों में प्रशिक्षित आदिवासी अधिकारियों का अभाव है। जहां तक आदिवासियों का संबंध है उनके द्वारा दिये जाने वाले अंशदान की माफी के प्रश्न पर सरकार सक्रीय रूप से विचार कर रही है।

(ग) इस राज्य सरकार से ब्यौरा मांगा गया है।

भूमि को कृषि योग्य बनाना

2119. **श्री ह० च० सोय** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री 11 मई, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3427 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की बड़ी-बड़ी खानों द्वारा छोड़ी गई कुल कितनी भूमि इस समय बेकार पड़ी है; और

(ख) इस निष्कर्ष पर पहुंचने का वैज्ञानिक आधार क्या है कि खानों द्वारा छोड़ी गई भूमि खेती करने अथवा जंगल उगाने के काम में नहीं लाई जा सकती ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) इस क्षेत्र के विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है क्योंकि इन क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) ऐसे छोड़े हुए क्षेत्र सामान्यत: कृषि तथा वनारोपण के उपयोगी नहीं होते हैं (1) खानों के खोदने के लिये ऊपर की उर्वरक मिट्टी हटा दी जाती है (2) ऐसी मिट्टी की रासायनिक बनावट पौदों के उत्पादन के लिये उपयुक्त नहीं होती है।

चने की कमी

2120. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चने की अत्याधिक कमी होने के कारण असैनिक सम्भरण विभाग, दिल्ली ने स्थानीय संस्थाओं को चना/दाल के पर्मिट जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन संस्थाओं के क्या नाम हैं और प्रत्येक को कितना कोटा नियत किया गया है; और

(ग) उपरोक्त वस्तुओं के लिये असैनिक संभरण विभाग ने क्या दरें निर्धारित की हैं और इसका कितनी मात्रा में आयात किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : पंजाब से चने का निर्यात परमिटों द्वारा किया जाता है। दिल्ली के सिविल रसद विभाग ने दिल्ली में पंजाब से चने का आयात करने के लिये जिन पार्टियों को परमिट दिये हैं, उनके नाम, प्रत्येक पार्टी को परमिटों पर दी जाने वाली मात्रा बताने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) दिल्ली में चने के भावों पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है। तथापि, थोक व्यापारियों को यह सलाह दी गयी थी कि वे खरीद भाव प्रति क्विण्टल जमा रु० 7.30 पुरानी बोरियां होने पर अथवा रु० 7.75 से अधिक कीमत पर चना न बेचें इसके साथ ही साथ खुदरा व्यापारियों को सलाह दी गयी कि वे परचून में चना थोक भाव में रु० 2.50 प्रति क्विण्टल जमा कार बेचें। 31-8-1965 तक दिल्ली में 40,659.42 क्विण्टल चने का आयात किया गया था।

नेफा तक हवाई यातायात

2121. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेफा और शेष देश के बीच हवाई यातायात को बढ़ाने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : इंडियन एयरलाइंस नेफा के लिए कोई सेवा नहीं चला रहा है। लेकिन एक अ-सूचित प्रचालक (नान-शिड्यूल-आपरेटर) मोहनबारी और अलौंग तथा मोहनबारी और पासीघाट के बीच अ-सूचित विमान सेवाएं चला रहा है।

Tube-Wells

2122. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state the effect on the working of the Tube-wells in Madhya Pradesh and Rajasthan as a result of the low level of water in the Gandhi Sagar Dam?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : Tube-wells in Chambal grid of Madhya Pradesh area have not been affected by low water level in Gandhisagar dam. The Rajasthan Government has intimated that no tube-wells exist near command area of Gandhi Sagar Dam.

राजधानी में गायों और भैंसों का पालन

2123. **श्री लखमू भवानी :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा क रेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजधानी में दूध की सप्लाई बढ़ाने की दृष्टि से पटेल नगर के पास गायों और भैंसों को पालने का आयोजन कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

शाहदरा (दिल्ली) के पास हवाई अड्डा

2124. **श्री लखमू भवानी :** क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सफदरजंग हवाई अड्डे के स्थान पर शाहदरा (दिल्ली) के पास एक नया हवाई अड्डा बनाने का आयोजन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और इस पर कितनी लागत आयेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

ढोर फार्म

2125. **श्री लखमू भवानी :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनाज की मांग को कम करने की दृष्टि से, लोगों को मांस सप्लाई करने के लिये देश के विभिन्न भागों में बड़े-बड़े ढोर फार्म खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

भिक्षावृत्ति

2126. **श्री लखमू भवानी :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में, विशेषत: पवित्र स्थानों पर, भिक्षावृति पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) : भिक्षा-वृत्ति पर नियंत्रण लगाना मुख्यत: राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी है। फिर भी चौथी योजना के दौरान कई चुने हुए केन्द्रों, जैसे यात्रा-स्थलों; पर्यटन केन्द्रों; बड़े-बड़े नगरों आदि में भिक्षा-वृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण लागू करने के सुझाव विचाराधीन हैं।

अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध मुकदमें

2127. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले छ: महीनों में विभिन्न राज्यों में चोर बाजारी करने वाले तथा जमाखोरी करने वाले लोगों के विरुद्ध कितने मुकदमें दायर किये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रखी जाएगी।

दिल्ली-नागपुर विमान सेवा

2128. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा क गे कि :

(क) पहली अगस्त, 1965 से नागपुर और दिल्ली के बीच रात्रि विमान डाक सेवा द्वारा सवारी यातायात रोक दिये जाने के कारण क्या इन दोनों नगरों के बीच सवारी विमान सेवा चालू करने का कोई दूसरा प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) : दो अतिरिक्त कारवेल विमानों के मिल जाने के बाद इंडियन एयरलाइंस आगामी जाड़ों में वाइकाउण्ट विमान से दिल्ली—नागपुर और मद्रास—नागपुर रात्रिकालीन विमान डाक सेवा को फिर से चालू करने का विचार रखती है।

आसाम की धुलेश्वरी नदी में जहाजरानी

2129. **श्री नि० रं० लास्कर :** क्या **परिवहन** मंत्री 11 फरवरी, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 82 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच आसाम की मिजो पहाड़ियों में बहने वाली "धुलेश्वरी" नदी को जहाजरानी योग्य बनाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई योजना पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) : आसाम सरकार द्वारा भेजी गई परियोजना की परीक्षा की जा चुकी है। राज्य सरकार को इस नदी पर नौचालन सुविधाओं की व्यवस्था की शक्यता को निश्चय करने की दृष्टि से जलीय सर्वेक्षण तथा अन्य अध्ययन करने की सलाह दी गई है।

Lorries registered in Nepal plying in Gorakhpur District

2130. Dr. Mahadeva Prasad : Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Nepali lorries, registered in Nepal, have been allowed to ply on the Sonauli-Nautanwan route in District Gorakhpur; and

(b) if so, the terms on which and the period for which they have been allowed to ply ?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b). The information required is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is received.

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं

2131. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री कपूर सिंह :
श्री सोलंकी :

क्या **परिवहन** मंत्री 31 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 299 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 16 अप्रैल, 1962 से लेकर 15 अगस्त, 1965 तक की अवधि में दिल्ली में विदेशी राजदूतावासों की कितनी मोटर गाड़ियों की सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) ऐसी कितनी दुर्घटनाओं में गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति छोड़ दिये गये अथवा उन पर मुकदमा नहीं चलाया गया; और

(ग) प्रत्येक मामले में इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) माननीय सदस्य ने जिस अवधि का जिक्र किया है उस में दिल्ली में 289 ऐसी दुघटनाएं हुई जिन में मुख्यत: सी० डी० मोटर गाड़ियां फंसी थीं।

(ख) और (ग) : एक मोटर गाड़ी के ड्रायवर को सजा हुई और 50 रुपये जुर्माना हुआ। ऐसे ड्राइवरों के विरुद्ध तीन मामले न्यायालय में विलंबित हैं और 8 मामलों की जांच हो रही है। शेष मामलों में ड्राइवरों को सजा नहीं हो गयी क्योंकि या तो वे राजनयिक उन्मुक्ति से प्रतिरक्षित थे या वे अपराधी सिद्ध नहीं हुए।

राष्ट्रसंघ का अपील न्यायालय

2132. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिडनी में हाल ही में हुए राष्ट्र संघ तथा साम्राज्य विधि सम्मेलन में राष्ट्र संघ का अपील न्यायालय बनाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के बारे में भारत का क्या दृष्टिकोण था ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : सिडनी में तृतीय राष्ट्र संघ तथा साम्राज्य विधि सम्मेलन में भारत के प्रस्तावित राष्ट्र संघ के अपील न्यायालय में भाग लेने के विरुद्ध निश्चय का आधार यह था कि यह पग राजनैतिक दृष्टि से भारतीय जनता को अस्वीकार तथा असुविधाजनक होगा। राष्ट्रसंघ के अपील न्यायालय में भाग लेने का अर्थ हमें अपनी कानूनी स्वायत्तता का परित्याग तथा सर्वोच्च न्यायालय को एक बाहरी निकाय के अधीन बना देना होगा। इस प्रयोजन के लिये संविधान में किये गये किसी भी संशोधन का सभी राजनैतिक दल और मतदाता विरोध करेंगे। संवैधानिक दृष्टि से हमारा भाग लेना असुविधाजनक होगा क्योंकि यह न्यायालय भारतीय संविधान और भारतीय कानून को हमारे देश की सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों के अनुसार क्रियान्वित नहीं कर पायेगी। आस्ट्रेलिया, केनेडा, पाकिस्तान तथा बहुत से अफ्रीकी देशों ने भी भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन किया है और इस न्यायालय में भाग न लेने से इन्कार कर दिया है। जो बाद में कैनबरा विधि मंत्रियों के सम्मेलन में विधि मंत्री ने यह भी बताया कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी परम्परा स्थापित की है और जनता में वह विश्वास उत्पन्न किया है कि इस पर किसी अन्य न्यायालय थोपना अव्यवहार्य ही नहीं बुद्धिमत्तापूर्ण भी न होगा।

राज्य सहकारी बैंको की अखिल भारतीय पारस्परिक व्यवस्था योजना

2133. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सहकारी बैंक की कोई अखिल भारतीय पारस्परिक व्यवस्था योजना आरम्भ की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) योजना की मुख्य बातें ये हैं :—

(1) इस योजना में भारत के सभी राज्य सहकारी बैंक, उनकी शाखाएं और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक भाग ले सकते हैं;

(2) इस योजना में सम्मिलित होने पर सहकारी बैंक देश भर में एक दूसरे को ड्राफ्ट जारी कर सकते हैं।

Colonies for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Maharashtra

2134. **Shri D. S. Patil :**
Shri Tulsidas Jadhav :

Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) whether there is any scheme for constructing colonies for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Maharashtra during 1965-66 and 1966-67; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Department of Social Security (Smt. Chandrasekhar) : (a) & (b). There is a scheme for giving financial assistance to Co-operative Housing Societies of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for construction of tenements in Maharashtra. The budget provision made for the year 1965-66 is Rs. 32·17 lakhs for Scheduled Castes and Rs. 6·00 lakhs for Scheduled Tribes under the Scheme. The programme for 1966-67 has not yet been finalised.

Amber Charkha Courses in Maharashtra

2135. Shri D. S. Patil :
Shri Tulsidas Jadhav :

Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) the number of training courses in Ambar Charkha stated in Maharashtra during 1964-65 and 1965-66 so far ;

(b) the total number of persons who have received training therein ; and

(c) the total expenditure incurred thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao) : (a) to (c). The information is being collected and will be placed on the Table of the House in due course.

Slaughter Houses in India

2136. Shri Jagdev Singh Siddhanti Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of slaughter houses in India in 1947 and 1965 separately !

(b) the total number of animals which were slaughtered in 1947 and of those which have been slaughtered in 1965 so far! and

(c) the quantity of meat and hides exported in 1947 and 1965 separately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (c). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha as soon as it becomes available.

दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की नवीन मूल्य दरें

2137. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मानकीकृत, टोन्ड तथा डबल टोन्ड दूध की नवीन मूल्य दरें निर्धारित करन के लिये दिल्ली दुग्ध योजना के शासी निकाय की बैठक 2 सितम्बर, 1965 को हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मूल्य-दरें निर्धारित की गई हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) यह विषय अन्तरंग सभा की आगामी बैठक में विचार करने के लिए स्थागित कर दिया गया है ।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में

RE : CALLING ATTENTION NOTICE

जकार्ता में एयर इंडिया के कार्यालय पर हमला

अध्यक्ष महोदय : अब हम जकार्ता स्थित एयर इन्डिया कार्यालय पर 13-9-1965 को तथा-कथित हमले के संबंध में श्री प्र० चं० बरुआ तथा अन्य सदस्यों द्वारा दी गई ध्यान दिलाने वाली सूचना पर विचार करेंगे ।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): मैं निवेदन करूंगा कि मुझे कल वक्तव्य देने की अनुमति दी जाये क्योंकि आज मेरे पास इस संबंध में सरकारी जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, हम इस पर कल विचार करेंगे ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

केरल पहाडी लोगों संबंधी नियम

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैं राष्ट्रपति के कृत्यों का निवहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965, को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल वन अधिनियम, 1961 की धारा 77 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ ० 265/64 की एक प्रति जो दिनांक 1 सितम्बर, 1964, के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें केरल पहाड़ी लोगों सम्बन्धी नियम, 1964, दिये गये हैं सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4839/65 ।]**

व्यापारिक नौपरिवहन (समुद्र में टक्करों की रोकथाम) संशोधन विनियम

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : मैं व्यापारिक नौपरिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत व्यापारिक नौपरिवहन (समुद्र में टक्करों की रोकथाम) संशोधन विनियम, 1965, की एक प्रति जो दिनांक 21 अगस्त, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1169 में प्रकाशित हुए थे, सभापटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4840/65 ।]**

मध्य प्रदेश चावल वसूली (उद्ग्रहण) संशोधन आदेश

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत मध्य प्रदेश चावल वसूली (उद्ग्रहण) संशोधन आदेश, 1965, की एक प्रति जो दिनांक 4 सितम्बर, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1282 में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4841/65 ।]**

भारत के समाचारपत्र पंजीयक के नवें वार्षिक प्रतिवेदन का भाग

Part I of Ninth Annual Report of the Registrar of Newspapers for India

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : श्री चे० रा० पट्टाभिरामन की ओर से मैं भारत के समाचारपत्र पंजीयक के "प्रेस इन इण्डिया, 1965" नामक नवें वार्षिक प्रतिवेदन के भाग 1 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4842/65 ।]**

राज्य-सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह सन्देश मिला है कि लोक-सभा द्वारा 18 अगस्त, 1965, को पारित किये गये बैंकिंग विधियां (सहकारी समितियों पर लागू करना) विधेयक, 1965 से राज्य-सभा अपनी 9 सितम्बर, 1965 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई।

लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक
REPRESENTATION OF THE PEOPLE (SECOND AMENDMENT) BILL

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य-सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये :

"अधिनियमन सूत्र

(1) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, शब्द 'Fifteenth' [पन्द्रहवें] **के स्थान पर** शब्द 'Sixteenth' [सोलहवें] **रखा जाये ।**

खण्ड 1

(2) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 **में** अंक '1964' **के स्थान पर** अंक 1965 **रखा जाये ।"**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य-सभा द्वारा किये संशोधनों पर विचार किया जाये ।

"अधिनियमन सूत्र

(1) कि पृष्ठ 1, पंक्ती 1, शब्द 'Fifteenth' [पंद्रहवे] **के स्थान पर** शब्द 'Sixteenth' [सोलहवें] **रखा जाये ।**

खण्ड 1

(2) कि पृष्ठ 1, पंक्ती 4 में अंक '1964' **के स्थान पर** अंक 1965 **रखा जाये ।"**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । /*The motion was adopted.*

श्री जगन्नाथ राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"अधिनियमन सूत्र

(1) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, **में** शब्द 'Fifteenth' [पन्द्रहवें] **के स्थान पर** शब्द 'Sixteenth' [सोलहवें] **रखा जाये ।"**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"अधिनियमन सूत्र

(1) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, में शब्द 'Fifteenth' [पंद्रहवें] **के स्थान पर** शब्द 'Sixteenth [सोलहवें] **रखा जाये**"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । /*The motion was adopted.*

श्री जगन्नाथ राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"खण्ड 1

(2) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4, में अंक '1964' **के स्थान पर** अंक '1965' **रखा जाये** ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 1

(2) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4, में अंक '1964' के **स्थान पर** अंक '1965' **रखा जाये** ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । /*The motion was adopted.*

श्री जगन्नाथ राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक में राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति प्रकट की जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक में राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति प्रकट की जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । /*The motion was adopted.*

डा० लोहिया की रिहाई के बारे में लोक-सभा को सूचना मिलने में विलम्ब

DELAY IN RECEIPT OF COMMUNICATION TO THE LOK SABHA RE : RELEASE OF DR. LOHIA

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : सभा द्वारा अनुपूरक मांगों पर विचार किये जाने से पूर्व मैं आपका ध्यान नई दिल्ली की सैन्ट्रल जैल से प्राप्त सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसे आज तक पहुंचने में 5 दिन लगे । यदि राष्ट्रीय संकटकाल में यह दशा है तो इसकी जांच होनी चाहिये । यह सूचना डा० लोहिया की जेल से रिहाई के सम्बन्ध में हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करवाऊंगा ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) 1965-66 जारी—

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS), 1965-66—*Contd.*

श्री लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मांग संख्या 14 के संबंध में मेरा निवेदन है कि रेल एवं सड़क यातायात का विकास प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं किया गया—विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां अब कठिनाई हो रही है ।

[डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी]

हमारे पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में जो कुछ हो रहा है वह हमें सावधान करने के लिये काफी है। अब समय आ गया है जब हमें अपने यातायात विशेषकर रेल यातायात के दुर्गम क्षेत्रों--जैसे राजस्थान--में विकास की आवश्यकता पर बल देना चाहिये।

पोकरन से जेसलमेर तक रेलवे लाईन के निर्माण की आवश्यकता को टाला नहीं जाना चाहिये क्योंकि यदि यहां तेल न भी मिले तो भी 'सुई' गैस काफी मात्रा में प्राप्त होगी। इस क्षेत्र में हम एक बहुत विशाल नहर परियोजना भी बनाने वाले हैं।

रेलवे को अपना संगठन सुव्यवस्थित करना चाहिये क्योंकि इसमें शिथिलता आती जा रही है। उसे किसी राज्य विशेष के अनुचित दबाव में नहीं आना चाहिये। मेरा सुझाव है कि एक 'मीटर-गैज ज़ोन' बनाया जाना चाहिये ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार निर्विघ्न तथा पूर्ण रूप से हो सके। मंत्री महोदय बताये कि क्या उनके समक्ष नई लाइनों के निर्माण और रेल द्वारा संचार के विकास का पूर्ण चित्र है? क्योंकि इससे हमें यह मांगें स्वीकार करने में सुविधा होगी।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेषकर गुरदासपुर जिले में, जो काश्मीर को बाकी देश से मिलाता है, रेलवे ने महत्वपूर्ण काम कर दिखाया है। इस समय मेरा मन बहुत भरा हुआ है क्योंकि वहां आजकल बमबारी हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत से देशवासियों से कई तार मिले हैं कि संसद् सदस्यों को इस संकट के समय में अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में रहना चाहिये और मैं ने आप सब सदस्यों की ओर से उन्हें लिख दिया है कि इस समय हम राज्य कार्य में व्यस्त है और इसे निपटाते ही हम अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों को लौट जायेंगे।

श्री दी० चं० शर्मा : इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : सदन में तथा इसके बाहर जो कुछ युद्ध विराम के बारे में कहा जा रहा है, उसका समुचित ढंग से समन्वय होना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : सभी माननीय सदस्यों ने यह मामला गम्भीरता से ले लिया तो संसद् को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : संसद् 24 को स्थगित हो रही है।

श्री दी० चं० शर्मा : चुनाव क्षेत्रों से मिले पत्रों का जो उत्तर आपने दिया है, उसके लिए मैं आपका आभार मानता हूं। अब मैं विषय की ओर आता हूं। मेरा निवेदन यह है कि अमृतसर से पठानकोट वाली रेलवे लाईन बड़े सामरिक महत्व की है। इसकी प्रतिरक्षा क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए। यह तो आपको पता ही है कि गुरादासपुर रेलवे स्टेशन पर बमबारी हुई थी। वहां अच्छा रेलवे स्टेशन बनाना चाहिए। अतः अमृतसर से पठानकोट तक लाईन बनाई जानी चाहिए। जम्मू से रियासी और पठानकोट से जम्मू तक भी लाईनें बननी चाहिएं। इन रेलों के लिये मांग काफी समय से की जा रही है।

वैसे मैं लोक लेखा समिति का प्रशंसक हूं। परन्तु यह संकेतिक 1000 रुपये की मांग को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। यह संकेतिक मांग कुल व्यय का कितना अनुपात है, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। सांकेतिक मांग कुल व्यय के मुनासिब अनुपात से होनी चाहिए। उत्तर भारत में रेलों के दोहरा करने का काम हो रहा है, यह अच्छी बात है। सामरिक महत्व की लाइनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

भारत की रेलें हर प्रकार से बहुत उत्तम हैं। इंग्लैंड में सभी घाटे वाली लाइनों को बन्द कर दिया गया है। परन्तु भारत में हमें अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं को देखकर चलना है। लाभ की बात बाद में आती है। इस दृष्टि से भारत की रेलों ने इस आपात काल में भी बहुत ही सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है।

श्री अ० प्र० शर्मा (बम्सर) : मैं इन अनुपूरक मांगों का समर्थन करते हुए कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहुंगा। विशेष रूप से रेलगाड़ियों की गति को बढ़ाने के सम्बन्ध में। मेरा निवेदन यह है कि भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण की बहुत ही आवश्यकता है। दिल्ली-हावड़ा लाइन के विद्युतीकरण के साथ गाड़ियों की गति में वृद्धि की जानी चाहिए। यह बहुत ही अच्छा हो, यदि यात्री सेवा में विद्युत चालित इंजनों से चलाई जाये। रेलों की गति उन क्षेत्रों में भी बढ़ाई जानी चाहिए जिनमें बिजली उपलब्ध है।

इसके साथ ही मेरा यह भी सुझाव है कि विद्युतीकरण के पूर्ण होने के बाद भी आपातकालीन कार्यों के लिये डीज़ल इंजनों अथवा बाष्प इंजनों से गाड़ियां चलाने का कार्य लिया जाना चाहिए। यह वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में किया जाना चाहिए। विजयवाड़ा और मद्रास के बीच गाड़ियों की रफ्तार में तेजी लानी बहुत ही आवश्यक है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

कर्मचारियों को प्रशिक्षण का प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है। पता चला है कि जहां रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण हो चुका है, वहां भी काफी संख्या में कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। उन लोगों को मंत्री महोदय के आश्वासन दे दिये जाने के बाद भी काम पर नहीं लगाया जा रहा। जिन लोगों ने इन परियोजनाओं में काम किया है और इन्हे पूर्ण करने का कार्य किया है, यदि उन्हें इस कार्य के समाप्त होते ही नौकरियों से हटा दिया गया तो प्रगति का सारा विचार सारहीन-सा बन कर रह जायेगा। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि भारतीय रेलवे में सैकडों इंजीनियर ऐसे हैं जो अस्थायी ही चले आ रहे हैं। उन्हें किसी पदावलि में शाम शामिल करके स्थायी बनाना चाहिए।

इस शब्दों से मैं उन मांगों का समर्थन करता हुं।

श्री मा० श्री० अणे (नागपुर) : मैं इन सभी मांगों का समर्थन करता हुं। परन्तु इसके साथ ही एक सुझाव प्रस्तुत करता हुं। मेरा निवेदन है कि दरवाड़ से पुसराज तक जाने वाली छोटी लाईन का पुनः निर्माण किया जाना चाहिए। भूतपूर्व मध्य प्रदेश रेल्वे की छोटी लाईनें मुरतिजापुर से दरवाड़ तक तथा मुरतिजापुर से अलीसपुर तक जानी है। उनके ठेके बहुत ही शीघ्र समाप्त होने वाले हैं। इसके पश्चात् उन्हें बड़ी लाईनों में परिवर्तित किया जाना चाहिए। इससे यातायात और यात्रियों, दोनों को लाभ होगा।

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga): While supporting these demands for Supplementary grants, I would like to draw the attention of the Minister to one thing. Perhaps he knows that Samastipur and Darbhanga are very important Railway junctions. But the 24 mile track between them is connected by a metre gauge line which is always over-crowded due to happy traffic. There was a proposal sometimes back that in order to relieve the pressure, traffic should be diverted from Muzaffarpur by constructing a 36-mile line between Muzaffarpur and Darbhanga.

Some alternative proposals were also there. But nothing have been done so far in this connections. I may urge upon the Minister that same decision must be taken in this direction as early as possible. If this is not possible that this line should be doubled.

Shri Achal Singh (Agra) : I support the demands for grants put forward by the Hon. Minister, regarding Railway. Railway is very important transport in our Country. I want to draw the attention of the Minister to this necessity that the line between Mathura and Agra should be doubled. It will cover the whole track between Delhi and Agra by a double line.

श्री ओझा (सुरेन्द्र नगर) : अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि मोरवी तथा अमरन के बीच की छोटी लाइन को पहली अक्तूबर से तोड़ा जाने का कार्यक्रम है। कठिनाई यह है कि इन स्थानों के बीच कोई भी दूसरी सड़क नहीं है। गुजरात सरकार ने जिस सड़क का निर्माण आरम्भ किया था, वह अभी तक पूर्ण नहीं हो पायी है। मेरा सुझाव है कि इस लाइन को अभी तोड़ा नहीं जाना चाहिए।

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : मुझे अनुदान की मांगों के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि ये सब शांतिकाल की परियोजनायें हैं। वर्तमान समय में हमारी योजनायें प्रतिरक्षा प्रधान होनी चाहिए। इस दृष्टि से हमें प्राथमिकताएं पुनः निर्धारित करनी होगी। प्रयत्न यह किया जाना चाहिए कि सीमावर्ती आवश्यकताओं का ध्यान सब से पहले रखा जाय। जिन स्थानों पर इस समय आक्रमण हो रहा है और जहां हमने अपनी प्रतिरक्षा को सुदृढ़ करना है उसकी ओर सब से पहिले हमारा ध्यान जाना चाहिए।

इस सन्दर्भ में मेरा यह भी सुझाव है कि सुविधाओं के प्रश्न को इस समय अलग रख देना चाहिए। पहिले लोगों को अधिक आवास देने का प्रयास किया जाना चाहिए। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पहले सांकेतिक मांगों को प्रस्तुत करने तथा उसके बाद अनुपूरक मांगों को प्रस्तुत करने की प्रथा को एक नियम के रूप में नहीं ले लेना चाहिए। मेरा निवेदन है कि लोक लेखा समिति की राय का पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

Shri K. D. Malaviya (Basti) : I want to draw the attention of the Railway Minister to one important problem. I want that our conception of laying the new Railway lines should be reconsidered. The backward areas which are not able to sustain the burden of broad gauge line should be provided with narrow gauge line. In this way we will develop these areas economically. They will be opening them to the outer world also. We are now in a position to manufacture the rolling stock for such lines in our own Country. I hope Railway Ministry will seriously consider my suggession.

Shri R. S. Pandey (Guna) : I want to suggest that in view of overcrowding and conjestion in our trains, we should introduce double-decker bogies as are used in other Countries. It will remove congestion and overcrowding.

रेल्वे मंत्री (श्री स० का० पाटील) : जैसा कि मैंने कल कहा था कि ये मांगें केवल उन योजनाओं के सम्बन्ध में सांकेतिक मांगें है जिनको आय-व्यय में सम्मिलित नहीं किया गया था। इन्हें निर्धारित समय से पूर्व ही चालू करने की सम्भावना है। इसका कारण यह है कि मंत्रालय योजनाओं को आशा से पूर्व ही कार्यान्वित कर लेता रहा है। लोक लेखा समिति ने सुझाव दिया है कि एक सांकेतिक अनुदान के लिये मांग की जानी चाहिए ताकि सदन को इस बारे में जानकारी हो जाय। सदन को सूचित रखने के विचार से ही यह लोकतंत्रात्मक साधन अपनाया गया है। विशेष प्रयोजनों के लिए अनुदानों से उन सुझावों का कोई सम्बन्ध नहीं है जो कि वहां दिये गये हैं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि प्रतिरक्षा सम्बन्धी प्रयत्नों की ओर तुलना में अधिक प्राथमिकता दी जाय। परन्तु हमें न केवल रेलवे यातायात का ही प्रत्युत यातायात के अन्य साधनों का भी ध्यान रखना है। रेलवे कर्मचारियों के बारे में जो सुझाव दिये गये हैं, उसका भी हम ध्यान रखेंगे। यह ठीक है कि विद्युतीकरण के फलस्वरूप हमारे कुछ कर्मचारी बेकार हो जायेंगे। पर हमें निश्चित रूप में प्रशिक्षित करके नौकरी पर लगाये रखेंगे। इस तरह के मामलों की ओर हमारा ध्यान दिलाया जाय, जो कुछ इस बारे में सम्भव होगा किया जायेगा।

हम छोटी लाइनें नहीं बिछा रहे हैं, क्योंकि यह घाटे का काम है। छोटी लाइनों को बड़ी में बदलने के लिये शीघ्रातिशीघ्र कार्य हो रहा है। जब तक सड़क न बन जाये, तब तक छोटी लाइन हटाई न जाय। इसमें भी भूमि प्राप्त करने में कठिनाइंया हैं, परन्तु फिर भी जो सम्भव होगा, इस दिशा में किया जायेगा। मेरे मित्र श्री के० दे० मालवीय ने भी कुछ सुझाव दिये हैं और मैं उनको आश्वासन देता हुं कि उन पर ध्यान दिया जायेगा।

श्री राम सहाय पाण्डेय दुमंजिली रेलगाडियां चाहते हैं। यह बड़ी अच्छी बात है। जापान में दुमंजिली रेलगाड़ियां सफलता से चल रही हैं। इन बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। एक स्थान पर ऐसा करना सम्भव हो सकता है लेकिन दूसरे स्थान पर नहीं। अतः हम इसको भी ध्यान में रखेंगे।

इन शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि ये मांगे स्वीकार की जायें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1965-66 के लिये आय-व्यय के रेलवे सम्बध में अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगे मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुअी।

The following supplimentary demands for grants in respect of Budget (Railway) for the year 1965-66 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
2	रेलवे—विविध व्यय	1,000
14	नई लाइनों का निर्माण	1,000
15	चालू लाइन निर्माण-कार्य—पूंजी, मूल्य-ह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि।	1,000

दिल्ली मोटर गाड़ियां करारोपण (संशोधन) विधेयक

DELHI MOTOR VEHICLES TAXATION (AMENDMENT) BILL

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम, 1962 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

यह विधेयक 1 अप्रेल 1963 से लागू किया गया था। अधिनियम की धारा 20 में यह व्यवस्था है कि मोटर गाड़ियों से वसूल किये गये कर को वसूली पर होने वाले आवश्यक खर्च को काट कर परस्पर सहमति से एक निश्चित अनुपात में दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका को अपनी-अपनी सड़कों आदि के संधारण के खर्च के लिये दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की फीस और टैक्स के रूप में वसूल की गयी रकम में से खर्च काट कर बची हुई रकम के वितरण कर आधार दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्राधिकार में मोटर चलाने योग्य सड़कों का क्षेत्रफल है। तथापि यह देखा गया है कि छांवनी बोर्ड को इस में से कुछ भी भाग नहीं मिलता है हालांकि उनको भी कई सड़कों का संधारण करना पड़ता है और उनके क्षेत्राधिकार में भी कई सड़कें हैं।

[श्री० राज बहादुर]

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य करों से प्राप्त होने वाली रकम में से एक उचित अंश दिल्ली छावनी बोर्डको भी देने की व्यवस्था करना है। इस विधेयक के खण्ड 3 का यही उद्देश्य है।

दूसरी बात अनुसूचि I के भाग 'क' मे मद संख्या 3 के उप-मद (ज) मे कुछ स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए। इस समय करारोपण के ख्याल से मोटर गाड़ियों की व्याख्या निम्न प्रकार की गयी है :

"मोटर गाड़ियां जिनका रजिस्टर्ड लदान भार 10 टन से अधिक हो"

अगले कालम में यह लिखा है :

"हर टन अथवा उसके भाग के लिये 100 रुपये।"

इरादा यह है कि 10 टन तक कर 700 रुपये है और 10 टन के बाद, जब भार 10 टन से बढ़ जाता है, हर अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग के लिये 100 रुपये अतिरिक्त कर लगेगा। अधिनियम में यह बात बिलकुल स्पष्ट नहीं थी। अब इस विधेयक में संशोधन द्वारा इसको स्पष्ट किया जा रहा है। इस विधेयक के यही दो प्रमुख उद्देश्य हैं। मैं समझता हूं कि यह विधेयक निर्विवाद है और सभा इससे सहमत होगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Mr. Speaker, Sir, this Bill is commendable.

No proper attention is paid to the maintenance of roads. So long as the Government dose not ensure that the Delhi Municipal Corporation or the New Delhi Municipal Committee or the Delhi Cantonment Board construct or maintain roads properly, they have no right to collect taxes. There is no representation here of the Transport Company of Jaipur, Rajasthan.

Before any share of the Tax proceeds is made over to these bodies, it should be ensured that they look after the roads properly otherwise Government should take this work in their own hands. The condition of Ring Road is so bad that if some outsider goes there he comments that he is in such a country where there is no engineer, no P. W. D. etc.

Some provision should be made for the representation of transport operators in Parliament.

Shri Naval Prabhakar (Delhi-Karol Bagh) : Mr. Speaker, Sir, this Bill is very simple. The conditions of certain road is very bad. The purpose of collecting taxes is giving shares to the Delhi Municipal Corporation, New Delhi Municipality, Delhi Cantonment Board is not being served. The conditions of colonies in far flung areas is still worse. The Hon. Minister should ensure that money should be utilised properly for the purpose for which it is given to them.

Shri Raj Bahadur : Mr. Speaker, Sir, I admit that most of roads in Delhi and at other places are damaged due to rains. I also admit that there is scope of lot of improvement for the maintenance of roads. We do not construct our roads with the help of machines. New roads take some time before they are *pacca*. If they are constructed with the help of machines such difficulties can be removed. But we have not got machines in sufficient number.

Today roads in New Delhi are better than those in Old Delhi. Delhi Municipal Corporation does its best for the maintenance of roads which come under their jurisdiction.

So far as motor Transports of Rajasthan are concerned they are given facilities by Municipality there but taxes are collected only from those who are registered in Delhi. There are representatives from Rajasthan here in this House. Today the necessity is of giving arms to them, to train them properly for the defence of our borders, to face enemy like Pakistan.

With these words, I commend this Bill for the acceptance of the House.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली मोटरगाड़ी करारोपण अधिनियम, 1962 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

अध्यक्ष महोदय : इस पर संशोधन कोई नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 से 3, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खंड 1 से 3, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये । *Clauses 1 to 3, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

श्री राज बहादूर : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि विधेयक को पारित किया जाए" ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

सदस्य का निरुद्ध किया जाना (श्री बदरुद्दुजा)

DETENTION OF MEMBER (SHRI BADRUDDUJA)

अध्यक्ष महोदय : मुझे अभी कलकत्ता की अलीपुर स्पेशल जेल के सुपरिंटेंडेंट से निम्न सूचना प्राप्त हुई है :

"मैं निवेदन करता हूं कि सैयद बदरुद्दुजा, संसद सदस्य को भारत की प्रतिरक्षा नियमों, 1962 के नियम 30 के अधीन 10 सितम्बर, 1965 को इस जेल में लाया गया था और उन्हें प्रथम डिवीजन का कैदी, जिस पर मुकद्दमा चला रहा है, माना जा रहा है ।"

दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक

DELHI LAND REFORMS (AMENDMENT) BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1964 संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली में 20 जुलाई, 1964 को लागू किया गया था। इस अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में "शामलात" भूमि का अधिकार गांव-समाओं में निहित है। गांव-सभाओं का कृत्य और जिम्मेवारी यह है कि वह यह सुनिश्चित करे कि कोई व्यक्ति भूमि पर अनुचित अधिकार न जमाये। उस व्यक्ति को, जिसने कानुन का उल्लंघन कर के हस्तांतरण द्वारा भूमि पर कब्जा किया हो अथवा कृषि भूमि का कृषि के अतिरीक्त अन्य प्रयोजनों के लिये उपयोग किया हो, निष्कासित करने की जिम्मेवारी भी गांव-सभाओं की है।

इस अधिनियम को क्रियान्वित करन के दौरान कानून में कुछ त्रुटियों का पता लगा है। कई गांव-सभायें अपन कृत्यों को प्रभावशाली तरीके से पूरा करने में असफल रही हैं। गांव सभाओं की भूमि पर अनुचित अधिकार तक इस कानून का उल्लंघन करके हस्तांतरण करने के लिये कई मामलों की सूचना मिली है। और इससे गांव सभाओं को और सरकार को राजस्व की हानि हुई है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि गांव सभाओं की भूमि पर अनुचित अधिकार रोकने तथा कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को निष्कासित करने के लिये गांव-सभा के प्रयत्नों को सम्पूरक बनाने के लिये राजस्व अधिकारियों को आवश्यक अधिकार दिये जायें। कई मामलों में दिल्ली पंचायत राज अधिनियम, 1954 की धारा 36 के अन्तर्गत कानूनी अदालतों में किये गये मुकदमों में अनधिकृत कब्जा करने वालों के दावों को स्वीकार करने में कुछ सिद्धान्तहीन प्रधानों की अनधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्तियों के साथ गठजोड करने के कारण गांव सभाओं को हानि उठानी पडी है। अतः ऐसी सम्पत्तियों को वापस लेने और भविष्य में ऐसी हानि को रोकने के लिये पर्याप्त उपाय करना आवश्यक है।

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के लागू होने के बाद कई गांवों को जो कि गांव-सभाओं के क्षेत्राधिकार में आते हैं, नगरीय क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है तथा दिल्ली पंचायत राज अधिनियम, 1954 अब उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। परन्तु गांव सभाएं निगमित निकाय होनें के कारण उन क्षेत्रों में विद्यमान है यद्यपि उनके कोई पंचायत के कृत्य नहीं हैं। वर्तमान कानून में नगरीय क्षेत्रों में इन निकायों को समाप्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है। परन्तु अन्तरीम उपाय के रूप में उन क्षेत्रों में उनकी सम्पत्तियों का प्रबन्ध डिप्टी कमिशनर को सौंपा गया है। यह आवश्यक है कि नगरीय क्षेत्रों में गांव सभाओं को समाप्त करने के लिये और उनकी आस्तियों तथा दायित्वों के निपटारे के लिये व्यवस्था की जाये। वर्तमान विधेयक में, जिसमें 27 खंड हैं, इन उद्देश्यों को पूरा करने की व्यवस्था की गयी है।

अधिनियम में संशोधन करते समय, हमने संघीय सशस्त्र सेनाओं में काम कर रहे कर्मचारियों की कठिनाईयों पर भी ध्यान दिया गया है। हमने इन कठिनाईयों को दूर करने के लिए और सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों को कुछ रियायतें देने के लिए प्रयत्न किया है इस बारे में खंड 4, 14 और 16 रखे गये हैं।

हमने उन वृद्ध व्यक्तियों को, जिनके जवान बेटे सेना में भर्ती हो गए हैं, असामियों को भूमि पट्टे पर देने से छूट दे दी है।

खंड 14 द्वारा धारा 75 में संशोधन किया जा रहा है जिससे गांव सभाएं उन व्यक्तियों को जो संघीय सशस्त्र सेनाओं में हैं और उन व्यक्तियों के आश्रितों को जो लडाई में मारे गये हैं और उन व्यक्तियों को जिनको विरता के लिये सम्मानित किया गया है, भूमि देने में उच्च प्राथमिकता बरत सके।

खंड 16 में यह व्यवस्था है कि सशस्त्र सेनाओं से पृथक होने पर वह व्यक्ति दावा दायर करने के बजाय सिर्फ डिप्टी कमिशनर को लिखित आवेदन करके अपनी भूमि वापस ले सकता है। यदि उस भूमि में फसल खडी है तो फसल करने के एक महीने बाद उसको वह भूमि मिल सकेगी।

खंड 18 द्वारा धारा 81 में संशोधन किया जा रहा है जिससे कृषि भूमि का कृषि से भिन्न कार्यों में उपयोग करने पर, यदि गांव सभा कार्यवाही करने में असफल रहती है, राजस्व सहायक उस भूमि को खाली करा सकें।

आज अधिक अन्न उत्पादन की बडी आवश्यकता है। खंड 11 में व्यवस्था है कि यदि दो वर्ष तक भूमि में खेती न की जाये तो उसके खेती के लिय आसामी को पट्टे पर दिया जा सकता है।

यह विधेयक इसलिये लाना पडा क्योंकि हमें अनुचित अधिकार की कई शिकायतें मिलीं और हमें संसद सदस्यों से भी शिकायतें मिलीं। इसको गृह मंत्री की दिल्ली मंत्रणा समिति के समक्ष रखा गया था और समिति ने 20 फरवरी, 1965 की अपनी बैठक में इस पर सहमति प्रकट की।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : This Bill is not a comprehensive one. In this Bill attention is not paid to the difficulties of farmers. I congratulate the Hon'ble Minister for giving relief to the persons in the Armed forces. We are at a loss to understand as to why the Revenue Assistant is being given powers of ejectment.

This Socialism is proving costly to the tiller. They should be given some exemptions in the land revenue.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

In Delhi the land, which was purchased from farmers at the rate rupees four per yard was sold at Rs. 250 per yard; but the farmers were not given anything out of the profit.

It is good that tenancy rights have been given to the farmers whose sons join the arms forces. But no facility is given to the ordinary farmer.

Gandhiji said "That Government is the best which governs the least.". So the work to be done by Gaon Sabhas should be entrusted to them and the Government should not interfere unnecessarily.

I think the Land Reforms Act can prove successful only when Government enact such legislation that people of rural areas will not be allowed to construct houses in the urban areas. This is necessary because today well-to-do persons do not like to live in villages and they come in cities.

The Government should provide facilities like tube-wells and canals for the betterment of the tiller and his land. The Government should see that new houses are not constructed in Delhi. They should also see that for the development of villages all the offices and headquarters are established in villages.

The Government should ensure that the land of a farmer which he cultivates, will not be acquired against his wishes. Today the position is that he is not at all consulted and his land is acquired. The tenancy rights should be made permanent.

[Shri Yashpal Singh]

Step motherly treatment should not be meted out to villages. Government should provide facilities of dispensaries, schools and roads etc., in villages in the same manner in which they do so in cities. There is no such provision in the Bill. In villages schools are situated at distant places. So this is in contraventions of the provisions of our Constitution that equal opportunities are not guaranteed to all.

The Government should again bring this legislation with the provision that the tiller shall be the master of his land and no one will have the right of ejectment.

The decentralisation means that the rights of setting suits in connections with land are given to Gaon Sabha, Gram Panchayat and the village Tribunal. such right should not be conferred upon an individual.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रतिरक्षा मंत्री आज 3·30 बजे एक वक्तव्य देंगे ।

Shri Naval Prabhakar (Delhi-Karol Bagh) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the object of this Bill is limited. The land under the jurisdiction of Gaon Sabhas in Delhi is looked after by those Gaon Sabhas. In this bill there is provision of removal of encroachments on Gaon Sabha lands and ejectment of persons who violated the law and this right has been conferred upon the Deputy Commissioner.

Secondly the Bill aims at checking losses being suffered by Gaon Sabha on account of certain unscrupulous Pradhans colluding with unauthorised occupants of Gaon Sabha lands in admitting the claims of the unauthorised occupants in courts of law. This does not harm the farmers in any way.

Today, whereas villages around Delhi have electricity, approach roads, Schools etc., additional Housing facilities have been denied to them so far, whereas population has increased there also. This problem should be properly looked into.

Surplus land lying with Gaon Sabhas should be given to landless agriculturists for the welfare of both and this will avoid unauthorised occupation of this land. Unauthorised occupants get away with token fines which encourages this undesirable act. The compensation paid for acquiring land belonging to Gaon Sabhas should be spent on welfare works in the villages concerned such as Community Halls and dispensaries etc. Villages around Delhi are being exterminated after declaring them slum areas on the surrounding land had been acquired for construction of residential quarter for urban people.

Shri Bade (Khargone) : I stand to oppose this Bill for its provision regarding transfer of certain powers from Gaon Sabhas to Revenue Department and the reason put forward is that certain Gaon Sabhas do not effectively use these powers. Since Panchayati Raj is still in an experimental stage, such difficulties are inevitable. On the other hand, the Government should have given more powers to them to encourage them and for this the Panchayati Raj Act should be suitably amended.

It has been stated that about 200 Gram Sabhas have been superceded by the Commissioner. This is not proper; neither this is in the interests of establishing Panchayati Raj in the country. Now when there are clashes between Gram Sabhas and Municipalities, the Deputy Commissioners have been authorised to supercede both of these. This could have been foreseen in 1957 when legislation on this was enacted. Now there will be nothing but confusion.

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : The city of Delhi is fast developing. The planning for Delhi is defective. The Minister should take into consideration the impact of urbanisation in the next thirty or forty years. The implications of the plan for Greater Delhi should be properly considered before enacting any legislation, otherwise it will necessitate further amendment in the near future.

It has been provided in the Bill that the land belonging to persons who are serving in the Armed Forces will be kept reserved and will be returned to those persons on their retirement from service. But it has not been provided that what would happen if the land is acquired for urbanisation. The provision regarding priority to ex-servicemen in the matter of allotment of land is defective since most of the Gaon Sabhas have no land. This provision will, therefore, remain on paper. I, therefore, suggest that after the amending bill is passed a special committee should be appointed to collect information regarding lands with Gaon Sabhas.

People are worried about their lands. I received a telephone today enquiring whether their land was to be acquired under the new Bill. Some of the villagers are wholly dependent on agriculture whereas for others it is only a secondary occupation. It is necessary to demarcate the agricultural land so that it is not used for industrial purposes.

There is no planning in the matter of rural electrification. The businessmen are trying to go to villages and land is being sold to them by the villagers. It is a serious and important matter. The industrialists exploit the farmers and thus land no longer remains with farmers for use of agricultural purposes.

If the Government wants proper observance of this law, it is necessary to plug the existing loop holes. I support this Bill on the condition that a committe should be appointed to undertake a survey of the villages and if it is found necessary, an amending Bill should be brought accordingly.

Shri Balmiki (Khurja) : I support Delhi Land Reforms (Amendment) Bill although I have some apprehensions about the proposed amendments. Legislation regarding land reforms should be complete in itself. There should be no need to bring forward amendments. Such a legislation should be brought only after chalking out a comprehensive policy.

After the abolition of zamindari, provision was made to grant powers to villages and Gaon Sabhas. There might have been certain discrepancies in the working of some panchayats. Legislative steps have been taken in Delhi, Uttar Pradesh and other States to reduce the powers of Gaon Sabhas and Gaon Panchayats so that unlawful acts by the Presidents of Gaon Sabhas or Sarpanches could be stopped. I doubt that it can be done by giving special powers to senior officers.

I think Delhi Administration has not been doing its job properly. It was due to this that Government land has been occupied in unauthorised manner. Government should encourage Panchayat system by giving them more powers. I agree that unauthorised occupation of Government land should be got vacated, but at the same time we should enquire into the reasons for such occupations. The real cause of the trouble should be removed first.

Delhi has been expanding very fast. We should see to it that the neighbouring villages are not harmed by this.

[Shri Balmiki]

We see a danger to neighbouring states in the shape of Master Plan of Delhi. It is aimed at usurping the areas of those states.

We want to increase food production. We can achieve this aim only by providing more and more facilities to farmers. We should turn rural areas into urban areas. Their land should not be acquired. A farmer has great attachment for his land.

70 per cent people of our country are engaged in agriculture and the rest 30 per cent in other professions. Government should assure the farmers that their land will not be taken by Government for any purpose whatsoever.

Very large areas of land are water logged in Delhi. This land should be brought under cultivation. Government is empowering the Deputy Commissioner to distribute Government land. I want that the interest of backward classes should be given due consideration.

I appreciate the provision in this Bill, regarding concession to Army personnel. They are fighting to defend the freedom of our Country. They should be given every concession.

It is a pity that no proper care is taken to safeguard the interests of Scheduled Castes in Delhi. We should try to ameliorate the conditions of backward people.

Special attention should be paid to agriculture during fourth plan. It is correct that we can prosper by industrialisation only. We have to increase our food production also. Delhi should serve as a model in this respect. I feel the hon. Minister will take into consideration my suggestion to bring forward a comprehensive Bill. With these words I support this Bill.

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga) : It is a pity that Gram Panchayats have not been able to exercise their right in respect of control and management for common land. This land was to be under the control of Panchayat. That is why this amending Bill has been brought. Now provision is being made to empower the Deputy Commissioner to make arrangements for that land. It has been stated here that 2843 unauthorised transfers have taken place in this regard. I hope that officials, who are in charge of Panchayat affairs, would ensure and encourage more and more activities of Gram Panchayats. The Panchayats should discharge their functions more efficiently.

The other object of this Bill to bring under cultivation that land which is cultivable, but is lying as wasteland. I support this. I learn that Delhi Development Authority had acquired land about 5 or 6 years back. This land is not being utilized for any purpose. This land should also be brought under cultivation.

I have visited some villages of Delhi. The farmers of those villages complained that they have an apprehension that their land would be acquired at any time. Due to this they do not put in the required labour. They do not make investment for improving the production capacity of their land. I want that these villagers should be assured that their land would not be acquired for at least so many years.

Another point I want to refer to is that Delhi Development Authority should not acquire such land for setting up factories, as is very fertile and cultivable. Rocky land should be utilized for this purpose.

I welcome the provision of concessions made in regard to army personnel. It is a very good step. We should provide them as many facilities as are possible. They are the protectors of our hard won freedom.

Shri Hathi : We have made provision in this Bill for giving that land to the Gram Sabha, which belongs to community as a whole and has been illegally occupied by people. As Shri Naval Prabhakar has said there are about 5200 acres of such land in Delhi. The aim of this is to get vacated that land as has been occupied by people unauthorisedly. Powers have been given to Revenue Officials. We do not want to snatch anybody's land. I assure Shri Yashpal Singh that we do not want to take farmers' land.

We have authorised the Commissioner to ensure that all cultivable land is utilized for cultivation. I welcome the suggestion of Shri Kashi Ram Gupta. They would be examined carefully. We have given priority to army personnel.

Increasing of food production is the foremost thing before us at present. We should make every endeavour to step up the food production. I would like the official to see that cultivable land is not used for other purposes than cultivation.

We do not want to userp the powers of Gram Panchayat. We have given some powers to the Deputy Commissioner. It is for the benefit of Gram Panchayat that this Bill has been brought.

I entirely agree with Shri Naval Prabhakar that income from such land should be used for the betterment of village itself. I say it is a very good suggestion. Shri Yasphal Singh's amendment has a very restricted scope whereas our amendment is more comprehensive and overlaps that of his. We should encourage people to donate land for charitable institutions.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है: "कि दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 में अग्रेसर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा खण्डवार विचार करेगी । प्रश्न यह है :—

कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 2 विधेयक में जोड दिया गया ।/*Clause* 2 *was added to the Bill.*

खण्ड 3 से 27 विधेयक में जोड दिये ।/*Clauses* 3 *to* 27 *were added to the Bill.*

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड दिये गये ।/*Clause* 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

श्री० हाथी : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि विधेयक को पारित किया जाये" ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । *The motion was adopted.*

प्रेस तथा पुस्तक रजिस्ट्रीकरण (संशोधन), विधेयक

PRESS AND REGISTRATION OF BOOKS (AMENDMENT), BILL

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० चें० रा० पट्टाभिरामन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रेस तथा पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

सरकार ने 1952 में एक प्रैस आयोग की नियुक्ति की थी । उस आयोग ने बहुत सी सिफारिशें की थी । उस ने महसूस किया था कि प्रैस के बारे में हमारे देश में नियमित ब्यौरा उपलब्ध नहीं है और कहा था कि एक केन्द्रीय प्रैस रजिस्ट्रार होना चाहिये जो इस सम्बन्ध में पूरी पूरी जानकारी उपलब्ध कराये । वह प्रैस के बारे में आंकड़े भी रखे ।

प्रैस आयोग ने प्रैस तथा पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के बहुत से संशोधनों के करने की भी सिफारिश की थी । इसी के अनुसार 1955 में इस अधिनियम में संशोधन भी किया गया था । मई, 1954 के संविधान (जम्मू तथा कश्मीर में लागू होना) आदेश के अनुसार संसद को संविधान की समवर्ती सूची की प्रविष्ट संख्या 39 के बारे में कानून बनाने का अधिकार नहीं था । इस लिये भारत के प्रैस रजिस्ट्रार जम्मू तथा काश्मीर के बारे में जानकारी एकत्र नहीं कर सके । इसी लिये उनकी वार्षिक रिपोर्ट में तथा कश्मीर के समाचार पत्रों के बारे में जानकारी नहीं है ।

समाचार पत्रों के लिये कागज़ का प्रश्न भी इसी से सम्बन्ध रखता है । यह कागज समाचार पत्रों के आकार, उन की प्रकाशन सम्बन्धी औसत, और कई अन्य बातें ध्यान में रखकर बांटा जाता है । यह कार्य प्रैस रजिस्ट्रार करता है । परन्तु वह अधिकारों के अभाव के कारण जम्मू तथा काश्मीर के बारे में अपना कार्य नहीं कर सके । उन्हें राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी पर ही निर्भर करना पड़ा है । अब यह निर्णय किया गया है जम्मू तथा काश्मीर को भी रजिस्ट्रार के कार्यक्षेत्र मे लाया जाये, ताकि वह वहां के समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं के बारे में ठीक ठीक जानकारी तथा आंकड़े इकट्ठे कर सके ।

1964 में संविधान (जम्मू तथा काश्मीर में लागू होना) दूसरा संशोधन आदेश जारी किया गया है । इसके अनुसार यह अधिनियम जम्मू तथा काश्मीर राज्य को भी लागू होगा । यह संशोधन विधेयक एक छोटा सा विधेयक है । इस में कुल चार खण्ड हैं । इसे लागू करने से पहले राज्य सरकार से लागू करने की तिथि के बारे में सलाह की जायेगी । इस बारे में राज्य सरकार के कानून के अन्तर्गत वहां के प्रकाशकों द्वारा दी गई घोषणाओं को संरक्षण दिया गया है और अब उन्हें एक केन्द्रीय अधीनियम के अन्तर्गत 2 महीनों की नियत अवधि के बीच घोषणा देनी होगी । इससे उन लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी । इस विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात यह विधेयक जम्मू तथा काश्मीर में भी लागू हो जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

Shri Tulsidas Jadhav (Nanded) : I want to give suggestion while supporting this Bill. Registrar of Newspapers was appointed on the recommendations of Press Commission. He was supposed to introduce necessary improvement in Indian Press. Small newspapers have to face many difficulties. There are in all 330 daily newspapers in India. There are 41 English dailies among them and the

rest 289 are in Indian languages. The Press Registrar should help small papers published in small town. Their resources are limited. These Newspapers are in great difficulty. Small newspapers are treated very harshly by Government. It is not good. On the contrary these papers should be encouraged and every facility should be provided to them.

Big papers are given newsprint quota very liberally. On the other hand small neswpapers are not given adequate newsprint. Government should pay proper attention to this matter and sympathy should be shown to small papers. I request that small newspapers should be provided more facilities.

Shri D. S. Patil (Yeotmal) : I support this Press Registration Bill. The Press Commission was appointed in 1952 and submitted its report in June 1954. This report was responsible for the appointment of Registrar of Newspapers. This Bill will also be applicable in State of Jammu and Kashmir. This is only aim of effecting this amendment. Jammu and Kashmir is the integral part of this Country, and there is a great necessity of having such a law in that State also. Pakistan has imposed a war on such and we are not prepared to surrender an inch of our territory to Pakistan. So this law of Press and Registration of Books should be also applied here.

I am of the opinion that whatever legislation was enacted by Parliament should be applicable to Jammu and Kashmir also. For this suitable amendment in Constitution can be done.

In the end, I thank the Jawans who are fighting in the forward areas. It is due to these people that the entire country has risen like one man. Every citizen of the Country has decided to stand firmly with great determination. With these words, I support this amending Bill and request the House that all its clauses be passed speedily.

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : Hon. Deputy Minister has made a very good speech and has emphasised the point that the Press in India should be free from party considerations. In this connection I may state that it is a matter of great regret that Hindi is given step-motherly treatment even speeches delivered by the members in Parliament in Hindi are not properly reported in the Press. I would like to urge that the news agencies should send such representatives in the Parliament, who know Hindi well and cover the proceedings of the Parliament.

The corruption in the publishing of newspapers should be eradicated. Steps should be taken to check the blackmarketing in newsprint. There are number of newspapers who get their quotas of newsprint from the Government and they sell it in the blackmarket. So it is very essential that Government should take the help of the Central Intelligence Bureau. Action should be taken against such newspapers. The newspapers who are proved to be defaulting, should be deprived of their regular quotas. Those who indulge in Blackmailing should also have the same treatment *i.e.* their quotas should be stopped.

उपाध्यक्ष महोदय : इन बातों का विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं । यह तो विधेयक को जम्मू और काश्मीर पर लागू करने के बारे में है ।

Shri Ragunath Singh : I also urge that action should be taken against all those Journals and periodicals and newspapers who indulge in blackmail and publish obscene literature. Every effort should be made to see that wherefrom these people get newsprint over which they publish these things.

Shri Balmiki (Khurja) : I welcome this Bill. Watch must be kept on the newspapers that are being published from the State of Jammu and Kashmir. The severest punishment should be given to those newspapers who are supporting the enemy. I am of the opinion that persons should be hanged in the interest of the Country.

Parent Act regarding Press came into existence in 1861 which was later on amended according to the recommendations of the Press Commission. But State of Jammu and Kashmir was not under its jurisdiction. Now with this Bill the State will come under the jurisdiction of this legislation.

I shall also urge that strict vigilance should be observed over the small newspapers. These papers can create mischief, as they reach right into the hands of the masses. Obscenity and vulgarity should be checked properly. We should also be careful about this fact that nothing appears in the Journals and newspapers which may incite communal and religious passions. Newspapers should be the instrument of awakening in this Country.

Shri Bade (Khargone) : I am supporting this Bill but my point of view is different. State of Jammu and Kashmir is an integral part of Indian Union and the extension of the Press and Registration of Books Act to that State is very important matter. It should be welcomed. People have done great sacrifice for the sake of Kashmir. The name of Late Dr. Syama Prashad Mukherjee must go in the annals of history as a great sacrifice for the sake of Jammu and Kashmir. We have always urged that article 370 should go from the Constitution, in order to have close unity of the State with other parts of the Country.

I have seen myself in Kashmir that the newspapers of Plebiscite Front in Jammu and Kashmir is having wide circulation. Their papers violently indulge in the anti-Indian propaganda. I urge upon the Government to take stern action against such newspapers which are indulging in anti-national propaganda. Something must be done to put to an end to such a propaganda which is very dangerous. The ban should be placed on this paper of Plebiscite Front.

I may also submit that the allotment of newsprint quota to various news papers should be done on equitable basis. In this connection the language papers should not be given step-motherly treatment. Many a time, this has also come to our light that papers belonging to the high ups in the Government get big quotas while the circulation of such papers is very meagre.

We must know that the language papers are very widely read by the masses. Rural people read language papers. These papers should get adequate quotas.

I congratulate the mover of this Bill, and give my whole hearted support.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : This is a commendable Bill. People of Kashmir has given sufficient proof of their patriotism during the recent clash with Pakistan people of Kashmir will never vote for Pakistan. Newspapers should not be allowed to incite communal passion.

Let me urge upon the Government that all the newspapers which are receiving the quota of newsprint must be instructed that they should not publish anything which is anti-Indian. If any newspaper publishes any such thing, it is clearly the help of the enemy country *i.e.* Pakistan. I hope that Honourable Minister will do her everything to keep Kashmir, as the integral part of our Country. I am confident of this.

Shri Hukum Chand Kachhavaiya (Dewas) : I welcome this legislation which is being also applied in the State of Jammu and Kashmir. One of the most important things that I want to impress is the case of the language papers. The language papers are patriotic, but they are not given adequate quota, but the papers belonging to the Ministers or their supporters are getting heavy quotas. They have their quotas and ultimately sell that in the black market. Papers following patriotic policies should be given sufficient quotas.

I shall also submit that those who are taking advantage of the shortage of newsprint and sell their quota in the black market should be held up. There are also papers which are publishing obscene literature. They should also be brought to book.

We are fighting with Pakistan, therefore newspapers should be asked to publish the pictures of the brave warriors and life stories of great heroes.

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू और कश्मीर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। जम्मू और काश्मीर राज्य में जो समाचार पत्र भारत के पक्ष का पोषण करते थे प्रायः बन्द हो गये हैं। हमने ऐसे समाचार पत्रों की सूचि गृह कार्य मंत्री को दी थी, परन्तु उसकी और कोई ध्यान नहीं दिया गया। काफी समय गुजर गया है। राज्य में वे पत्र खुले आम प्रकाशित हो रहे हैं जो कि भारत विरोधी हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ? क्यों नहीं कोई अपेक्षित कार्यवाही की जाती ? मेरा मत यह है कि यदि इन अखबारों के विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही कर दी जाती तो शायद पाकिस्तान ने जो भारत पर आक्रमण करने का साहस किया, वह न करता। माननीय मंत्री को इस विषय पर विचार करना चाहिए।

इस विधेयक को जम्मू और काश्मीर राज्य पर बड़ी कड़ाई से लागू किया जाय। किसी दल, व्यक्ति अथवा अखबार को ऐसी बात लिखने और बोलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जो कि हमारे लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध जाती हो। हमें इस दिशा से कमजोर नीति नहीं अपनानी चाहिए। इन शब्दों से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur) : We are having State of Jammu and Kashmir also for the application of Bill, is a very happy thing. I welcome this Bill. We must understand one important matter in this connection that the newspapers in this country are in the hands of the few people. These people can mould the public opinion according to their liking. This thing should come to an end. Our newspapers should be free from all sorts of control. They should follow independent policy. Without this country will not be properly benefitted by these newspapers.

For the last few days there has been the talk of Price-Pages schedule. For that, I may state that introduction of price-page schedule should be given effect to. We should understand that until this is done, there is no chance for smaller newspapers to exist and prosper.

Newspapers should publish the pictures of the heroes. Also Government should take serious notice of the publication of obscene literature and pictures in Journals and newspapers and take strong action against those who publish such things.

This is a very small Bill, but it must be welcomed. Newspapers have very important place now, and Government should do everything in this direction to improve their standards.

श्री चें० रा० पट्टाभिरामन : मैं अपने सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस विधेयक का स्वागत किया है। मैं इस विधेयक की सिफारिश सदन को करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रेस तथा पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । /*The Motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे :

इसमें कोई संशोधन नहीं है प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4 तक विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । /*The Motion was adopted.*

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड दिये गये । /*Clauses 2 to 4 were added to the Bill.*

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड दिये गये । /*Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । /*The Motion was adopted.*

---

*भारत में भव्य होटल

**LUXURY HOTELS IN INDIA

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : 24 अगस्त, 1965 को तारांकित प्रश्न संख्या 157 के प्रश्न के उल्लेख से मैं यह चर्चा आरम्भ कर रही हूं । इसका सम्बन्ध भारत में भव्य होटलों से है । इस प्रश्न का सम्बन्ध इस बात के साथ है कि भारत सरकार ने "हिल्टेन होटल्स" निगम के साथ सहयोग करने का फैसला किया है। संयुक्त राज्य अमरीका के "हिल्टन होटल्स" निगम के सहयोग से भारत में भव्य होटलों की स्थापना के सम्बन्ध में सहयोग दिये जाने के बारे में प्रस्तुत प्रस्तावों से ऐसा पता चलता है कि यह यहां 25 वर्ष के लिये होगा जिसे पुन: बढ़ाया जा सकता है । उसका मतलब यह है कि उस स्थिति में यह यहां अपने आप ही 50 वर्ष तक चलेगा । इसका प्रबन्ध पूर्ण रूप से 'हिल्टन्स' के अधीन होगा तथा "हिल्टन्स" को आवर्ती राशि का कुल लाभ तथा इन होटलों के शुरू करने सम्बन्धी व्यय जिनका उल्लेख इन प्रस्तावों में है, दिया जायेगा । प्रथम होटल जिसे गैर सरकारी क्षेत्र में गैरसरकारी सहयोग से बम्बई में खोलने का विचार किया गया है । इस होटल में 400 कमरे होंगे । अनुमान यह है कि इस सब पर 4 करोड़ के लगभग खर्च आयेगा । मतलब यह है कि वे जो कुछ भी लाभ होगा उसका लगभग 80 प्रतिशत भाग प्राप्त कर ले । अन्य खर्चे भी जिनकी उन्होंने मांग की है लगभग 80 प्रतिशत होंगे ।

---

*Half an hour discussion.

**आधे घंटे की चर्चा ।

सारी स्थिति का विचार करने के बाद यह परिणाम निकलता है कि यह लाभदायक विनियोजन नहीं है। मतलब यह कि इस सारे विनियोजन को 1.4 प्रतिशत लाभ होगा। इस दृष्टि से इसे व्यापारिक प्रस्थापना नहीं कहा जा सकता। इन शर्तों पर, होटल की इमारत सम्बन्धी प्रस्तावना के प्रति किसी भी गैर सरकारी क्षेत्र के व्यक्ति को इसमें धन लगाने के लिए आकृष्ट नहीं किया जा सकता।

पर्यटक लोग होटलों से आकर्षित होकर भारत में नहीं आते अपितु उन्हें हमारी परम्परा एवं संस्कृति अपनी ओर खींचती है। यदि लोगों को सोने के लिए अच्छे कमरों की आवश्यकता हो, तो ऐसे कमरे उन्हें अपने देश ही में आराम से सुलभ हो सकते हैं। भारतीयों ने अच्छे अच्छे होटल बनाये हैं जो काफी अच्छी तरीके से चल रहे हैं। "हिल्टन्स होटल" के प्रबन्धक संसार भर में बड़े सख्त मिजाजी तथा गुस्ताखी के लिए कुख्यात हैं।

अतः यह तर्क, कि "हिल्टन होटल्स" के कारण भारत में विदेशी आयेंगे, मान्य नहीं है। उनको बिना किसी कारण के 22 लाख रूपये देने का कोई अर्थ नहीं है। वे यह सारी राशि विदेश ले जायेंगे। हिल्टन्स को तभी अनुमति दी जानी चाहिए जब वे कुछ बातों को स्वीकार करें। पहली बात यह है कि इसका सारा प्रबन्ध भारतीय हाथों में रहना चाहिये, दूसरी बात यह कि सहयोगियों को विनियोजन करना पड़ेगा, तीसरी बात यह कि ठेके की अवधि 15 से अधिक वर्षों की नहीं होनी चाहियें तथा चौथी बात यह कि उन्हें प्रतिवर्ष 1,50,000 रूपये से अधिक राशि नहीं मिलेगी।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

यह प्रथम अवसर है जब कि भारतीय अच्छे होटल खोल रहे हैं। बहुत होटल हम खोल कर चला रहे है। हमारे होटल विदेशों के मुकाबले घटिया नहीं हैं। विदेशी लोग ही भारत में आकर बढ़िया होटल चला पायगे, यह विचार एकदम गलत है। ये जो होटल खोले जा रहे हैं, इसका 50 प्रतिशत से भी अधिक मुनाफा विदेशी लोगों के हाथ में चला जायेगा। इससे हमें विदेशी विनिमय की भी हानि होगी। यदि हमने विदेशियों को देना ही है तो हमें प्रबन्ध अपने हाथों में रखना चाहिए। सहयोग करने वालों को भी पूंजी लगानी चाहिए। इस करार की अवधि भी निश्चित करनी चाहिए। यदि वे हमारी शर्तें स्वीकार कर लें तो हमें उन्हें पेशकश करनी चाहिए, अन्यथा नहीं।

श्री जोकिम आल्वा (कनारा) : क्या "हिल्टनज़" सम्बन्धी प्रस्तावों के बारे में होटलों में हित रखने वाले भारतीयों से सलाह की गई थी? क्या माननीय मंत्री भारत के मध्यम वर्ग के लोगों के लिये भी होटलों की श्रृंखला का आयोजन करेंगे अथवा क्या वह केवल उच्च वर्गों के लिये ही यह व्यवस्था करेंगे। रूस जैसे समाजवादी देशों में जो पर्यटक जाते हैं उनमें अमरीकी होटल में ही रहेंगे। हम "हिल्टन्स" के पक्ष में इतना क्यों झुक रहे हैं? भारत में कई एक देशवासियों के होटल हैं, उनकी उपेक्षा क्यों की गई है? क्या इस तरह ये होटल गुप्तचरों के केन्द्र नहीं बन जायेंगे। हमें इस प्रश्न पर राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से विचार करना चाहिए। अमरीकी समाजवादी देशों में जाकर तो यह कहने का साहस नहीं करते कि हम केवल अमरीकी होटलों में ही रहेंगे। ऐसा करें तो उन्हे निकाल दिया जाये। ऐसे करने पर सरकारी क्षेत्र में चल रहे होटलों को भी क्षति पहुंचेगी।

श्री दी०चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस होटल की स्थापना के लिए संसार भर से 'टेन्डर' मांगे गये थे। यदि हां, तो क्या किसी भारतीय ने भी इस प्रयोजन के लिये कोई 'टेन्डर' दिया था? यदि ऐसा हुआ तो भारतीय टेंडर क्यों अस्वीकार किये गये?

अध्यक्ष महोदय : श्री अंसार हरवानी अपवाद रूप में एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री अंसार हरवानी (विसौली) : क्या हिल्टन्स के साथ सहयोग की अनुमति इस दृष्टि से की गयी है कि हमारे पास तकनीकी कर्मचारी अथवा इस विषय की जानकारी रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं? और यह भी हो सकता है कि इसका आधार यह हो कि हमारे होटलों में रात्रि क्लबों की सुविधायें उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार की रात्रि क्लबों की व्यवस्था "हिल्टन्स" अच्छी प्रकार कर सकते हैं?

श्री कर्णी सिंह (बिकानेर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने यह देखा है कि हमारे अपने यहां देश में भारतीयों द्वारा निर्मित "न्यू ओबराई इन्टरनेशनल" दुनिया भर के सबसे शानदार होटल व्यवसायों में से एक है। जब हमारे देशवासी स्वयं ऐसे शानदार होटलों का निर्माण कर सकते हैं, तो फिर हम "हिल्टन्स" से ही यह कार्य चलाने के लिये क्यों कह रहे हैं।

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : मैं श्री कर्णी सिंह जी का आभारी हूं कि उन्होंने यह बताया कि "ओबराय इन्टरनैशनल" दुनिया भर के शानदार होटल व्यवसायों में से है। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि वह भी विदेशी सहयोग से ही स्थापित किया गया है। यही कारण है कि हमने यह उचित समझा कि इस विशष क्षेत्र में आने के लिये हमने गैरसरकारी पक्षों को प्रोत्साहन दिया है। हमें यह बात सदा के लिये महसूस कर लेनी चाहिये कि यदि हम पर्यटन की ओर लोगों का अधिक ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं तो हमें इस विषयपर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा। इस दिशा की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि होटलों में आवास स्थान उपलब्ध नहीं होते। इस के लिए अनुमान यह है कि हमें लगभग 500 अतिरिक्त कमरों की अपेक्षा है। हमारे पर यह आरोप लगाया जाता है कि हम पर्यटन को प्रोत्साहन नहीं देते।

हमारे देश में बहुत से देखने योग्य स्थान हैं। देखने योग्य लोग हैं। मैं माननीय महिला सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि मालिक अथवा भूस्वामी को भूमि, इमारत को सजाने का सामान, तथा कक्षों आदि की व्यवस्था करनी होती है। इसके बाद ही उसे पट्टे पर लिया जा सकता है। पट्टे की भुगतान राशि उस समस्त आय की जो कि वहां होटल चलाने पर होती है 66 2/3 प्रतिशत होगी, इस तरह का प्रस्ताव हिल्टन्स ने भी प्रस्तुत किया है। परन्तु हमें वह स्वीकार नहीं हुआ। हम यह चाहते हैं कि यह बढ़ा कर 75 प्रतिशत कर दिया जाय।

हम यह चाहते हैं कि कुल परिचालित मूनाफों का 75 प्रतिशत भू-स्वामी, मालिक तथा उस व्यक्ति को, जो पट्टाधारी देगा, केवल 25 अथवा 33 प्रतिशत मिले। होटल चलाने के लिये जो कुछ विनियोजन करना है वह सारा वही व्यक्ति करेगा तथा सारी तकनीकी जानकारी की व्यवस्था भी करेगा। फिर उसे कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ेगा जो हम लगायेंगे। होटल को चलाने के लिये कुछ ऊपर के कार्यपालों को छोड़कर वह सारे कर्मचारी हमारे होंगे जिनको वह लगायेगा।

मान लीजिये कि उस होटल में 400 कमरे होंगे तो यह अनुमान लगाया गया है कि हमें इससे 18,00,000 डालरों अर्थात् लगभग 92 लाख रुपये अथवा प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय होगी। "हिल्टन्स" के अनुसार कुछ परिचालित मुनाफा 13,47,680 डालर होगा जिसमें से एक तिहाई भारतीय सहयोगी का भाग होगा जो कि 8,98,000 डालर बनता है तथा "हिल्टन्स" का भाग 4,49,286 डालर होगा। भारतीय निगम अधिनियम के पश्चात् अन्ततः उनका मुनाफा कम होकर 1,49,643 डालर रह जायेगा। संयुक्त सचिवों की समिति के अनुसार इससे कुल आय 10,60,273 डालर होगी। सारा हिसाब लगाने के पश्चात् शुद्ध मुनाफे का हिस्सा 1,51,712 डालर होगा। तब यह 3.5 करोड़ रुपये के विनियोजन पर 20 लाख रुपये होगा। अतः व्यापारिक प्रस्थापना के रूप में भी वह गलत नहीं है। परन्तु हमें कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। होटल पर्यटक यातायात की व्यवस्था करेगा।

29 देशों में "हिल्टन्स" के होटलों की अपनी श्रृंखला है। वे लोग अमरीका, दक्षिणी अमरीका, अफ्रीका, पश्चिमी योरप तथा पूर्वी योरोपीय देशों में सफल रहे हैं। होटल बनाने के लिये अब साम्यवादी देश भी इन से बातचीत कर रहे हैं। संयुक्त अरब गणराज्य में भी इनको काफी सफलता प्राप्त हुई है। जहां कहीं भी हिल्टनज़ होटल हैं वहां पर पर्यटकों को एक होटल से दूसरे होटल में रक्षणों के मामले में बहुत आसानी रहती है। इसीलिए तो वह बहुत लोकप्रिय हैं। इसके अतिरिक्त हम होटलों के स्तर में सुधार करना चाहते हैं।

मेरा निवेदन यह है कि हम कोई गलत बात नहीं कर रहे। बाहर से आने वाले लोगों के लिये हमें कुछ सुविधाओं की व्यवस्था तो करनी ही है। माननीय महिला सदस्य ने जो आपत्तियां की हैं, उनका मैंने उत्तर दे दिया है और उनके भ्रमों को दूर करने का प्रयास किया है। अशोक होटल से हमें 80 प्रतिशत प्राप्त हुआ है और इससे 87 प्रतिशत प्राप्त होगा। मैंने सब बातें स्पष्ट कर दी हैं।

सैनिक कार्यवाही के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : DEFENCE OPERATIONS

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस): क्योंकि 10 सितम्बर को प्रतिरक्षा मंत्री ने वक्तव्य दिया था, अतः मैं पाकिस्तान के साथ हो रहे संघर्ष के बारे में सदन को पूरी तरह सूचित रखूंगा।

Shri Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I should be allowed questions.

Mr. Speaker : It has been decided that no questions will be asked.

Dr. Ram Manohar Lohia : I have a right to ask questions.

Mr. Speaker : Majority decision should be the decision of the House. No questions will be allowed.

श्री० अ० म० थामस : मोटे तौर पर, जम्मू स्यालकोट क्षेत्र में हमारी सेनाओं की सफलतायें जारी हैं। हमें अपनी चौकियों से हटाने के समूचे पाकिस्तानी प्रयत्न विफल कर दिये गये हैं और हम कुछ आगे भी बढ़े हैं। छम्ब-जोड़ियां क्षेत्र में हमने कुछ और पास्कितानी टैंकों को बेकार कर दिया है। लाहौर मोर्चे पर हमारी सेनायें सामान्य रूप से अपनी स्थान पर डटी हुई हैं और हमने पाकिस्तानी शस्त्रास्त्र बहुत बड़ी मात्रा में छीन लिये हैं। हमारे और आगे बढ़ने को रोकने के लिए रक्षा के एक उपाय के रूप में पास्किताली खागीरी नहर पर पुल धीरे-धीरे उड़ा रहे हैं।

कसूर क्षेत्र में, क्षेत्र के बड़े पैमाने पर आक्रमण को रोक दिया गया है और हमने शत्रु के बहुत से टैंक छीन लिये हैं और कुछ टैंकों को चालकों सहित पकड़ा है। डेरा बाबा नानक और बाड़मेर क्षेत्र में हमारे उद्देश्य पूरे हो गये हैं। हाजी पीर क्षेत्र और टिथवाल क्षेत्र में हमारी सेनायें अधिक पाकिस्तानी चौकियों का सफाया कर रही हैं।

पश्चिमी पास्कितान के हवाई अड्डों और शत्रु के सैनिक प्रतिष्ठानों पर हमारी वायुसेना ने प्रहार जारी रखा है। कल रात भारतीय वायुसेना ने कोहाट और पेशावर में वैमानिक प्रतिष्ठानों पर बमबारी की है। शत्रु हवाई युद्धों से बचने का प्रयत्न करता रहा है परन्तु वह न केवल हमारे हवाई अड्डों पर बल्कि नागरिक निशानों पर भी गुप्त आक्रमण करता रहा। प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा वक्तव्य देने के चार दिन के बाद हमने 66 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट कर दिया है और 32 टैंकों पर कब्ज़ा कर लिया है और 2 टैंकों के चालकों को पकड़ लिया है। हमने भूमि से गोलों और वैमानिक कार्यवाही द्वारा 15 पाकिस्तानी विमानों को नष्ट कर दिया है। इस अवधि में इसकी तुलना में हमारी क्षति कहीं कम है।

इसके पश्चात लोक-सभा बुधवार, 15 सितम्बर, 1965/24 भाद्र, 1887 (शक) के दस बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Ten of the clock on Wednesday, the 15th September, 1965/Bhadra 24, 1887 (Saka).

भा०स०मु०ना०—वि० 2—34 लोक सभा/65—18-6-66—600